भारत–अमेरिका परमाणु समझौता

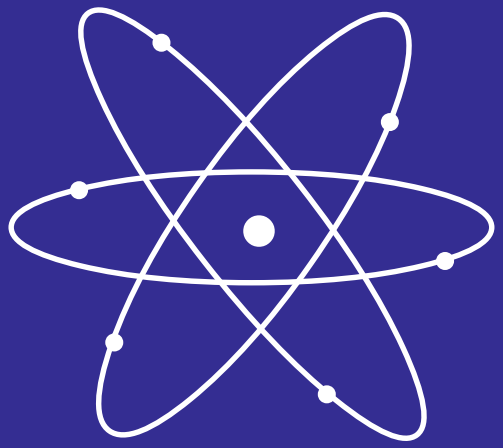

आखिर क्यों करती है भाजपा विरोध ?

भारतीय जनता पार्टी

प्रकाशकीय

भारत–अमेरिका परमाणु समझौता पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपीए सरकार के शासनकाल में हो रहे इस समझौते में तमाम ऐसी बातें हैं, जिसने देशवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।

मुख्य विपक्षी दल के नाते भाजपा प्रारम्भ से ही भारत–अमेरिका परमाणु समझौते का सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रही हैं। जबकि वामपंथी दल केवल अंध अमेरिका विरोध के चलते इस समझौते का विरोध कर रहे है। भाजपा यह चाहती है कि यह समझौता बराबरी के आधार पर हो और भारत की सम्प्रभुता पर आंच न आए।

भाजपा ने समय–समय पर इस समझौते के विरोध में जो वस्तुपरक तथ्य, प्रेस व्यक्तव्य और संसद में चर्चा के दौरान अपना अभिमत प्रस्तुत करती रही है उन्हीं सब तथ्यों को संकलित कर हम एक पुस्तिका प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है देश के नागरिक इसे पढ़कर भारत–अमेरिका परमाणु समझौते से संभावित खतरों को जान सकेंगे।

प्रकाशक
भारतीय जनता पार्टी
11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

अगस्त 2008

सम्पादक की ओर से...

न्यूक्लियर डील का विरोध करने वाले भी भारतीय हैं और समर्थन करने वाले भी भारतीय। जो लोग विरोध में हैं वे अपने तर्कों और तथ्यों से इसे भारत के लिए अहितकारी बता रहे हैं और जो लोग समर्थक हैं वे इस डील को भारत हितैषी बता रहे हैं। ऐसे समय में नीतिशास्त्र कहता है कि अच्छा शासक वह है जो अपने तथ्यों और तर्कों से सामने वाले के तथ्यों और तर्कों को कमजोर कर दें और जो विरोध में हैं उनको अपने सही तर्कों और तथ्यों से अपने पक्ष में कर लें। न्यूक्लियर डील के मसले पर सत्तापक्ष (यूपीए) ने इसे भारत की प्रतिष्ठा के बजाय अपने गठबंधन की प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और इसलिए उसने तय किया कि वे विरोधी पक्ष की बातें सुनेंगे ही नहीं। यूपीए के इस कृत्य को लोकतंत्र का धर्म नहीं बल्कि सत्ता का हठधर्म माना जाएगा। हठधर्मिता से न शासन चल पाता है और न जनता का भला हो पाता है।

यह करार दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, दो राष्ट्रों के बीच का है। ऐसे करारों के दूरगामी परिणाम होते हैं। ये मात्र कागजों के निर्णय नहीं होते हैं; ये निर्णय कारगर होते हैं, जवाबदेह होते हैं। अतः शासन की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह देश को बतायें, विपक्ष को समझायें कि उनका करार जनहित का दस्तावेज है। पर यूपीए ने ऐसा नहीं किया। गोपनीयता का सहारा लेकर यूपीए ने यह कह दिया कि यह दस्तावेज सभी को नहीं दिखाया जा सकता। कितनी बड़ी विडंबना है कि देश का दस्तावेज देश को नहीं दिखाया गया। यहीं समझ में आता है कि इस दस्तावेज में कहीं न कहीं काला है। चलिए आपने देश से दस्तावेज छुपा लिया पर इतना तो कर सकते थे जो दस्तावेज के विरोध में थे उन्हें बुलाकर विरोध का कारण तो पूछ लेते। यूपीए ने ऐसा भी नहीं किया। फिर किया क्या? देश को ही दांव पर लगा दिया। जब बात नहीं बनी तो लोकतंत्र को भी दांव पर लगाने से परहेज नहीं किया। क्या कोई इससे असहमत हो सकता है कि इस डील के समर्थन में 275 सांसद थे और 256 विरोध में। क्या ये 256 सांसद देशहित नहीं जानते? क्या ये परमाणु समझौता के बारे में कुछ नहीं जानते? यह अंतर क्या बहुत बड़ा अंतर है? फिर ये संख्या कैसे पूरी की गई? क्या परमाणु समझौता की समझ के लिए 3–3 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। आखिर यह सब क्यों किया गया? लोकतंत्र को लूटने का यह कौन सा तरीका है? ऐसा करार किस काम का जो संसद की मर्यादा तोड़ दे, संसद सदस्यों की गरिमा दांव पर लगा दे। सरकार दांव पर लग जाये। लोकतंत्र की डोर दलालों के हाथ में पहुंच जाये।

परमाणु करार को लेकर दो दलीलें यूपीए द्वारा दी जाती है। एक तो यह कि भारत की ऊर्जा जरूरतें पूर हो सकेंगी। दूसरा, भारत अमेरिका समेत एनएसजी देशों से परमाणु ईंधन और तकनीक का आदान–प्रदान कर सकेगा।

दूसरी ओर भाजपा समेत अनेक राजनीतिक दल परमाणु करार का विरोध कर रहे हैं। परमाणु समझौते को लेकर वामपंथी दलों का रूख पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उन्हें राष्ट्रीय हितों से कोई लेना–देना नहीं है। वे अपनी अंध अमेरिका विरोध के चलते इस समझौते का विरोध कर रहे है। जगजाहिर है कि भाकपा और माकपा चीन और रूस के पास परमाणु हथियारों का तो समर्थन करते हैं, परंतु भारत के अपने परमाणु निवारक शस्त्रों का विरोध करते हैं। भाजपा प्रारंभ से ही इस करार के विरोध में अपना पक्ष जनता के बीच रख रही है। पार्टी का कहना है कि भविष्य में परमाणु परीक्षण न कर पाने के चलते भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने में बाधा आएगी। इस करार से हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता प्रभावित होगी। भाजपा परमाणु समझौते का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि यह समझौता भारत के सामरिक हितों के साथ समझौता होगा।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 17 अगस्त 2006 को संसद में वादा किया था कि भारत किसी सूरत में गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा नहीं स्वीकार करेगा लेकिन सेफगार्ड समझौते में भारत को अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन की तरह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया है।

देश के स्वाभिमान को बेचने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। देश किसी एक व्यक्ति और दल का नहीं है। देश एक–एक भारतीय का है। पर ऐसा करार जो भारत की भारतीयता को चोट पहुंचाए, उसे कोई भी भारतीय कबूल नहीं करेगा। यूपीए और उसके चाटुकार घटक दलों ने देश के स्वाभिमान के साथ जो खिलवाड़ किया, उसे भारतवासी माफ नहीं करेंगे। सत्ता में जब यूपीए आई थी तो 337 सांसदों का समर्थन था और चार साल बीतने के बाद मात्र 275 सांसदों का समर्थन जुटा पाई और वह भी दुनिया जानती है खरीद फरोख्त से। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जनता आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में यूपीए से जवाब मांगेगी।

प्रभात झा
राष्ट्रीय सचिव व सांसद
भारतीय जनता पार्टी

लेख

123 समझौते का क ख ग

– यशवंत सिन्हा

इस लेख का उद्देश्य सरल शब्दों में भारत–अमरीकी परमाणु समझौते के निहितार्थों को समझना है, जिसे 123 समझौते के नाम से भी जाना जाता है।

अमरीकी कांग्रेस ने 1954 में एक कानून बनाया था, जिसका नाम था 'यूएस एटामिक एनर्जी एक्ट', जिसके अन्तर्गत अमरीकी सरकार असैन्य परमाणु क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग करने के लिए द्विपक्षीय समझौते कर सकती थी। इस एक्ट की धारा 123 में अमरीकी सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह इस प्रकार के समझौते कर सकती है और इसलिए ऐसे सभी समझौतों को भी '123 समझौते' का नाम दिया जाता है।

धारा 123 में परमाणु शस्त्रास्त्र राज्यों तथा गैर–परमाणु शस्त्रास्त्र राज्यों–दोनों के लिए ही इस प्रकार के सहयोग के लिए विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं। भारत कोई मान्यता–प्राप्त परमाणु शस्त्रास्त्र राज्य नहीं है और इसलिए गैर–परमाणु शस्त्रास्त्र राज्यों पर निर्धारित शर्तें भारत पर लागू होंगी।

भारत द्वारा 1974 में परमाणु परीक्षण करने के बाद यूएस कांग्रेस ने 1978 में परमाणु अप्रसार अधिनियम पारित किया और अमरीकी सरकार के लिये यह बाध्यकारी बना दिया कि वह भारत जैसे देश के साथ, जिसने परमाणु परीक्षण किया है, ऐसा कोई समझौता तभी कर सकती है जब यूएस कांग्रेस ने अमरीकी प्रेजीडेण्ट को यह कानून बनाने के बाद जो अधिकार दिए है, उसे कांग्रेस 1954 के अमरीकी कानून में

दिए कुछ प्रावधान लागू करने के लिए आस्थगित कर दे। दिसम्बर 2006 में यूएस कांग्रेस द्वारा पारित 'यूएस इण्डिया पीसफुल अटामिक एनर्जी को–आपरेशन एक्ट, 2006 के रूप में यह कानून लाया गया। अमरीका में ऐसी पद्धति है कि कांग्रेस में जो सदस्य बिल पेश करता है, उसी के नाम पर उस एक्ट को स्वीकार कर लिया जाता है, इसलिए इस एक्ट को हाइड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि श्री हेनरी जे. हाइड ने इसे अमरीकी कांग्रेस में अन्तिम रूप से पेश किया था।

जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 2005 में वाशिंगटन का दौरा किया था तो उस समय मूलतः असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग का यह समझौता सम्पन्न हुआ था और 18 जुलाई 2005 को प्रेजीडेण्ट बुश के साथ एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। उपर्युक्त संयुक्त वक्तव्य में भारत द्वारा असैन्य तथा सैन्य परमाणु सुविधाओं के बीच की गई घोषणा के अनुरूप भारत को इस पद्धति का दूसरा कदम उठाना था। जब प्रेजीडेण्ट बुश ने भारत का दौरा किया तो 2 मार्च 2006 को इसकी घोषणा सम्पन्न हुई। इस पद्धति के तीसरे कदम के रूप में अमरीकी कांग्रेस को 'इण्डिया स्पेसिफिक वेवर बिल' पास करना था जिसे हाइड एक्ट पारित होने पर किया गया।

123 समझौता सम्पन्न होने के बाद तीन और कदम भी उठाए जाने थे। पहले कदम के रूप में भारत को इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी एजेंसी के पास अपने सभी असैन्य परमाणु सुविधाओं के सुरक्षा–उपाय समझौते को सम्पन्न करने के लिए जाना था जैसा कि 2 मार्च 2006 के पृथक्करण योजना में घोषणा की गई थी। सुरक्षा–उपाए समझौते का अर्थ यह है कि इन सभी सुविधाओं का अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण समय–समय पर और जब भी आवश्यकता समझी जाए, आईएईए कर सकती है।

इस पद्धति के दूसरे चरण में भारत और अमरीका को कार्रवाई करनी थी कि वे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के पास जाकर अपनी प्रक्रिया में संशोधन करें और भारत को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार में शामिल होने की अनुमति दें। इस एनएसजी में 45 देश हैं, जो एक प्रकार का इन देशों द्वारा परमाणु सामग्री के व्यापार के लिए बनाया गया प्राइवेट क्लब है। इन देशों को ऐसे देशों के साथ व्यापार करने

की मनाही है जो उनकी अनुमोदित सूची में नहीं है। वस्तुतः 1974 में पोखरण परीक्षण के बाद भारत को परमाणु व्यापार से हटाने के लिए यह ग्रुप बनाया गया था।

आईएईए के साथ सुरक्षा समझौते और एनएसजी के साथ समझौता होने के बाद 123 समझौते के अन्तर्गत इसके अन्तिम अनुमोदन के लिए यूएस कांग्रेस के पास फिर से जाना था। ऐसा होने के बाद ही 123 समझौते को अन्तिम रूप से स्वीकार माना जाता।

भारत सरकार ने अमरीका के साथ इस समझौते के लिए तीन कारण बताए हैं। पहला, 1947 के प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद से जिस तरह से भारत को अलग–थलग कर दिया था, वह समाप्त हो जाएगी। दूसरे, इससे भारत और अधिक बिजली का उत्पादन कर सकेगा और देश में बिजली की कमी समाप्त हो जाएगी। तीसरे, इससे भारत और अमरीका के सम्बंध सौहार्दपूर्ण हो जाएंगे और भारत महाशक्ति बन जाएगा। आइए, हम इन कारणों की व्यावहारिकता की जांच करें।

भारत ने 1954 में बहुत पहले तीन–स्तरीय परमाणु कार्यक्रम तैयार कर लिया था। पहले स्तर पर 'प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर' को स्थापित करना था, जिससे में बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाना था। जिस ईंधन का इस्तेमाल हो चुकता है, उसे 'स्पेंट फ्यूल' अर्थात् प्रयुक्त ईंधन कहा जाता है और प्लूटोनियम जैसे तत्त्वों से इस प्रयुक्त ईंधन के पुनः संसाधन के बाद इसका फिर से प्रयोग हो सकता है। दूसरे स्तर पर 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों' की स्थापना करनी थी, जिसमें प्रथम स्तर में प्रयुक्त प्राकृतिक यूरेनियम से प्राप्त प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाना था। इस 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' की विशेष खूबी यह है कि इससे वस्तुतः बिजली पैदा करने के बाद भी प्रयुक्त ईंधन से भी और अधिक ईंधन मिल जाता है। अतः हम अपने देश में यूरेनियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम के तीसरे स्तर पर हमें अपने विशाल थोरियम भण्डारों का इस्तेमाल करना था और ईंधन के रूप में प्लूटोनियम एवं थोरियम का इस्तेमाल कर बिजली का उत्पादन करना था। इस त्रि–स्तरीय कार्यक्रम को यह बात ध्यान में रख कर तैयार किया गया था कि हमें अपने ही प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध रहें। पहले ही हमने प्रथम स्तर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।

जहां तक दूसरे स्तर का सम्बंध है, 20 वर्षों से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर काम कर रहे हैं। अब 500 मै.वा. का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निर्माणाधीन है जो 2010/11 तक पूरा हो जाना चाहिए। इस प्रोटोटाइप रिएक्टर की सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हम ऐसे और भी रिएक्टर बनाने की स्थिति में होंगे तथा अधिक से अधिक 2025 तक हम थोरियम रिएक्टरों की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे हम ईंधन तथा टेक्नालाजी के मामलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। फास्ट ब्रीडर तथा थोरियम टेक्नोलाजी, दोनों ही बिना किसी बाहरी मदद के, हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने तैयार की हैं। अतः हमें अपने वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों का अभिनन्दन करना चाहिए जिन्होंने यह सब कुछ संभव बनाया है, न कि हमें उनकी उपलब्धियों की अनदेखी करनी चाहिए। 18 जुलाई 2005 संयुक्त वक्तव्य में भी भारत को अमरीका की तरह ही 'उच्च परमाणु टेक्नालाजी' वाला देश स्वीकार कर लिया गया था। 33 वर्षों तक तथा कथित 'परमाणु पृथक्करण' का दर्जा बना रहने के बाद भी भारत ने यह उपलब्धि प्राप्त की थी। सच तो यह है कि यह पृथक्करण की स्थिति हमारे लिए अभिशाप न बन कर वरदान ही सिद्ध हुआ और हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने तक्नालाजी की नई सर्वोत्कृष्ट ऊंचाईयां हासिल की।

इसी प्रकार अधिक परमाणु बिजली का दूसरा तर्क भी कहीं नहीं ठहरता है। कहा जाता है कि भारत के पास यूरेनियम की कमी है, जो परमाणु बिजली संयंत्रों के लिए बेहतर ईंधन है। यह सही नहीं है। हमारे पास झारखण्ड, आंध्र प्रदेश, मेघालय और राजस्थान तथा हाल ही में लद्दाख में खोजे गए यूरेनियम का समृद्ध भण्डार मौजुद है। दुर्भाग्यवश, अभी तक केवल झारखण्ड के भण्डारों का उपयोग हो पाया है। हाल ही में, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के भण्डारों की खुदाई का काम शुरू किया है और भारत के वित्त मंत्री ने मीडिया के साथ अपनी बातचीत में बताया था कि यह भण्डार 50 वर्षों तक 12000 मै.वा. बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे विश्वास है कि यदि अन्य भण्डारों का भी उपयोग किया जाए तो हम दूसरे देशों पर इन आपूर्तियों पर निर्भर करने की बजाए अपने देश से ही यूरेनियम की कमी को पूरा कर लेंगे। तीन वर्षों के समय में 'मिल्लिंग प्लांट' के

साथ हम यूरेनियम की खुदाई का काम पूरा कर सकते हैं। रिएक्टर के निर्माण में कम से कम पांच वर्ष का समय लगता है।

अकेले पूर्वोत्तर में ही, हम 100,000 मै.वा. हाइड्रो–पावर का उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार का यह तर्क भी कि वह यह समझौता और अधिक बिजली पैदा करने के लिए कर रही है, सही नहीं है और कसौटी पर खरा नहीं उतरता। हमें यह भी याद रखना होगा कि कोयले, गैस, जल, हवा आदि अन्य संसाधनों से पैदा की गई ऊर्जा की तुलना में परमाणु ऊर्जा कहीं अधिक महंगी पड़ती है। विश्व में आस्ट्रेलिया के पास सबसे अधिक यूरेनियम के भण्डार हैं, फिर भी उसने अभी तक एक भी परमाणु बिजली संयंत्र नहीं लगाया है और वह अधिकांशतः कोयले पर निर्भर है। स्वयं अमरीका ने भी, 1979 के बाद से कोई परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण नहीं किया है। समझ में नहीं आता कि हम ही क्यों परमाणु बिजली संयंत्र लगाने के पीछे पड़े हुए हैं?

जहां तक तीसरे तर्क की बात है, हमें अमरीका के साथ दोस्ताना सम्बन्ध बनाने हैं, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। वस्तुतः, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रक्रिया की शुरूआत की थी जब 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद उसके साथ हमारे संबंध बिगड़ गए थे। हमने अमरीका के साथ रणनीतिक भागीदारी की प्रक्रिया भी शुरू की, परन्तु यह सब कुछ बराबरी के आधार पर हुआ, जबकि आज की वर्तमान सरकार अपनी प्रभुता खोकर इस कार्य में जुटी है। हमने यह कभी दावा नहीं किया कि भारत केवल अमरीका की मदद से ही बड़ा देश बन पाएगा। कोई भी देश केवल अपने बल और लोगों की उपलब्धियों पर बड़ा बन सकता है और इसका आधार कभी भी दूसरों की मदद नहीं हो सकता है।

भारत सरकार का दावा है कि इस समझौते से भारत को तीन विशिष्ट लाभ होंगे। पहला, हमें जीवनभर रिएक्टरों की ईंधन सप्लाई की गारण्टी के साथ परमाणु रिएक्टर आयात करने का अधिकार मिल जाएगा; दूसरे, हमें प्रयुक्त ईंधन के पुनः संसाधन का हक मिल जाएगा; और तीसरे, हमें सर्वोत्कृष्ट तथा संवेदनशील टेक्नालाजी मिल जाएगी। ये सभी के सभी दावे झूठे हैं। निश्चित ईंधन आपूर्ति की कोई गारण्टी नहीं है। मात्र 123 समझौते में 18 जुलाई 2005 तथा 2 मार्च 2006

में दिए गए आश्वासनों को दोहराया गया है अर्थात् अमरीकी सरकार (यूएस कांग्रेस से आग्रह करेगी कि वह अपने घरेलू कानूनों में संशोधन करे ताकि इनकी इनकी आपूर्ति की जा सके। अमरीकी सरकार पहले ही ऐसा कर चुकी है और हाइड एक्ट पारित करते समय यूएस कांग्रेस पहले ही इस सुझाव को रद्द भी कर चुकी है। इसी प्रकार पुनः संसाधन करने का हक भी आगे की तारीख पर इस शर्त के साथ डाल दिया गया है कि करने तथा ''व्यवस्था एवं प्रक्रिया'' की अलग से सुविधा तैयार करनी होगी, जो दोनों देशों के बीच संतोषजनक ढंग से तैयार की जाए। क्योंकि यह सभी बातें अलग समझौते का हिस्सा होंगी, इसलिए इस समझौते को यू.एस. कांग्रेस को अनुमोदित करना होगा। संवेदनशील परमाणु टेक्नालाजी के स्थानांतरण का मामला भी आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है और यह भी वर्तमान समझौते के संशोधन की शर्त पूरी करने पर होगा। दूसरे शब्दों में, हम यू.एस. कांग्रेस के अनुमोदन से पहले ही 123 समझौते के संशोधन की बातें करने लगे हैं। इस प्रकार इन तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से किसी पर भी अमरीकी सरकार ने 123 समझौते में कोई वायदा नहीं किया है, सिवाय इसके कि इन्हें बहुत आगे के लिए टाल दिया गया है।

क्या हाईड एक्ट भारत के लिए प्रासंगिक है? जब यह एक्ट यूएस कांग्रेस के विचाराधीन था तो प्रधान मंत्री ने 17 अगस्त 2006 को राज्य सभा में कहा था कि ''यदि यू.एस. कांग्रेस के विचाराधीन था तो प्रधान मंत्री ने 17 अगस्त 2006 को राज्य सभा में कहा था कि ''यदि यूएस कांग्रेस इसी वर्तमान में बिल को पास करती है तो यह भारत को स्वीकार्य नहीं होगा और कूटनीतिक रूप से, बाद में इसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होगा।'' उन्होंने आगे भी कहा कि ''मैंने यूएस कांग्रेस के दोनों सदनों में रखे प्रारूपों के प्रावधानों पर प्रेजीडेण्ट बुश से अपनी चिंताएं जता दी हैं। यह स्पष्ट है कि यदि अन्तिम प्रावधान वर्तमान रूप में होंगे तो भारत के लिए इन बिलों को स्वीकार करना अत्यंत कठिन हो जाएगा।'' जब अन्तिम एक्ट, प्रारूपों से भी बदतर है, क्योंकि इसमें दोनों प्रारूपों की खराब से खराब विशेषताएं मिला दी गई हैं, तो भारत सरकार ने अपनी स्थिति बदल डाली है और कहने लगी है कि एक्ट के कुछ खण्ड तो सिर्फ परामर्श–प्रकार के हैं

और बाध्यकारी नहीं है। सरकार यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि इनमें से कौन से खण्ड बाध्यकारी है और कौन से नहीं। सरकार ने फिर से अपनी स्थिति बदली और अब उसका कहना है कि हाइड एक्ट भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है और इसलिए इन प्रावधानों पर चिंता की कोई जरूरत नहीं है।

भाजपा निम्नलिखित कारणों ने इस समझौते को स्वीकार नहीं कर सकती है:

i) अमरीका द्वारा भारत के साथ इस करार को करने का घोषित उद्देश्य भारत को विश्व की अप्रसार व्यवस्था में शामिल करना है। हमने इसे सदैव भेदभावपूर्ण माना है और इसलिए हमने कभी भी अप्रसार संधि (एनपीटी) अथवा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। जब श्री वाजपेयी जी ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए तो अमरीका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए क्योंकि अमरीका, न तो तब और न ही अब भारत को परमाणु शस्त्रास्त्र देश के रूप में देखा चाहता रहा है। अब उसने यूपीए सरकार को एक द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षर करने के लिए फांस लिया है, जिसके प्रावधान एनपीटी तथा सीटीबीटी के प्रावधानों से भी कहीं ज्यादह कड़े हैं।

ii) 1954 के अटामिक एनर्जी एक्ट की तरह हाइड एक्ट में भी स्पष्टतः निर्धारित है कि यदि भारत फिर से परीक्षण करेगा तो समझौता समाप्त हो जाएगा। इसका घोषित उद्देश्य भारत के परमाणु हथियारों पर रोक लगाना, कम करना तथा मिटा देना है और हमारे शस्त्रास्त्र विकास कार्यक्रम को बंद कर देना है। इस प्रकार हमारी परमाणु सम्प्रभुता को नियंत्रित कर देना है।

iii) यह समझौता चाहता है कि भारत की विदेश नीति अमरीका 'जैसी' ही हो। हाइड एक्ट में तीन स्थानों पर ईरान का उल्लेख हुआ है और भारत से अमरीका इस बात में सहायता करने को कहा है कि भारत ''ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने के उसके प्रयास को प्रोत्साहित करे, उसे अलग–थलग करे, और यदि आवश्यक हो तो उस पर प्रतिबंध लगाए और नियंत्रित करे, ''हम ईरान द्वारा परमाणु हथियार प्राप्त करने के खिलाफ है, परन्तु हम ईरान के साथ अपने तरीके से निपटना चाहेंगे और अमरीका के आदेशों के अनुसार नहीं चलेंगे। भारत सरकार ने अमरीकी दबाव में आकर पहले ही आईएईए में दो

अवसरों पर ईरान के खिलाफ मतदान किया है। भारत किसी भी देश का कैम्प–अनुयायी बनकर नहीं चल सकता है।

iv) हाइड एक्ट अमरीकी प्रेजीडेण्ट से चाहता है कि वे भारत के सैन्य परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखें और इस सम्बंध में सभी घटनाओं पर यूएस कांग्रेस को वार्षिक रिपोर्ट दें।

v) 123 समझौते का कार्यान्वयन दोनों देशों के अपने–अपने कानूनों के अनुसार अमल में लाया जाएगा। अमरीका –चीन 123 समझौते में एक और खण्ड है जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को स्वीकार करने की बात कही गई है जिससे कोई पक्ष संधि का अनुपालन न कर पाने के कारण अपने आंतरिक कानूनों के प्रावधानों को उचित न ठहरा सके। भारत के 123 समझौते में इस प्रावधान को जानबूझ कर हटा दिया गया है।

vi) हाइड एक्ट में प्रावधान है कि अमरीकी प्रेजीडेण्ट हर वर्ष यूएस कांग्रेस को इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि भारत एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री का कहना है कि यह हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त 2006 को राज्य सभा में कहा था कि ''ड्राफ्ट सीनेट बिल में अपेक्षित है कि अमरीकी प्रेजीडेण्ट कांग्रेस को हर वर्ष रिपोर्ट देंगे जिसमें प्रमाणीकरण शामिल है कि भारत अप्रसार संधि तथा अन्य वायदों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहा है। हमने इन प्रावधानों के बारे में अमरीका को स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके खिलाफ है, भले ही इसे गैर–बाध्यकारी बताया जा रहा हो। हमने यह भी बता दिया था कि इससे भावी सहयोग के बारे में अनिश्चितता पैदा होगी और इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं।''

vii) अमरीका के साथ 123 समझौता चालीस वर्षों के लिए है, जिसे आगे दस वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, परन्तु इसमें आईएईए के साथ सुरक्षा–उपायों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिए अनन्त काल तक के लिए हमें बाध्यकारी बनाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, इस संधि की समाप्ति के बाद भी भविष्य में सदा सदा के लिए हम पर अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी बनी रहेगी।

viii) यदि समझौता समाप्त हो जाता है तो भारत को अमरीका से मिले रिएक्टरों, ईंधन, वस्तुतः सभी कल–पुर्जों तक परमाणु सप्लाई की

सभी चीजें वापस करनी पडेंगी।

ix) पृथक्करण योजना बुरी तरह से भारत के खिलाफ जाती है। भारत के पास इस समय कुल 22 थर्मल पावर रिएक्टरों में से 14 रिएक्टरों को आईएईए संरक्षण में रखने होंगे। अमरीका के पास इस समय 250 असैन्य परमाणु सुविधाएं हैं, जिसमें से उसने वालन्टरी आफर एग्रीमेंट के अन्तर्गत केवल चार को ही संरक्षण में रखा है। हमने सभी भावी असैन्य थर्मल पावर रिएक्टरों तथा असैन्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को संरक्षण में रखने का फैसला किया है जबकि ये सभी पूरी तरह से भारत में ही बने हुए हैं। अमरीका के दबाव में हमने 2010 में 'साइरस रिएक्टरों' को बंद करने पर सहमति दे दी है, जिससे हमारे अपने शस्त्रास्त्र कार्यक्रम के लिए प्लूटोनियम की प्रमुख सप्लाई मिलती है।

x) 123 समझौते में निर्धारित है कि जहां तक कोई ऐसी मद है जिसका द्वि–रूप में प्रयोग हो सकता है, अर्थात् ऐसी कोई मद जिसका असैन्य तथा सैन्य रूप में प्रयोग हो सकता है तो अमरीका को जिस उद्देश्य के लिए उसे काम में लिया जाता है, उसे उसी ढंग से सत्यापन करने का अधिकार रहेगा। इसका मतलब यह है कि अमरीकी निरीक्षक भारत आएंगे और अपनी मनमर्जी से इन सभी सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे, जहां इन द्वि–मदी चीजों का इस्तेमाल होता है, वे सुनिश्चित करेंगे कि इनका हमारे किसी सैन्य कार्यक्रम के लिए दुरूपयोग तो नहीं होता है। अमरीका को 'फाल–बैक सेफगार्ड' का अधिकार भी बना रहेगा जिसका मतलब यह है कि यदि किसी कारण से आईएईए निर्णय लेता है कि आईएईए के सुरक्षा–उपाय लागू करना संभव नहीं है तो अमरीका आईएईएस निरीक्षक भेजेगा।

xi) 123 समझौते में भारत को एक तरह से झूठमूठ के अधिकार दिए गए हैं कि यदि विदेशी ईंधन सप्लाई में बाधा पड़ने पर उसके असैन्य रिएक्टरों के निरन्तर कामकाज में बाधा पड़ती है तो वह सुधारात्मक उपाए कर सके। इसे हमारे वार्ताकार बहुत बड़ी उपलब्धि कहकर प्रचार कर रहे हैं। किन्तु कहीं भी भारत सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि ये कौन से सुधारात्मक उपाए हैं?

xii) समझौते में हमारे तथा अमरीका की सहमति में व्यापक विषमताएं हैं जिससे भविष्य में जटिल समस्याएं पैदा होंगी और अमरीका के साथ सम्बंध सुधरने की बजाए द्विपक्षीय सम्बंध बिगड़ने की संभावनाएं बन

जाएंगी।

xiii) हमें याद रखना होगा कि यह दूसरा 123 समझौता है जो भारत अमरीका से कर रहा है। पहला समझौता 1963 में तारापुर रिएक्टरों के लिए हुआ था। जब भारत ने 1974 का परमाणु परीक्षण किया तो अमरीका ने अपनी तरफ से घरेलू कानूनों का उदाहरण देते हुए समझौता समाप्त कर दिया। क्या अब हमें दूसरे समझौते के समय और सावधानी नहीं बरतनी चाहिए?

समझौते के समर्थकों का कहना है कि इस समय यही सबसे अच्छा समझौता है जो भारत कर सकता था। समझ नहीं आता कि इसमें क्या अच्छी बात है? एनपीटी की समीक्षा 2010 में होने वाली है। तब तक हम इंतजार कर सकते थे और तब तक समझौते पर बातचीत होती रहती जिससे भारत को स्पष्ट रूप से ही परमाणु शस्त्रास्त्र देश के रूप में मान्यता मिल जाती। ऐसी क्या जल्दी थी जो हम अब इस समझौते को सम्पन्न करने जा रहे हैं?

सरकार हमारे बारे में दो झूठ फैला रही है। एक यह कि हम अमरीका के साथ उसी प्रकार का समझौता करना चाह रहे थे जब हम सत्ता में थे। दूसरे यह कि श्री वाजपेयी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए थे। जैसा मैंने पहले कहा कि सच्चाई यह है कि हम अमरीका के साथ रणनीतिक भागीदारी चाहते थे। यह प्रक्रिया नवम्बर 2001 में शुरू हो गई थी। रणनीतिक भागीदारी का मुख्य लक्ष्य तीन विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना थाः असैन्य परमाणु गतिविधियां, असैन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम और उच्च टेक्नालॉजी व्यापार। 12/13 जनवरी 2004 को प्रधानमंत्री वाजपेयी तथा प्रेजीडेण्ट बुश द्वारा जारी इसी प्रकार के वक्तव्य में यह साफ तौर पर कहा था कि जहां तक असैन्य परमाणु गतिविधियों में सहयोग का सम्बंध है ''इसमें परमाणु नियामक तथा सुरक्षा मुद्दों के विस्तृत कार्यों को शामिल किया जाएगा।'' 22 मई 2004 को यूपीए सरकार को सत्ता सौंपने से पहले इस विषय पर एनडीए सरकार का यह आखिरी वक्तव्य था। परमाणु नियामक तथा सुरक्षा मुद्दों पर, चाहे जिस तरह की कल्पना क्यों न कर ली जाए, उसे वर्तमान सरकार द्वारा सम्पन्न इस तरह के 123 समझौते का अर्थ नहीं निकाला जा सकता है।

जहां तक सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने की बात का सम्बंध है, तथ्य इस

प्रकार हैः

श्री वाजपेयी ने 24 सितम्बर 1998 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा को सम्बोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत ने, 1996 में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि इससे हमारी क्षमता का क्षरण होता और हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करना पड़ता। किन्तु 1998 परीक्षण के बाद हम सीटीबीटी में दिए गए दायित्वों के कानूनी औपचारिकताओं की तरफ बढने को इच्छुक थे। किन्तु उन्होंने स्पष्ट ही यह शर्त लगाई थी, जब उन्होंने कहा था कि ''हम सीटीबीटी के अनुच्छेद XIV में दिए गए अन्य देशों से बिना शर्त इस संधि के अनुपालन की अपेक्षा करते हैं।'' उनका मतलब यही था कि यदि पांच परमाणु हथियार वाले देश अर्थात् अमरीका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन तथा पाकिस्तान जैसे अन्य देश भी बिना शर्त इस संधि का अनुपालन करने को तैयार है तो भारत भी ऐसा ही करेगा। बाद में यूएस कांग्रेस ने प्रेजीडेण्ट क्लिंटन द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद भी सीटीबीटी को अनुमोदित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया और इस प्रकार सीटीबीटी कभी भी आप्रेशन में नहीं आई और इसलिए भारत ने भी कभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए।

वामपंथी दलों ने मई 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा परमाणु परीक्षणों का विरोध किया था। वे भारत को परमाणु शस्त्रास्त्र सम्पन्न देश नहीं देखना चाहते थे। परन्तु उन्होंने कभी भी परमाणु परीक्षणों अथवा उसके परमाणु शस्त्रास्त्र की भारी मात्रा की आलोचना नहीं की। वर्तमान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 28 मई 1998 को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर परीक्षणों की आलोचना भी की थी। भारत के परमाणु शस्त्रास्त्र कार्यक्रम की प्रतिबद्धता पर उन्होंने प्रश्नचिह्न लगा दिया था। हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार थे। अतः हमारे लिए परमाणु हथियार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए एनडीए के कार्यकाल के दौरान हमारे परमाणु सिद्धांत को जो अन्तिम रूप दिया गया था, वह राष्ट्रीय सुरक्षा का सिद्धांत था। हमने अपने परमाणु सिद्धांत में स्पष्ट कहा था कि हम 'परमाणु हथियारों के प्रथम प्रयोग न करने के सिद्धांत' पर चलेंगे। दूसरे शब्दों में भारत कभी अपने शत्रु पर प्रथम परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। हमने यह भी कहा था कि हम

गैर–परमाणु हथियार वाले देशों पर भी अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। परन्तु यदि कोई देश हम पर परमाणु हथियारों से हमला करेगा तो हम प्रतिकार रूप में उस देश पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे और उसे तहस–नहस करके रहेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने 'विश्वसनीय न्यूनतम निवारक' सिद्धांत तैयार किया था। दूसरे शब्दों में हमारे परमाणु सिद्धांत की विश्वसनीयता हमारे निवारणीय विश्वसनीयता पर निर्भर करती थी। इस समझौते में हमारे परमाणु कार्यक्रम पर सभी प्रकार के नियंत्रण लगाने की विश्वसनीयता को खत्म कर देने की कोशिश की गई है।

सार यह है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह इस समझौते के माध्यम से उस बम का नियंत्रण अमरीकियों को सौंप रहे हैं जिसे अटल जी ने इस देश की सुरक्षा के लिए बनाया था।

पाकिस्तान और चीन पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।

■

राष्ट्रीय नीति से जुड़ी है परमाणु नीति : अटल बिहारी वाजपेयी

भारत–अमरीका समझौते में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। हम दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि एवं विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का स्वागत करते हैं। ऊर्जा पैदा करने के नये साधन जुटाने के प्रयासों का हम समर्थन करते हैं।

जिस विषय पर हमारी चिंता है, वह है भारत की बदलती परमाणु नीति। भारत ने आज तक एक स्वतंत्र परमाणु नीति अपनाई है और विश्व ने इस नीति का, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों का लोहा माना है। चाहे पोखरण के विस्फोट हो या परमाणु बिजली के संयंत्र अथवा कैंसर से लड़ने के लिए अणुशक्ति का उपयोग – परमाणु विज्ञान के सभी क्षेत्रों में विगत दशकों में हमारे वैज्ञानिकों ने अनेकानेक उपलब्धियां हासिल की हैं। यह संभव हो पाया एक स्वतंत्र नीति के कारण, जिसकी कमान हमेशा हमारे हाथ में रही। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या एन.डी.ए. की, एक विषय पर कभी समझौता नहीं किया गया था – और वह था भारत की परमाणु नीति की स्वतंत्रता।

पोखरण में आणविक विस्फोटों के पश्चात् विश्व के कई देशों ने हमारे विरूद्ध अभियान छेड़ दिया था। हमारे सामने गम्भीर आर्थिक एवं सामरिक चुनौतियां थी। उन कठिन परिस्थितियों में भी भारत की परमाणु नीति स्वतंत्र रही।

सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण परमाणु हथियारों के होते हुए भी हमने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत परमाणु शस्त्रों को युद्ध में पहले उपयोग नहीं करेगा। भारत उन राष्ट्रों के विरूद्ध भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिनके पास इस तरह के हथियार नहीं है। हमने credible minimum nuclear deterrent को हमारी परमाणु नीति का केन्द्र बिन्दु माना। हम

नहीं चाहते कि शस्त्रों की होड़ में हम भी लग जाएं। परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए आज भी हम उतने ही कटिबद्ध हैं, जितने कि नेहरू जी के समय थे। विश्व को यह भी भरोसा है कि हमारे परमाणु शस्त्र गैर–सामरिक नियंत्रण में है।

यह सब हम पर किसी ने थोपा नहीं था। यह नीति हमारी अपनी है। हमारी जरूरतों, हमारी महत्वाकांक्षाओं, राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति है। सबको साथ, लेकर, चर्चा कर हमने यह नीति बनाई थी। जनवरी 2003 में यह नीति भारत सरकार ने स्पष्ट रूप में घोषित की थी।

सबसे पहला चिंता का विषय है भारत की तरफ से किया गया यह वायदा कि – भारत के परमाणु कार्यक्रम को सामरिक व गैर–सामरिक – दो भागों में विभक्त किया जाएगा।

सरकार ने यह शर्त मानने से पहले जरूर इस विषय पर वैज्ञानिकों से चर्चा की होगी। विभाजन की तकनीकी कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी जरूर होगी। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या इस विभाजन से सामरिक क्षमता पर असर नहीं पड़ेगा? बदलती परिस्थितियों में भारत की सामरिक जरूरतें भी बदलेंगी। आतंकवाद के इस युग में किस तरह के हथियारों की कब जरूरत होगी, क्या आज हम निश्चयपूर्वक कह सकते है? हमने अगर सामरिक परमाणु कार्यक्रम की सीमा तय कर दी तो भविष्य में क्या हमारे हाथ सदा के लिए बंध नहीं जाएंगे?

हमारे परमाणु शस्त्रों की क्षमता पर परोक्ष रूप से लगाये जाने वाले इस बंधन के बारे में राष्ट्र को विश्वास में लिया जाना चाहिए। इस समझौते में दूसरा चिंताजनक विषय है अमेरीका के साथ मिलकर आणविक पदार्थो के उत्पादन पर रोक लगाने की संधि के लिए प्रयास करने की प्रतिबद्धता। इस संधि में कौन भाग लेंगे? क्या यह जेनेवा में चल रही अंतर्राष्ट्रीय बातचीत से भिन्न है? अगर भिन्न नहीं है तो इस द्विपक्षीय समझौते में भारत की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है? मान लीजिए कुछ राष्ट्रों ने इस संधि की शर्तों को नहीं माना, तो इस घोषणा से भविष्य में हमारे आणविक पदार्थो के उत्पादन पर कहीं एकतरफा रोक तो नहीं लग जाएगी? क्या उसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं पड़ेगा?

हमारे वैज्ञानिक भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए करने में प्रयासरत हैं। क्या इस समझौते से, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों के चलते इन प्रयोगों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा?

थोरियम तकनीक में अगर हम सफल हो गये तो आणविक शक्ति के सदुपयोग में सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी।

इस समझौते में भारत की परमाणु–शक्ति को परमाणु–शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में अमेरीका ने मान्यता नहीं दी है। अमेरिका ने भारत को –मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं – "responsible state with advanced nuclear technology," कहा है। ब्राजील, कनाडा, जर्मनी और जापान के पास अत्याधुनिक परमाणु तकनीक हैं। उसी तरह जैसे कि भारत के पास। पर एक अंतर है। उनके पास परमाणु शस्त्र नहीं हैं, जो कि भारत के पास हैं। क्या इस अंतर के बावजूद इनको मिलने वाली सभी सुविधाएं भारत को भी मिलेगी? या भारत परमाणु शस्त्र वाला राष्ट्र होने के नाते जिम्मेदारियां तो उठाएगा लेकिन उसको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा?

ऐसी जटिल परिस्थितियों में इस समझौते पर राष्ट्र को विश्वास में लेने की हमारी मांग सामयिक है। परमाणु नीति राष्ट्रीय नीति है – किसी एक पार्टी या सरकार की नहीं। इस पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाने की आवश्यकता को कम करके आंका नहीं जा सकता। हमें सरकार से यह अपेक्षा है कि इस समझौते को कार्यान्वित करते समय सदन को विश्वास में लेगी।

अमरीकी कांग्रेस का संशोधन बिल भारत के हित में नहीं

अटल बिहारी वाजपेयी

भारत–अमेरिका परमाणु समझौता मुद्दे पर देश की जनता से कुछ चीजें छिपाई गई हैं। अमरीका के साथ बातचीत के हर दौर में भारत ने रियायतें देकर नुकसान उठाया है। जहां तक हमारी सिविलियन तथा सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने के बारे में आने वाली कीमत का सवाल है, अभी राष्ट्र को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस संबंध में 6 अप्रैल 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य का पाठ प्रस्तुत है:–

पिछली वर्ष जुलाई में मैंने भारत–अमेरीकी परमाणु समझौते पर अपनी आपत्तियां प्रकट की थी। दुर्भाग्य से इस समझौते की प्रगति के साथ मेरा भय सच साबित हुआ है। अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि अमरीका के साथ बातचीत के हर दौर में भारत ने रियायतें देकर नुकसान उठाया है। अमरीकी कांग्रेस में इस समझौते के संशोधन का हाल में मसौदा पेश किया गया है। इस विधेयक के अनुसार जब भारत सात शर्तों को पूरा करेगा तो अमरीकी राष्ट्रपति विधेयक में दिए गए परमाणु सौदों के इन संशोधनों को मंजूर करेंगे। इस प्रकार भविष्य में भारत सरकार के सामने न तो भारत की संसद द्वारा पारित कानूनों या अन्तर्राष्ट्रीय नियम कायदों का कोई मूल्य रह जाएगा और उसे अमरीकी कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों पर चलना होगा।

इससे भी बढ़कर दुख की बात यह है कि यदि अमरीका यह मानता है कि भारत ने अमरीकी कांग्रेस द्वारा पारित कानून बनने के बाद कोई ''परमाणु

विस्फोट किया'' तो इसमें दिया गया संशोधन समाप्त हो जाएगा। इस विधेयक में दिए गए जो दायित्व हम पर डाले गए हैं, वे तो सीटीबीटी से भी कहीं अधिक कड़े हैं। सीटीबीटी तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक स्वयं अमरीका, चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देश इनका पालन नहीं करती। इस बिल के पारित होने पर भारत पर परमाणु विस्फोट करने पर लगाई गई रोक पर सदा–सदा के लिए और अधिक कानूनी बंधन लग जाएगा और भारत किसी भी विशेष हालत में भी इससे पीछे नहीं हट पाएगा, जैसा कि सीटीबीटी में प्रावधान है। हम इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

जब चीन के लिए अमरीका का परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया था तो चीन को चिरन्तन काल के लिए छूट दी गई थी। भारत के मामले में यह यात्रा सामयिक है। राष्ट्रपति इस बारे में समय–समय पर अपना निर्धारण करते रहेंगे कि भारत ने इस अधिनियम में दी गई शर्तों का पालन किया है या नहीं। हमें यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है।

प्रधानमंत्री ने अमरीका को आश्वासन दिया है कि यदि अमरीका या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह अपने वायदे पर कायम नहीं रहते हैं तो भारत इस सौदे के अन्तर्गत अपनी वचनबद्धता से बाहर निकल आएगा। यह तर्क अत्यंत दोषपूर्ण है। जहां तक हमारी सिविलियन तथा सैन्य परमाणु सुविधाओं को अलग करने के बारे में आने वाली कीमत का सवाल है, अभी राष्ट्र को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक विश्वसनीय अनुमान के अनुसार यह कीमत बहुत भारी महंगी पड़ेगी। क्या यह खर्च बेकार नहीं चला जाएगा? हम भारी कीमत से परमाणु शक्ति संयंत्र लगाने की योजना पर विचार कर रहें हैं। ऐसे में यदि अमरीकी राष्ट्रपति गलत निर्धारण कर ईंधन की आपूर्ति रोक देंगे तो हमारे इतने भारी निवेश का क्या होगा?

हमारे प्रतिभाशाली तथा समर्पित वैज्ञानिकों तथा तकनीकीविदों ने पिछले छह दशकों में बड़ी निष्ठा से ईंट–दर–ईंट भारत की परमाणु क्षमताओं का विकास किया है। 1969 में भारत ने एनपीटी को स्वीकार नहीं किया था और विशेष रूप से 1974 तथा 1998 के परमाणु परीक्षणों से लेकर अब तक व्यापक सहमति के आधार पर अपना परमाणु कार्यक्रम तैयार किया है। यदि हमने न्यूनतम परमाणु निवारक क्षमता के अपने इस अपार भण्डार को बंद कर दिया तो राष्ट्र को भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरह हमारे पड़ोसी परमाणु शस्त्रों पर कोई बाधा नहीं होगी।

कम से कम भारत को इतना जोर तो देना ही चाहिए कि चीन की तरह अमरीकी राष्ट्रपति को विधेयक में संशोधान चिर स्थायी बना देना चाहिए। इसके अलावा, यदि चीन अथवा पाकिस्तान जैसा कोई भी अन्य देश परमाणु परीक्षण करता है तो भारत को भी ऐसा परीक्षण करने का अधिकार बना रहेगा। ■

सत्ता में आए तो समझौते पर होगा पुनर्विचार : आडवाणी

गत 28 नवम्बर 2007 को लोकसभा में भारत–अमेरीका परमाणु समझौता पर बहस हुई। बहस के दौरान प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए सत्ता पक्ष व विशेषकर प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को निरूत्तर कर दिया। हम यहां श्री आडवाणी जी द्वारा संसद में दिये गये भाषण के कुछ प्रमुख बिन्दुओं को प्रकाशित कर रहे हैं:–

भारतीय संसद के इतिहास में अब तक हुई बहसों में यह बहस अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु विडंबना है कि आज की सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें वह ढीठ बनकर दावा करती है कि संसद में बहुमत का चाहे जो दुष्टिकोण हो, उसका इस मामले में लिए गए निर्णय पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

मेरे पास 20 जुलाई 2005 को वाशिंगटन में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ट्रांस्क्रिप्ट है। परमाणु सहयोग पर प्रधानमंत्री तथा प्रेसीडेंट बुश के बीच 18 जुलाई को जारी संयुक्त वक्तव्य के दो दिन बाद उन्होंने इस प्रेस सम्मेलन को संबोधित किया था।

प्रश्न: मि. प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको लगता है कि आपके सहयोगी दलों और विपक्ष इस नए भारत-अमरीका समझौते को लागू करने में किसी प्रकार का प्रतिरोध करेगा? और क्या आप विदेश नीति के इस मामले में नया

निर्देश संसद की आम सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे?

प्रधानमंत्री डा. सिंहः देखिए, हमारे देश में संसद सोवरेन (संप्रभु) है। जब मैं स्वदेश लौटूंगा तो संसद में बयान देने का मेरा इरादा है। और यह कहने की बात नहीं है कि हम केवल व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति होने के आधार पर ही आगे बढ़ सकते है।

प्रधानमंत्री से मेरा सवाल हैः जब यह स्पष्ट है कि इस समझौते पर जब कोई व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति नहीं है तो वे क्यों इसे लागू करने पर तुले पड़े हैं? वे क्यों नहीं संसद की व्यापक आम सहमति प्राप्त करने के लिए इस समझौते पर फिर से बात नहीं करते, जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा था कि संसद संप्रभु है?

पिछले सत्र में एनडीए में हमने जेपीसी बनाने की मांग की थी। सरकार सहमत नहीं हुई। इसकी बजाए, उसने यूपीए–वामपंथी समन्वय समिति बना दी।

संसद को यह जानने का आधिकार है कि अभी तक इस समिति ने क्या काम संपन्न किया है। अभी तक इसकी छह बैठकें हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्टों से लगता है कि हर बार इसका परिणाम यही निकला है कि अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। परंतु कमेटी में कांग्रेस सदस्यों का छिपा एजेंडा लगता है कि 'डील बचाओ' और अब कमेटी के कम्युनिस्ट सदस्यों का छिपा एजेंडा लगता है कि 'बंगाल बचाओ'। इस प्रकार परमाणु समझौते पर बातचीत होने की बजाए कमेटी की बहस एक दूसरे को बचाने की रणनीति पर जाकर खत्म हो गई है।

समझौते 123 पाठ का अनुच्छेद 16.2 कहता है कि यह 40 वर्ष तक लागू रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बात तो जरा भी समझ में नहीं आती कि इतनी लंबी अवधि के समझौते को लेकर यह सरकार इतना दुःसाहस कर रही है।

13 अगस्त 2007 को समझौते 123 पर डा. मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा थाः 'जैसा मैंने पहले कहा यह समझौता परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग पर भारत और अमरीका के बीच सहयोग का समझौता है। इसकी उत्पत्ति के पीछे हम दोनों देशों –भारत और अमरीका की यह साझा समझ है कि हमें अपनी ऊर्जा चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।'

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यही है कि अमरीका परमाणु ऊर्जा को

प्रमुख विकल्प के रूप में नहीं देख रही है –अत्यधिक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में ऊर्जा चुनौतियों के समाधान की तो बात ही बिलकुल अलग है। वास्तव में, पिछले कई वर्षों से अमरीका में एक भी नया परमाणु रिएक्टर बना तक नहीं है।

अब जहां तक भारत का संबंध है, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गाधी भारत के ऊर्जा संकट को परमाणु समझौते को रामबाण उपचार के रूप में मानकर चल रहे हैं।

31 अगस्त को तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र पर बोलते हुए डा. मनमोहन सिंह ने चेतावनी दी थी कि भारत किसी भी तरह से 'परमाणु बस' छोड़ नहीं सकता है। मैं उद्धृत करता हूंः उन्होंने कहा– आज विश्व भर में परमाणु उत्थान की बात चल रही है और हम इन वैश्विक घटनाओं को देखते हुए इस (बस) को छोड़ नहीं सकते या पीछे नहीं रह सकते।'

श्रीमती सोनिया गांधी तो एक कदम और आगे चली गईं। अक्टूबर में हरियाणा की झज्जर रैली में उन्होंने घोषणा की 'जो लोग समझौते का विरोध कर रहे हैं, वे केवल कांग्रेस के दुश्मन नहीं, बल्कि भारत के विकास के दुश्मन हैं।' यह बात और है कि उसी दिन कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग ने प्रेस को बताया कि उनकी टिप्पणी 'हरियाणा–विशिष्ट' के लिए थी।'

'विकास के दुश्मन'? मैं विश्वास नहीं कर पाता कि सोनियाजी एनडीए को या यूपीए में अपनी ही पार्टी के वामपंथी सहयोगी दलों को 'दुश्मन' कह सकती हैं। मेरे पास योजना आयोग विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है 'इंटीग्रेटेड एनर्जी पालिसी'। इसे 2006 में जारी किया गया था और इसलिए इसमें परमाणु समझौते पर किए गए सभी वायदों को लिया गया है। समिति के अध्यक्ष डा. किरीट पारेख थे और परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन भी इस समिति के सदस्य थे।

भारत की परमाणु बिजली क्षमता इस समय लगभग 4000 मेगावाट है। रिपोर्ट में कहा है 'यदि 2031–32 तक भारत की परमाणु बिजली क्षमता बढ़कर 20 गुणा भी हो जाती है तो भारत की मिश्रित ऊर्जा में भारत की परमाणु ऊर्जा का अंशदान अधिक से अधिक 4.0–6.4 प्रतिशत रहेगा।' याद रखिए कि रिपोर्ट में भारत–अमरीकी समझौते से होने वाली आयातित परमाणु ईंधन की 'इष्टतम परिदृश्य' की अधिकांश आपूर्ति को ध्यान में रख कर किया गया है। इसमें कहा है कि सर्वोत्कृष्ट परिदृश्य में भी 2030 तक हमारा परमाणु बिजली उत्पादन 63000 मेगावाट से अधिक नहीं होगा। अर्थात् देश

की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 6 प्रतिशत से भी कम रहेगा। परंतु मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से स्पष्ट रूप में बताना चाहूंगा 'आप की पार्टी का यह वायदा लोगों को बेवकूफ बनाकर परमाणु समझौते के माध्यम से बिजली की कमी का समाधान करना चाहती है, जबकि भाजपा और अन्य लोग हैं जो आपको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं और इसीलिए वे भारत के विकास के दुश्मन हैं।'

इसलिए कांग्रेस के नेताओं को ईमानदारी से लोगों के सामने मान लेना चाहिए कि यह समझौता अमरीका के साथ नए रणनीतिक संबंधों के बारे में है जिसमें भारत उसके अधीन रहने वाला पार्टनर बना रहेगा।

अगर यह भारत को कुछेक परमाणु रिएक्टरों को बेचने मात्र की बात है तो हम इतने सारे प्रमुख अमरीकी राजनीतिज्ञों और सार्वजनिक दिग्गजों को नई दिल्ली आते हुए नहीं देखते और जो सरकार तथा विपक्ष के लोग से बात करते।

यूएस अंडर सेक्रेटरी आफ स्टेट फार पॉलिटिकल अफेयर्स समझौते के प्रमुख वार्ताकार निकोलस बर्न्स ने 27 जुलाई को 123 समझौता संपन्न होने के तुरंत बार बहुत साफ शब्दों में कहा था– 'इस समझौते से भारत फिर से इस ढंग से अप्रसार संधि की मुख्यधारा में मिल जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था।' दूसरे शब्दों में पीछे के दरवाजे से भारत एनपीटी व्यवस्था में प्रवेश करने में अमरीका ने डा. मनमोहन सिंह को मनाने में सफलता प्राप्त कर ली है जिसका इंदिरा गांधी से लेकर हरेक प्रधानमंत्री ने अब तक विरोध किया है। अक्टूबर में बर्न्स ने समझौते की रणनीतिक प्रकृति को और स्पष्ट किया था। उन्होंने इसे भारत–अमरीका रणनीतिक संबंधों का प्रमुख केंद्र बताते हुए कहा था कि भारत 21वीं शताब्दी में अमरीका के लिए क्यों महत्वपूर्ण बन गया है। 'अब से 20 या 30 वर्ष पहले अनेक अमरीकी कहते थे कि भारत विश्व के दो या तीन महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है –जैसा कि आज जापान या यूरोपियन यूनियन है।'

अध्यक्ष महोदय, हमारे आलोचक हमें बताते हैं 'परंतु आपने अमरीकियों से वार्ता शुरू की। यदि आप सत्ता में होते तो आप इसी समझौते पर हस्ताक्षर करते।' मैं आपको इस विषय पर प्रमुख विशेषज्ञ एशले टेलीस का एक इंटरव्यू का उद्धरण देता हूं, जो अमरीकी वार्ताकारों के निकट काम कर रहे थे। वे सरकार और विपक्ष दोनों के लोगों से मिले। वह एक विद्वतापूर्ण पुस्तक के लेखक हैं जिसमें भारत के परमाणु शस्त्रागारों की अमरीकी नीति पर संकल्पनात्मक ढांचा प्रस्तुत किया है।

जुलाई 2006 में रेडिफडॉटकाम ने उनका इंटरव्यू लियाः

प्रश्नः इस समझौते पर वाजपेयी सरकार के साथ कोई समझौता क्यों नहीं हो सका?

टेलीसः समझौता इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वाजपेयी सरकार ने इस समझौते के बदले अमरीका को कुछ देने की पेशकश नहीं की। हमें (प्रधानमंत्री) डा. मनमोहन सिंह की सरकार से अधिक मिल सका।

प्रश्नः आप वाजपेयी सरकार से क्या चाहते थे जो आपको नहीं मिल सका?

टेलीसः मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

मैंने इसे ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया है जो आम आदमी समझ सकता हैं

- 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पोखरण–I का परीक्षण कर भारत का गौरव बढ़ाया।
- श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण–II का परीक्षण कर और अधिक गौरव बढ़ाया।
- परंतु डा. मनमोहन सिंह यह समझौता कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आगे पोखरण III नहीं होगा।

इस समझौते के सरकार और इसके बाहर वाले समर्थकगण दावा कर रहे हैं कि 123 समझौते में ऐसा कुछ नहीं है कि भारत को परीक्षण करने का अधिकार नहीं रहेगा। वास्तव में, 13 अगस्त 2007 को लोकसभा में डा. मनमोहन सिंह ने आपने वक्तव्य में पुष्टि की थी कि यह समझौता किसी तरह से भी, यदि भारत के राष्ट्रीय हित में होगा तो भारत को भविष्य में परमाणु परीक्षण करने से नहीं रोकता है। इसलिए मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि भविष्य में परमाणु परीक्षण करने का निर्णय हमारा संप्रभू निर्णय है जो पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। समझौते में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी भावी सरकार के हाथ बांधता हो या कानूनी रूप से भारत की सुरक्षा या प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं पर रोक लगाता हो।''

अध्यक्ष महोदय, हाइड एक्ट की धारा 106 खुल्लमखुल्ला भारतीय परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। इसमें दंडात्मक प्रावधान भी है जिन्हें अपनाया जा सकता है, जिसमें अमरीका द्वारा परमाणु रिएक्टरों तथा भारत को बेची अन्य सामग्री की वापसी का अधिकार देता है। 123 समझौते में इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने की मान्यता देता

है।

अतः 123 समझौता हाइड एक्ट का उल्लंघन कर, नहीं किया जा सकता है।

वास्तव में 27 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में 123 समझौते के अंतिम रूप दिए जाने के बाद निकोलस बर्न्स के प्रेस सम्मेलन को संबोधित किए पाठ का पूरा अंश मेरे पास उपलब्ध है।

रिपोर्टर का प्रश्नः हाइड एक्ट में अमरीकी कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है तो भारत के साथ अमरीका का सहयोग समाप्त हो जाएगा... यदि आप भारत को आश्वासन देते हैं कि अमेरीका की ईंधन आपूर्ति में बाधा नहीं पड़ेगी चाहे कुछ भी होगा तो कानून का कैसे अनुपालन होगा?

इस प्रश्न पर श्री बर्न्स का जवाब देखिए। उन्होंने कहाः 'पहली बात तो यही है कि हम इस बारे में आखिरी बार बातचीत शुरू करते हुए बहुत सावधान थे कि हमने भारत सरकार को याद दिला दिया था कि क्योंकि प्रेसीडेंट तथा प्रधानंमत्री ने जुलाई 2005 और मार्च 2006 में दो समझौते किए थे कि कुछ और घटित हो सके। (अमरीकी) कांग्रेस ने उन समझौतों पर 6–7 महीने तक बहस की थी और कांग्रेस ने हाइड एक्ट पारित किया था। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अमरीका–भारत असैन्य परमाणु समझौते, 123 समझौता हाइड एक्ट के साथ पूरी तरह मेल खाए और यह स्वयं हाइड एक्ट की सीमाओं से बंधा रहे।'

माननीय सदस्यों को श्री बर्न्स के दो प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होगाः

1. उन्होंने भारतीय वार्ता दल को याद दिलाया था कि घटनाओं के क्रम में डा. मनमोहन सिंह और प्रेसीडेंट बुश के बीच दो समझौतों के बाद हाइड एक्ट आया।

इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि 'अमरीका–भारत असैन्य परमाणु समझौता, 123 समझौता पूरी तरह से हाइड एक्ट के साथ मेल खाए तथा हाइड एक्ट की सीमा से बंधा रहे।'

मैं हाइड एक्ट पारित होने से पूर्व 17 अगस्त 2006 को (राज्य सभा में) प्रधानमंत्री द्वारा सदन को दिए गए स्पष्ट आश्वासन की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था 'यदि अंतिम रूप से, अमरीकी कानून या अपनाई गई एनएसजी गाइड लाइन भारत पर बाहर से लादी जाती है तो सरकार आवश्यक नतीजे पर पहुंचेगी जो मैंने संसद को वचन दिया है।' अब हम

सभी जानते हैं कि अंतिम रूप से अमरीकी कानून भारत पर बाहर से शर्तें लाद रहा है। उदाहरण के लिए हाइड एक्ट पूरी तरह से भारत द्वारा भविष्य में परमाणु परीक्षण का निषेध करता है।

अध्यक्ष महोदय, इस बहस से मुझे कहावत याद आती हैः 'जल्दबाजी करो, फिर पछताओ। यूपीए सरकार 123 समझौते पर बिना बात जल्दबाजी कर रही है और भारत को आने वाले दशकों में पछताना पड़ सकता है।

बहुत पहले देश को सरकार की विफलताओं के कारण पछताना पड़ा था, जब उस समय सरकार को परमाणु बम बनाने का काम करना चाहिए था।

यदि कांग्रेस सरकार ने 1960 के दशक में चीन द्वारा 1964 में लेपनोट में अपने पहले परीक्षण के बाद परमाणु शस्त्र बना लिया होता, जिसकी उस समय जनसंघ ने मांग की थी, तो हमें आज यह बहस न करनी पड़ती और न ही यह 123 समझौता करना पड़ता। क्योंकि उस समय वैसा करने से भारत को 1970 में बनी परमाणु अप्रसार संधि के अन्तर्गत परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश मान लिया जाता।

और भारत को किसी भेदभाव बिना अपने परमाणु ऊर्जा कार्यकम के लिए परमाणु ईंधन तथा टेक्नालाजी मिल सकता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनपीटी में केवल पांच देशों को परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्य माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1970 से पहले परीक्षण कर लिए थे। और दूसरे देशों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। भारत के मामले में इससे भी खराब बात यह है कि भारत को वैध अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपने परमाणु ऊर्जा बढ़ाने से वंचित किया जा रहा है।

जनसंघ ने दिसम्बर 1962 में संसद में परमाणु शस्त्र के विकास की मांग की थी। तब मेरी पार्टी ने 1962 में चीनी हमले में भारत की हार के बाद यह मांग रखी थी। तब हम हारे थे क्योंकि हमारी मिलिटरी आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई थी।

भारत के परमाणु कार्यक्रम के निर्माता डॉ. होमी भाभा अच्छी तरह से जानते थे कि चीन का परमाणु परीक्षण बहुत दूर नहीं था (उनका अनुमान लगभग 12 से 18 महीने का था), उन्होंने गोपनीय ढंग से चीन के साथ अपने को खड़ा करने के लिए नेहरू से परमाणु परीक्षण की इजाजत मांगी थी।

4 अक्टूबर 1964 को लन्दन यात्रा के दौरान डॉ. भाभा ने घोषणा की थी कि यदि ऐसा निर्णय लिया गया तो भारत 18 महीने में परमाणु बम तैयार

कर सकता है; किन्तु उन्होंने ये भी कहा कि ''मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई निर्णय हो पाएगा।'' भाभा ने तर्क दिया था कि परमाणु सम्पन्न शस्त्र होने से कोई देश अपने से ज्यादह ताकतवर देश के हमले से अपनी रक्षा कर सकता है।'' (पर्कोविच 1999; पृ. 67)।

10 वर्ष बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने पोखरण–I का परीक्षण कर अपनी उस भूलको कुछ सुधारा था। हमने, जनसंघ ने उनका पूरे दिल से स्वागत किया था, उन्हें बधाई दी थी, हालांकि उस समय हम उनके विरूद्ध गम्भीर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे।

इसकी तुलना में, जब वाजपेयी सरकार ने 1998 में साहसी कदम उठा कर पोखरण II का परीक्षण किया तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखिए। डॉ. मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में इस पर तीखा हमला किया था। अभी तक भाजपा ने कभी भी किसी सरकार की आलोचना नहीं कि वह रक्षा मामलों में भारत की सम्प्रभुता को किसी भी तरह कम करे दरअसल हमने तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद भारत–सोवियत रक्षा संधि का समर्थन तक किया था। भारत अभी तक सभी प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में एक सम्प्रभुता–सम्पन्न और स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। परन्तु, प्रश्न यह है कि उनमें बहुतों ने, न जाने किन कारणों से भारत को परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र घोषित करने के लिए परमाणु परीक्षण के लिए अन्ततः उपाए नहीं किए। भाजपा की राय में उनके इस संकोच ने भारत को कमजोर बनाए रखा।

पोखरण–I और पोखरण–II के कारण अमरीका ने भारत की निंदा की और प्रतिबंध लगाए। अमरीका द्वारा पोखरण I और पोखरण II में लगाए गए प्रतिबंध और उठाए गए दण्डात्मक उपाए उसके अपने एक तरफा निर्णय थे। हमने अपना काम किया और इसकी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई।

परन्तु 123 समझौता और हाइड एक्ट जिस पर यह आधारित है, उसमें स्पष्ट है कि यदि पोखरण III किया गया तो दण्डात्मक उपाए किए जाएंगे।

हां, परामर्श का प्रावधान है, जिसमें भारत अमरीका को स्पष्टीकरण दे सकता है कि किन परिस्थितियों में पोखरण III किया गया और यदि इस स्पष्टीकरण से अमरीका संतुष्ट रहता है तो दण्डात्मक उपाए न करे। परन्तु यदि वह सन्तुष्ट नहीं है तो दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारत को इसी शर्त के साथ पोखरण III करने की स्वतंत्रता की बात कही जाती है।

अध्यक्ष महोदय, भला कौन सा ऐसा स्वाभिमानी देश है और मेरा मतलब सम्प्रभु–सम्पन्न देश है– कि वह किसी भी द्विपक्षीय समझौते में इस प्रकार

की दण्डात्मक कार्रवाई पर सहमत हो सकता है? अतः हम स्पष्ट रूप से एक तरफ पोखरण I और पोखरण II और दूसरी तरफ पोखरण III के परिणामों के बीच मौलिक अंतर देखते हैं।

विगत में अमरीका द्वारा भारत के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई उसका अपना एक तरफा निर्णय था। भविष्य में ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई, यदि की जाती है तो भारत के अपने द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत सहमति से होगी।

श्री सुब्रह्मणियन जैसे लोगों ने जो कुछ कहा, उसके विपरीत भारत का चाहे भविष्य में जो भी प्रधानमंत्री हो, उसे ऐसे दण्डात्मक कार्रवाई को भुगतना होगा।

क्या यह भारत की सम्प्रभुता का उल्लंघन नहीं है तो मुझे कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय सम्प्रभुता की परिभाषा ही बिल्कुल अलग है। और इस भारत की सम्प्रभुता के इस उल्लंघन को डॉ. मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना है।

मान लीजिए कि भविष्य में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने– मान लीजिए 2020 में– राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण पोखरण III का परीक्षा करना आवश्यक हो जाता है और वह 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह और 1998 में श्री वाजपेयी की तरह परिणामों की परवाह किए बिना परमाणु परीक्षण करता है।

और मान लीजिए कि भविष्य में अमरीका का तत्कालीन प्रेसीडेण्ट भावी प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण से पोखरण की आवश्यकता पर सहमत नहीं होता है और वह 123 समझौते के प्रावधान लागू कर देता है, जिस पर डॉ. मनमोहन सिंह ने हस्ताक्षर किए है तो वह अपने परमाणु रिएक्टर वापस मंगा लेता है तथा अन्य दण्डात्मक उपाए करता है।

डॉ. मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी, तो क्या आप श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री अटलबिहारी वाजपेयी, के जो पोखरण III का परीक्षण करता है, उस योग्य उत्तराधिकारी पर ऐसे दोष मढ़ना चाहते हैं? क्या आप यह बात नहीं समझते कि आप भारतीयों की अगली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायी नहीं है?

बहुत से सरकारी वार्ताकारों ने हमसे पूछा हैः ''लेकिन भारत पहले ही परमाणु–परीक्षण स्थगन पर सहमत हो चुका है। इसलिए आपको पोखरण प्प् के प्रतिबंधों पर चिंता क्यों है?''

मैं आपको बता दूं कि डॉ. मनमोहन सिंह ने भी श्री वाजपेयी से पिछले सप्ताह उनके निवास पर एकतरफा स्थगन का उल्लेख किया था। मैं भी उस बैठक में उपस्थित था। मैं प्रधानमंत्री और सभी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वाजपेयी सरकार ने पोखरण II के बाद जो घोषणा की थी वह एक तरफा स्थगन था। कानूनी वार्ता और प्रेक्टिस में एक तरफा स्थगन से हम पर कोई बाध्यकारी वचन नहीं लिया जाता है।

रूसी औपचारिक सूत्रों के अनुसार, भारत का अमरीका के 123 समझौते के समकक्ष एक इंटरगवर्नमेंटल समझौता शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए तैयार था, परन्तु आखिरी मिनिट में भारत उससे पीछे हट गया। क्यों, कैसे और इस नकारात्मकता के निहितार्थ यदि बहुत सी चीजें है जिनमें भारत असैन्य सहयोग पर अलग से विश्लेषण करने की जरूरत होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि वर्तमान स्थिति में 123 समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह दीर्घकालीन हितों के लिए भारत के लिए हानिकारक है। और मैं सरकार में बैठे अपने सभी मित्रों और अमरीका के अपने मित्रों को बता देना चाहूंगा कि यदि हमें फिर से जनादेश मिला और अपने इस महान देश की सेवा करने का अवसर मिला तो भाजपा भारत की हितों को सुरक्षित रखने के लिए इस समझौते पर फिर से बातचीत करेगा। ■

रणनीतिक स्वतंत्रता को रणनीतिक अनुचरता में न बदले यूपीए सरकार

राजनाथ सिंह (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा)

भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर भाजपा का मत पहले से ही स्पष्ट है। इस समझौते की दिशा में समय–समय पर सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर हम अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करते रहे है। परन्तु पिछले दिनों वामपंथी दलों ने इस विषय को जिस रूप में उठाया वह राष्ट्रीय हितों से कम और पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिक प्रतीत होता है। इस समझौते पर हमारा विरोध न केवल विरोध के लिए था और न ही वामपंथी दलों की तरह अंध अमेरिका विरोध के लिए था। हमारा विरोध देश की सम्प्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए था। हमारा विरोध रणनीतिक स्वतंत्रता को रणनीतिक अनुचरता (पिछलग्गूपन) में बदलने से रोकने के लिए था।

भाजपा पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर न किसी देश के विरोध में है न समर्थन में। जहां तक अमेरिका का संबंध है भारत अमेरिकी संबंधों का सबसे शानदार समय वाजपेयी सरकार का समय था। हमने भारत अमेरिका संबंधों में युगान्तर स्थापित किया। पहले 1998 में पोखरण विस्फोट करके अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष किया। 1999 में आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करते हुए भी सीएटल की विश्व व्यापार संगठन बैठक में भारत के आर्थिक हितों के विरुद्ध प्रस्ताव नहीं पारित होने दिये। यानि अपने सामरिक और आर्थिक दोनों हितों की रक्षा करते हुए स्वाभिमान के साथ बराबरी के स्तर पर अमेरिका के साथ दोस्ती का नया अध्याय प्रारंभ किया। अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों का सबसे शानदार अध्याय भी एनडीए सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। हम इसे आगे भी जारी रखना चाहते है।

कांग्रेस हो अथवा वामपंथी दल इन सभी ने 1998 में पोखरण विस्फोट का विरोध किया था। वामपंथियों ने इसे अनावश्यक तक कहा था। वामपंथी

1964 में चीन के परमाणु विस्फोट का समर्थन करते थे परन्तु 1998 में भारत के परमाणु विस्फोट का विरोध करते थे। परन्तु आज वे परमाणु विस्फोट की स्वतंत्रता के समर्थक हो रहे है। अतः स्पष्ट है कि कांग्रेस और वामपंथी दोनों को भारत की आणविक क्षमता से कोई सरोकार न पहले था और न अब है। वे परमाणु मुद्दे पर केवल राजनीति की रोटी सेंक रहे है।

भारत सरकार ने परमाणु समझौते पर भारत के दीर्घकालिक सामरिक हितों के साथ समझौता करने की गलती की है। हम किसी भी कीमत पर अपनी आणविक सम्प्रभुता पर नियंत्रण और विदेश नीति पर दबाव स्वीकार नहीं कर सकते। अतः हमारा यह मानना है कि भारत–अमेरिका परमाणु समझौते को अंतिम रूप में स्वीकार करते हुए लागू करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनारावृति न हो इसके लिए यह व्यवस्था की जाए कि अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन संसद की पुष्टि के बाद ही हो सकता है। क्योंकि संसद देश के जनमानस की सामूहिक अभिव्यक्ति और आकांक्षा को परिलक्षित करती है। किसी भी संधि पर संसद का अनुमोदन यह सुनिश्चित करेगा कि कभी भी सत्ताधारी दल अथवा दलों की पूर्वाग्रह की छाया राष्ट्रीय हितों पर न पड़ सकें। ***(सितम्बर 2007 के अध्यक्षीय भाषण से संकलित)*** ■

यूपीए सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना : वेंकैया नायडू

अमेरिका के साथ परमाणु करार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैश्विक दौर में संबंधों के बदलते आयाम ने अमेरिका को हमारे करीब कर दिया है, इसलिए उसके साथ नजदीकी संबंध बनाने में हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन समझौते का वर्तमान प्रारूप देश के साथ धोखा है। इसके प्रावधान हमारे नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं। सरकार तो यह भ्रम फैला रही है कि इस संधि से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिल गई है जबकि हकीकत यह है कि समझौते के बाद भारत का दर्जा गैर परमाणु हथियार वाले देश के बराबर हो जाएगा।

सरकार ने इस मसले पर बेहतर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। समझौते से जुड़ी जितनी भी आशंकाएं थीं उसके बारे में सरकार ने संसद और देश की जनता को गुमराह किया। सरकार ने कई गलत जानकारियां दीं और कई ऐसे आश्वासन दिए जो पूरे नहीं किए गए। मेरी राय तो यहां तक है कि ऐसे मसले पर संविधान और कानूनों में उचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रुभता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले समझौतों के लिए संसद की मंजूरी अनिवार्य बन जाए।

अब आइए ऐतराज के पक्ष पर, एक तो यह है कि 123 करार हाइड एक्ट प्रावधानों से बंधा है। हाइड एक्ट अमेरिकी कानून का हिस्सा है जबकि करार अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए यह कहीं से भी तर्कसंगत नहीं जान पड़ता कि हाइड एक्ट करार को नियंत्रित करे। हाइड एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 123 समझौता कभी भी रद्द हो सकता है। इसमें न केवल परमाणु परीक्षण बल्कि अमेरिकी विदेश नीति को समर्थन न देने की स्थिति में भी समझौता खत्म करने का प्रावधान है। वैसे हमारा मूल विरोध परमाणु परीक्षण के हमारे अधिकार को ताक पर रखने को लेकर है। यह देश की संप्रभुता और विदेश नीति के लिए खतरे वाली बात है। सरकार ने इस बिंदु पर देशहित की बलि चढ़ा दी है। अगले चुनाव में अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो करार के इस स्वरूप को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका से इस मसले पर फिर से बातचीत की जाएगी। अगर अमेरिका नहीं माना तो ऐसे डील को तिलांजलि दे दी जाएगी। हमारा विरोध वाम दलों से अलग है। वाम की तरह हमारा विरोध इसलिए नहीं है कि हम अमेरिका को अछूत मानते हैं। करार की अहमियत न सिर्फ बदलते वैश्विक दौर की नई व्यवस्था बल्कि उर्जा की मांग के कारण भी अनिवार्य है किंतु हमें अपने अधिकारों को भी देखना होगा। वर्तमान सरकार इसी चीज को नहीं देख पा रही है इसलिए इस सरकार का हटना अनिवार्य समझा जाना चाहिए। ■

संप्रग को सबक सिखाएगी जनता : लालकृष्ण आडवाणी

पिछले दिनों भारत–अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर वामपंथी दलों ने संप्रग सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण सरकार अल्पमत में आ गई। इसके परिणामस्वरूप 21 जुलाई, 2008 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में विश्वास–मत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विश्वास–मत प्रस्ताव पर दोनों दिन लंबी बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप–प्रत्यारोप लगाए गए। भाजपा की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री अनंत कुमार, श्री शाहनवाज हुसैन एवं श्री खारबेल स्वाईं ने अपने तथ्यपूर्ण भाषण से संप्रग सरकार की नाकामियों पर जमकर प्रहार किए। भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार परमाणु समझौते के मुद्दे पर देश की संप्रभुता को खतरे में डालते हुए अमेरिका के सामने घुटने टेक रही है। हम यहां लोकसभा में विश्वास–मत प्रस्ताव पर भाजपा सांसदों द्वारा दिए गए भाषण के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यू.पी.ए) सरकार मई, 2004 में बनी थी। इसने 22 मई, 2004 को शपथ ग्रहण की थी। वास्तव में, यह सरकार काफी लम्बे समय से निष्क्रिय रही है। मैंने 1952 से नई दिल्ली में लगभग सभी सरकारें देखी हैं। कुछ कमजोर और अल्पकालिक सरकारें भी रही हैं। लेकिन मैंने ऐसी सरकार कभी नहीं देखी जो इतने लम्बे समय तक

लकवाग्रस्त रही हो।

मैंने 15 दिन पहले, कहा था कि सरकार की हालत इतनी खराब है कि वह आई.सी.यू. में भर्ती है। इस भयानक रोगग्रस्त सरकार का कल क्या होगा, यह प्रश्न सभी भारतीयों के दिमाग में है।

प्रधानमंत्री ने स्वयं यू.पी.ए. सरकार को अस्थिर कर दिया है

अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है कि आज की बहस इस बात पर केन्द्रित है कि प्रधानमंत्री को अब विश्वासमत हासिल करना क्यों पड़ रहा है? लकवाग्रस्त रहते हुए भी वह पूरे पांच साल तक सत्ता में बनी रह सकती थी। क्यों डॉ0 मनमोहन सिंह की सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है? यह अपने आप ही क्यों फंस गयी है और देश को इस संकट में क्यों डाल दिया?

पहला मुद्दा जिस पर मैं बल देना चाहूंगा। वह है कि विपक्ष ने अस्थिरता पैदा करने में कोई भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि सही बात यह है कि सरकार ने खुद ही अपने को अस्थिर कर लिया है। मैं एक कदम और आगे जाकर दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने ही व्यक्तिगत रूप से अपनी सरकार को अस्थिर बना लिया है। इस बिन्दु को समझना जरूरी है। क्योंकि, हालांकि विपक्ष में रहकर हम सरकार को सदन में हराना चाहते हैं, इसलिए हम पर सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सरकार को हराने और अस्थिर करने में अंतर है।

सरकार को हराने के लिए तो हम वोट देंगे। परंतु उसे अस्थिर बनाने का काम तो स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आचरण में अंतर देखिए। पिछले चार सालों में भारतीय जनता पार्टी अथवा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एन.डी.ए) ने यू.पी.ए. सरकार को अस्थिर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। लेकिन कांग्रेस ने 1999 में पहली वाजपेयी सरकार के सत्ता में आने के 13 महीनों के भीतर ही उसे अस्थिर ही कर दिया। इससे पहले भी, कांग्रेस ने श्री चन्द्रशेखर, श्री देवेगौड़ा और श्री इन्दर कुमार गुजराल की सरकारों को अस्थिर बनाया था।

विश्वासघात की एक लम्बी गाथा

हालांकि इस बार अस्थिरता पूरी तरह स्वयं कांग्रेस द्वारा ही पैदा की गई है। वामपंथियों के साथ मेरी पार्टी के अनेक गंभीर मतभेद हैं और ये मतभेद रहेंगे भी। लेकिन सरकार को अस्थिर बनाने के लिए मैं वामपंथी पार्टियों को दोष नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसने वामपंथी पार्टियों को सरकार से समर्थन वापिस लेने पर मजबूर कर दिया।

इस निर्णय को लेने का उन्होंने जो कारण दिया है, उसे कांग्रेस और वामपंथियों के बीच कोई आंतरिक मामला नहीं समझा जा सकता। वे गठबन्धन के युग में लोकतांत्रिक आचरण के मूल तक गये हैं। हमारा देश गठबन्धन के युग में प्रवेश कर चुका है। काग्रेस का एक पार्टी का प्रभुत्व अब बीती बात बन गया है लेकिन कांग्रेस नेतृत्व अभी भी पुरानी तरह ही व्यवहार कर रहा है। वर्तमान संकट कांग्रेस पार्टी के अक्खड़पन और गठबन्धन धर्म की भावना से अन्य पार्टियों के साथ मिलकर काम करने की असमर्थता के मूल में निहित है।

जब श्री वाजपेयी ने मार्च 1998 में सरकार बनाई तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने भारत को परमाणु अस्त्र शक्ति बनाने के वादे को अपने चुनाव घोषणा–पत्र में शामिल किया था। लेकिन हमने इस मुद्दे पर अपने गठबंधन के सभी सहयोगियों से विचार–विमर्श किया, उनका सहयोग प्राप्त किया और इसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (जिसे शासन का राष्ट्रीय एजेंडा कहा गया) के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया। उन मुद्दों जिन पर हमारे गठबंधन के सहयोगियों के साथ सहमति नहीं हुई थी, को साझा न्यूनतम कार्यक्रम से अलग रखा गया था। हालांकि वे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा–पत्र का एक हिस्सा थे।

अंतर देखिये, भारत–अमेरिकी परमाणु समझौता न तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र में शामिल था और न ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को यूपीए के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अपनी सहयोगी पार्टियों और घटकों से परामर्श किया।

इससे बुनियादी अंतर का पता चलता है किस तरह श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छः वर्षों तक राजग गठबन्धन सरकार चलाई और किस तरह से डा0 मनमोहन सिंह तथा श्रीमती सोनिया गांधी पिछले चार सालों से यू.पी.ए. गठबन्धन सरकार को चला रहे हैं।

मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप सदन में तो विश्वास मत हासिल कर रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी और सरकार के आचरण में विश्वास का पूरी तरह से अभाव है! प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ, संसद के साथ और पूरे राष्ट्र के साथ अविश्वस्त ढंग से व्यवहार किया है। मैं प्रधानमंत्री से कुछ प्रश्न पूछकर इसका उदाहरण देता हूं :

कांग्रेस गठबन्धन धर्म में विश्वास नहीं रखती

आज कांग्रेस में हर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु करार राष्ट्र के हित में है और यह कि राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि आप इसके बारे में पूरी तरह से ऐसा महसूस करते हैं तो आपने इस मुद्दे को यूपी.ए. के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया? आपने इसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा–पत्र में भी शामिल क्यों नहीं किया?

आखिरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम मूलाधार था जिसके आधार पर 62 सांसदों के साथ वामपंथी पार्टियां आपकी सरकार को बाहर से समर्थन देने पर सहमत हुई थीं। मई 2004 में न तो कांग्रेस और न ही यू.पी.ए. को इस सदन में बहुमत प्राप्त था। और आपकी सरकार वामपंथी दलों के समर्थन के बिना सत्ता में नहीं आ सकती थी। क्या यही ''गठबन्धन धर्म'' है कि आपने जनादेश न होने के बावजूद परमाणु समझौता आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी और वामदलों–दोनों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद – और हमने अपने भिन्न परिप्रेक्ष्यों से विरोध जताया था – आपकी सरकार ने अमेरिका के साथ 123 समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। जब वामपंथ ने विरोध किया तो आपने परमाणु समझौते के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए यू.पी.ए.–लेफ्ट कमेटी गठित कर दी। आपने अपनी सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया।

श्री प्रणव मुखर्जी ने अपनी ओर से वामपंथियों को विधिवत् यह आश्वासन दिया कि भारत और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) के बीच सुरक्षा समझौते (सेफगार्ड एग्रीमेंट) के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाएगा। आपने वामपंथियों को सफाई देते हुए कहा कि वे आप पर भरोसा रखें। लेकिन आप अपने आश्वासन पर टिके नहीं रहे। आप चुपचाप अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास पहुंच गए।

संसद की अवमानना

इस प्रकिया में आपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है। जब वामपंथी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो आपकी सरकार अल्पमत सरकार बन गई। उस दिन श्री प्रणव मुखर्जी ने सार्वजनिक रूप से आश्वस्त किया था कि संसद में विश्वास मत हासिल करने से पहले सरकार आई.ए.ई.ए. नहीं जाएगी। मगर इस आश्वासन का उल्लघंन किया गया।

इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वे यह आश्वासन प्रधानमंत्री से टेलिफोन पर हुई बातचीत के बाद दे रहे हैं। जोकि उस समय जी–8 शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु जापान में थे। इस आश्वासन का उल्लंघन किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुनकर दंग रह गया और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री ने अपने ही विदेश मंत्री के आश्वासन को झूठा साबित कर दिया। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि वे बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सदन को जानने का पूरा अधिकार है कि कौन सही था – प्रधानमंत्री या उनके वरिष्ठतम सहयोगी? दोनों में से केवल एक ही सही हो सकता है। और फिर यह किस तरह की सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री न केवल समर्थक दलों का विश्वास छलते हैं अपितु अपने विदेश मंत्री में भी अविश्वास प्रकट करते हैं?

ऐसी सरकार जिसमें परमाणु समझौते के बारे में इतनी गुप्तता है कि अपने विदेश मंत्री को भी विश्वास में नहीं लिया जा सकता, क्या चलने देने लायक है? नहीं। मैं सरकार में पारदर्शिता में कमी का एक और उदाहरण देता हूं। आपकी सरकार दावा करती रही कि सुरक्षा समझौता (सेफगार्ड एग्रीमेंट) का प्रारूप एक 'वर्गीकृत' (classified) दस्तावेज है। लेकिन यही तथाकथित 'वर्गीकृत' दस्तावेज वियना पहुंचते ही इंटरनेट पर सार्वजनिक हो गया। यह कैसी विडम्बना है कि आई.ए.ई.ए. के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रतिनिधित्व करने वाले देशों की सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को भारत से सम्बन्धित सेफगार्ड एग्रीमेंट के मसौदे की विषय–वस्तु पर बहस करने का मौका मिलता है। लेकिन भारत की जनता और राजनीतिक दलों को उस से वंचित रखा जाता है।

क्या यह हमारे लोकतंत्र की बदनामी नहीं है कि सांसदों को एक ऐसे समझौते जो हमेशा हमारे देश पर बाध्यकारी रहेगा, की विषय–वस्तु पर चर्चा करने का अवसर ही न मिले? क्या यह संसद के प्रति असम्मान नहीं है? और क्या एक ऐसी सरकार जिसका संसद में कोई विश्वास ही नहीं है, का सांसदों का विश्वास हासिल करने का अधिकार है? नहीं।

''व्यापक राष्ट्रीय आम-सहमति'' कहां है?

अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिए गए उनके आश्वासनों को तोड़ने के एक और भद्दे उदाहरण की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यहां मेरे पास उस प्रेस कांफ्रेस की ट्रांसस्क्रिप्ट उपलब्ध है जिसे प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने 20 जुलाई, 2005 को

वाशिंगटन में सम्बोधित किया था–यानि जो भारत–अमेरिकी परमाणु समझौते के बारे में उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किए जाने के दो दिनों बाद आयोजित की गई थी।

सदन को यह याद दिलाना जरूरी होगा कि उनके देश में लौटने पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त वक्तव्य की आलोचना करते हुए एक वक्तव्य जारी किया था। मेरी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर उनसे मिले थे और उन्होंने संयुक्त वक्तव्य की विषय–वस्तु पर चर्चा की थी तथा शुरूआती चरण में ही उस पर हमारी गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी थी। एक प्रेस संवाददाता ने डा0 मनमोहन सिंह से एक सीधा सवाल पूछा: ''प्रधानमंत्री जी, क्या नए भारत–अमेरिका परमाणु समझौते को व्यवहार में लाने में आप अपने सहयोगियों और विरोधियों की ओर से किन्हीं प्रतिरोधों को देखते हैं? और क्या आप विदेश नीति में संभवतया इस नई दिशा के बारे में क्या संसद की स्वीकृति अथवा सहमति लेना चाहेंगे?''

प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह से जवाब दिया : ''हमारे देश में संसद सम्प्रभु है और यह कहने की जरूरत नहीं है कि एक व्यापक राष्ट्रीय आम–सहमति के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं।'' यदि डा0 मनमोहन सिंह सचमुच में ''हमारे देश की संसद की सर्वोच्चता में विश्वास रखते हैं तो उन्होंने 123 समझौते और आई.ए.ई.ए. में सुरक्षा समझौते की ओर दौड़ लगाने से पहले संसद के दोनों सदनों की भावना को समझने की कोशिश क्यों नहीं की?

मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे मानते हैं कि परमाणु समझौते के वर्तमान स्वरूप पर 'व्यापक राष्ट्रीय आम–सहमति' है। दिन के उजाले की तरह उत्तर साफ है। तब फिर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला क्यों चुना? आज यह सदन जानना चाहेगा कि प्रधानमंत्री ने इस पर व्यापक राष्ट्रीय आम– सहमति बनाने के लिए क्या प्रयास किए? क्या आपने परमाणु समझौते पर सभी पार्टियों की कोई भी बैठक बुलाई? संसद के माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मेरी पार्टी और एनडीए ने बार–बार मांग मुखर की कि सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाई जाए जो परमाणु समझौते के सभी पहलुओं का अध्ययन कर सके। सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, क्यों? जबकि परमाणु समझौते के भारत पर दूरगामी परिणाम पड़ने वाले हैं, तब प्रधानमंत्री ने शायद सोचा हो कि इस विषय पर सांसद अपने विचार रख सकने में असमर्थ होंगे। क्या इसका अर्थ यह नहीं

है कि उनका सांसदों में विश्वास नहीं है? यदि सरकार सांसदों में विश्वास नहीं रखती तो अब यह किस अधिकार से विश्वास मांग रही है?

अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक भागीदारी, मगर समान शर्तों पर

प्रधानमंत्री के विरूद्ध मेरा यह आरोप है कि उन्होंने दो सम्प्रभु राष्ट्रों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते को दो व्यक्तियों– स्वयं तथा राष्ट्रपति बुश के बीच सीमित कर दिया। उन्होंने इस भागीदारी में एक तरह से कनिष्ठ भागीदार के रूप में व्यवहार किया है।

वास्तव में, परमाणु समझौते के मूल पाठ और संदर्भ ने शुरू से ही भारतीयों को यह आभास दिलाया है कि यू.पी.ए. सरकार विश्व–व्यवस्था में भारत की कमजोर स्थिति को स्वीकार करना चाहती है। मैं साफ करना चाहता हूं – और यहां पर वामपंथियों के साथ मेरी पार्टी पूरी तरह से अलग है–कि भाजपा भारत और अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को देखना चाहती है। वास्तव में, दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा दुनिया का सर्वाधिक मजबूत लोकतंत्र – मैं मानता हूं कि हमारे दोनों देशों को समान उद्देश्यों के लिए स्ट्रेटेजिक भागीदारी बनानी चाहिए।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत को इसके साथ–साथ आज विश्व की अन्य सभी बड़ी शक्तियों के साथ गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित करना चाहिए जिसे हम भविष्य में एक बहु–ध्रुव विश्व के रूप में देखना चाहते हैं। एक ऐसा बहु–ध्रुवीय विश्व जिसमें भारत स्वयं ही सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हुए एक महत्वपूर्ण ध्रुव बने।

लेकिन मैं बता दूं कि हम अमेरिका से समान शर्तों पर स्ट्रेटेजिक भागीदारी चाहते हैं। भाजपा कभी भी, किसी भी देश से ऐसे सम्बन्धों को स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वह देश कितना भी मजबूत और शक्तिशाली क्यों न हो –जिसमें भारत एक 'क्लाइंट' या जी–हजूरी वाला भागीदार बनता हो। यह दुःख की बात है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों में ''स्ट्रेटेजिक जी–हजूरी'' को स्वीकार करे। स्ट्रेटेजिक जी–हजूरी'' का पहलू उन प्रतिबंधों में अधिक झलकता है जिन्हें सरकार ने हमारे स्ट्रेटेजिक कार्यक्रम के बारे में स्वीकार किया है। परमाणु समझौता अपने वर्तमान स्वरूप में कुछ नहीं है बल्कि हमारे स्ट्रेटेजिक परमाणु अस्त्र कार्यक्रम के बारे में कठोर प्रतिबंधों की स्वीकृति है। सभी अमेरिकी वार्ताकारों चाहे वे रिपब्लिकन पार्टी के हों या डेमोक्रेटिक पार्टी से सम्बन्ध रखते हों या स्वतंत्र विशेषज्ञ हों, ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक उनके देश का

सम्बन्ध है, उनका प्रमुख उद्देश्य भारत को परमाणु अप्रसार व्यवस्था के अंतर्गत लाना है। जो वे चाहते हैं, वह डा0 मनमोहन सिंह के उस आलोचनात्मक रूख से पूरी तरह मेल खाता है जो उन्होंने 1998 में पोखरण–2 परमाणु परीक्षण के बाद अपनाया था। वे दोनों चाहते हैं कि भारत अमेरिका द्वारा निर्देशित परमाणु अप्रसार व्यवस्था के अधीन आ जाए।

इसलिए, वर्तमान स्वरूप में परमाणु समझौते का अर्थ है कि भारत को समझौते को समाप्त किए बगैर और कठोर दंडकारी कार्रवाई के बिना पोखरण–3 और पोखरण–4 परमाणु विस्फोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह मेरी पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन, इस सदन के अधिकांश सांसदों तथा कुल मिलाकर, देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है।

यू.पी.ए. सरकार के झूठे दावे और ''सबके लिए बिजली'' के बारे में निराशाजनक ''ट्रेक-रिकार्ड''

अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरी पार्टी ने परमाणु समझौते का इसके वर्तमान स्वरूप में विरोध किया है। लेकिन इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हम परमाणु शक्ति बनने के खिलाफ नहीं है। हम उन शर्तों पर जिनसे हमारे सभी राष्ट्रीय हितों की रक्षा होती हो, अमेरिका सहित सभी देशों के साथ परमाणु सहयोग के भी विरूद्ध नहीं हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही एक प्रचार अभियान चलाया हुआ है जिसमें जनता को यह विश्वास दिलाते हुए गुमराह किया जा रहा है कि जो लोग परमाणु समझौते के खिलाफ हैं, वे परमाणु शक्ति बनने के भी खिलाफ हैं। यह एक अपक्व, बचकाना, एकतरफा और शरारतपूर्ण प्रचार है : हम प्रत्येक घर को परमाणु बिजली से जगमगाना चाहते हैं। हम परमाणु शक्ति से प्रत्येक खेत और फैक्टरी में बिजली पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार के विरोधी इस रास्ते में आड़े आ रहे हैं।''

मैं चाहता था कि सरकार में बैठे लोग ऐसे झूठ पर नहीं उतरते। सरकार यह दावा करती है कि परमाणु समझौता भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की गारण्टी देता है लेकिन अमेरिकी लोगों ने किसी को भी संशय में नहीं छोड़ा है, जैसा मैंने अभी कहा है कि यह समझौता भारत के स्ट्रेटेजिक कार्यक्रम पर रोक लगाने वाला है और उसके बाद उसे पीछे हटा देगा। पिछले दिनों मेरी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से चर्चा हुई थी। उन लोगों में वे भी शामिल हैं जो सरकार में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि बहुत ही ज्यादा आशावादी परिदृष्य में, भारत में समग्र विद्युत उत्पादन में परमाणु

बिजली का हिस्सा 25 वर्षों के बाद भी वर्तमान 3 प्रतिशत से बढ़कर 6–8 प्रतिशत से आगे होने की संभावना नहीं है। परमाणु समझौते के कारण अतिरिक्त बिजली, हालांकि उपयोगी है, का उतना महत्व नहीं होगा कि वह देश के विकट बिजली संकट को दूर कर सके। यदि ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी वर्तमान सही तथ्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं करती?

वास्तव में, परमाणु शक्ति का एकतरफा प्रोजेक्शन सम्पूर्ण विद्युत क्षेत्र में यू.पी.ए. सरकार के अपने ही अवांछनीय ट्रेक रिकार्ड को चुनौती देता है। यू. पी.ए के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में ''5 वर्षों की अवधि में सभी के लिए बिजली'' का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसका अर्थ है – सभी 7.8 करोड़ बिना विद्युत वाले घरों और भारत के 6 लाख गांवों में से 2,30,000 बिना बिजली वाले सभी गांवों में बिजली पहुंचाना। अधिक प्रचारित भारत निर्माण कार्यक्रम में बहुत ही कम लक्ष्य रखा गया थाः मार्च 2009 के अंत तक 100,000 गांवों और 2.4 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों का विद्युतीकरण करना।

प्रधानमंत्री जी, इस बारे में आपकी सरकार की सफलता की दर क्या रही है? 1 जुलाई, 2008 को सरकार के 49,272 ग्रम पंचायतों को बिजली पहुंचाने के दावे के मुकाबले केवल 30,450 ग्राम पंचायतों में ही सुनिश्चित बिजली पहुंचाई गई। प्राप्त हुई सफलता की यह दर भारत निर्माण के निम्न लक्ष्यों से केवल 30 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों के रूप में 2.4 करोड़ परिवारों के मूल लक्ष्य में से केवल 27 लाख परिवारों को ही बिजली पहुंचाई गई थी। इससे पता चलता है कि सफलता की दर केवल 11 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, यह आम आदमी को बिजली पहुंचाने के प्रयास में यू.पी.ए. सरकार के घटिया रिकार्ड को दर्शाता है।

अकर्मण्यता के ट्रेक रिकार्ड को देखते हुए, यू.पी.ए. सरकार उसी आम आदमी के लिए बिजली समझौते के रूप में परमाणु समझौते के साथ विश्वासघात करने का प्रयत्न कर रही है।

विश्वास मत अकेले परमाणु समझौते को लेकर नहीं है

अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट करना है कि यह विश्वासमत सिर्फ परमाणु समझौते को लेकर नहीं है। हालांकि कोई भी विश्वास मत एक अकेले मुद्दे पर नहीं होता। यह सदैव सरकार के संपूर्ण कामकाज को लेकर होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह सदन यू.पी.ए. सरकार के पिछले चार वर्षों के सारे

कामकाज पर अपना फैसला दे। किसी भी निष्पक्ष प्रेषक के लिए यह स्पष्ट होगा कि कामकाज के पैमाने पर इस सरकार को एक दिन भी बने रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने पिछले चुनावों में 'आम आदमी' के नाम पर वोट मांगे थे। पिछले चार वर्षों में यू.पी.ए. सरकार ने 'आम आदमी' के लिए क्या किया? इसने देश के करोड़ों साधारण नागरिकों के लिए, सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आकाश छूती मंहगाई को रोक पाने में असफल रहने के कारण, जीना दूभर कर दिया। मुद्रास्फीति की दर लगभग 12 प्रतिशत को छू रही है। अधिकांश अर्थशास्त्री महसूस करते हैं कि यह आंकडा अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर नहीं दर्शाता और असली मुद्रास्फीति कहीं ज्यादा है।

आम आदमी के संदर्भ में मुद्रास्फीति के सरकारी आंकड़े ज्यादा महत्व नहीं रखते। वह तो इतना जानता है कि उसका परिवार ज्यादा पैसों से कम खरीद पाता है और उसके परिवार के सामान्य बजट में, महीने में बड़े छेद हो रहे हैं। सभी चीजें मंहगी हो गई हैं – खाद्य वस्तुएं, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल। बढ़ती मंहगाई से न केवल गरीब और गरीब होता जा रहा है बल्कि मध्यमवर्ग भी कंगाल बनता जा रहा है। मूल्यवृद्धि के बारे में बोलते हुए मैं आप को बताना चाहता हूं कि आम आदमी इस पर आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास इस समस्या से निपटने के लिए समय ही नहीं है और क्यों उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ लिया हैः परमाणु समझौता?

अध्यक्ष महोदय, न केवल दाम बढ़े हैं बल्कि ब्याज दर भी बढ़ी है। एक साधारण मध्यमवर्ग परिवार जो आज मकान खरीदने के लिए ऋण लेता है तो उसे एनडीए सरकार के समय की तुलना में दोगुनी मासिक किश्त देनी पड़ती है।

बिजली, सड़क, पानी के मुद्दों की पूरी तरह उपेक्षा

पिछले बजट में वित्त मंत्री ने काफी धूमधड़ाके के बीच किसानों की ऋण माफी की घोषणा की थी। यह बात अलग है कि उन्होंने बजट में इसका पर्याप्त प्रावधान नहीं किया था। प्रधानमंत्रीजी, इस घोषणा के बाद साढ़े चार महीने बीत गए? क्या आप बता सकते हैं कि कितने किसानों को ऋण माफी का लाभ मिला है? मैं पिछले दिनों विदर्भ में एक विशाल किसान रैली को सम्बोधित करने गया था; मैं सदन को बता सकता हूं कि वहां पर मैंने सभी से–जिनको इसका लाभ होना था और उससे भी ज्यादा उन किसानों को जो इस योजना की परिधि में नहीं आते – से बहुत–सी

शिकायतें सुनने को मिली। देशभर में किसान इसलिए नाखुश है क्योंकि उन्हें धान और अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है जोकि सभी कृषि निवेशों के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुरूप होना चाहिए।

कृषि क्षेत्र, जो 600 मिलियन भारतीयों को आजीविका मुहैया कराता है, एक ढांचागत नुक्सान उठा रहा है–विकास में 1980 के दशक में प्रतिवर्ष 4. 7 प्रतिशत के वार्षिक औसत से 1990 के दशक के दौरान 3.1 प्रतिशत और 2000 के दशक में 2.2 प्रतिशत की मंदी आने से। हम इस रूख में परिवर्तन लाए बिना ग्रामीण गरीबी को कभी भी कैसे दूर कर सकते हैं? कई अध्ययनों के अनुसार, भारत की आजादी के 60 वर्षों बाद भी लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अभी भी साहूकारों पर निर्भर रहते हैं क्यों? सरकार से मेरा सवाल है : क्या आपने कृषि संकट का समाधान ढूंढने के लिए व्यापक ढंग से विचार किया है? ऐसे प्रभावी ढंग से कि भारत बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे संकटग्रस्त किसानों का दुखदायी तमाशा फिर कभी न देख सके? क्या प्रधानमंत्री सदन को बतायेंगे कि पिछले चार वर्षों में उनके सरकारी कार्यक्रमों के कारण कितनी अतिरिक्त एकड़ कृषि भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई? पानी उपलब्ध कराने में सरकार का रिकार्ड उतना ही खराब है जितना बिजली उपलब्ध कराने में, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है।

सड़क का मामला लीजिए! वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कछुआ गति से चल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लक्ष्य पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार लगभग 8 प्रतिशत अथवा 9 प्रतिशत जी.डी.पी. की बात करती है। आम आदमी को इसका अर्थ ही मालूम नहीं है। लगभग 100 मिलियन भारतीय युवाओं के अगले दशक में श्रमबल में शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। यदि हमारा ग्रोथ पैटर्न कृषि, छोटे तथा मझौले उद्योगों और औपचारिक क्षेत्र की उपेक्षा करता है, तो क्या वे रोजगार पा सकेंगे? मैंने अभी हाल में अपने एक भाषण में कहा है कि आम आदमी तीव्र जी.डी.पी वृद्धि की इन सब बातों पर तभी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा जब जी का अर्थ सुशासन हो, डी का अर्थ सभी के लिए विकास हो और पी का अर्थ सभी की रक्षा अथवा सुरक्षा हो। इस तरह की विषम वृद्धि जिसे यू.पी.ए. सरकार प्रोत्साहित कर रही है इस तथ्य से प्रकट होती है कि और कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री विमल जालान ने कहा है कि भारत के 20 सबसे अधिक धनवानों की आय 30 करोड़ सबसे

गरीब भारतीयों से अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें कि देश में 20 कुबेर और 30 करोड़ सुदामा हैं। प्रधानमंत्री जी यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है और न ही यह धारणीय है।

वोट बैंक की खातिर राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाला गया

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि यह बहस यू.पी.ए. सरकार की सम्पूर्ण विफलता को लेकर है। किसी भी सरकार का पहला कर्त्तव्य होता है– राष्ट्रीय सुरक्षा–बाह्य और आंतरिक सुरक्षा दोनों को बनाए रखना। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर यू.पी.ए. सरकार की विफलता के बारे में कोई क्या कहे? सरकार में आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने की योग्यता में न केवल कमी है बल्कि इसके पास इच्छाशक्ति भी नहीं है। न तो कोई फोकस है, न ही स्पष्टता, न ही समाधान और न ही योजना।

पिछले चार वर्षों में आतंकवादी कार्रवाईयों की खूनी श्रृखंला दिखती है–मुम्बई में श्रृखंलाबद्ध विस्फोट, मालेगांव में विस्फोट, हैदराबाद में विस्फोट, जयपुर में विस्फोट। अयोध्या, वाराणसी, जम्मू और बंगलौर में भी आंतकवादी हमले हुए हैं। समझौता एक्सप्रेस पर भी आतंकवादी हमला हुआ। असम में उग्रवादी हिंसा की अनगिनत घटनाएं घट चुकी है, जिनमें हिन्दी भाषियों को निशाना बनाया गया। कुछ दिन पहले ही कश्मीर में हुए बारूदी सुरंग के विस्फोट में दस जवान मारे गए। इस सदन को यह जानने का अधिकार है कि आतंकवादी हिंसा के कितने मामलों की पूरी तरह से जांच की गई है, कितने मामलों को परीक्षण के स्तर तक लाया गया है, कितने मामलों में दोश सिद्ध हुआ है और कितने आई.एस.आई. मॉडयूल्स को नष्ट किया गया है और कितने ''स्लीपर सैल्स'' को ध्वस्त किया गया है? सरकार में जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, इसका उत्तर उनके लिए शर्म की बात है। मैं जानता हूं कि एक कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं लेकिन मैं सच्चाई कहने के लिए मजबूर हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू.पी.ए. सरकार में वोट बैंक की खातिर आतंकवादियों से लड़ने की इच्छाशक्ति की कमी है। मैंने यह बात अनेक बार कई मंचों पर उठाई है कि आतंकवाद की किसी धर्म अथवा धार्मिक समुदाय से पहचान नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करना गलत होगा। लेकिन क्या ऐसी भ्रामक धारणा में आतंकवाद के विरूद्ध सरकार की लड़ाई को कमजोर करना भी गलत नहीं है कि इससे समुदाय विशेष विमुख हो सकता है? क्या बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हो रही घुसपैठ

की ओर से आंखें फेर लेना भी गलत नहीं है क्योंकि ऐसा करने से एक समुदाय विशेष के वोटों पर असर पड़ेगा? आई.एम.डी.टी. एक्ट को निरस्त करने से यू.पी.ए. सरकार के इंकार से सर्वोच्च न्यायालय को इसे असंवैधानिक मानते हुए रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और कदम बढ़ाया और सरकार से कहा कि वह असम तथा पड़ोसी राज्यों में ''बाह्य आक्रमण'' को रोकने के लिए ठोस कदम उठाये। यू.पी.ए. सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? इसने उसी आई.एम.डी.टी. एक्ट को पिछले दरवाजे से लाने का प्रयास किया। इस चाल को भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मात दे दी गई। अध्यक्ष महोदय, क्या एक ऐसी सरकार जो इतना जानबूझकर राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध कार्य कर रही है, उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार है? नहीं। मेरी पार्टी अल्पसंख्यकों के विरूद्ध नहीं है, हालांकि यह अल्पसंख्यकवाद की राजनीति जिसका यू.पी.ए. सरकार ने इस्तेमाल किया है, का पूरी तरह से विरोध करती है और करती रहेगी तथा इससे कोई समझौता नहीं करेगी।

हिन्दू विरोधी सेक्युलरिज़्म (पंथनिरपेक्षवाद) को सहन नहीं किया जाएगा

जब मैंने पिछले चार सालों में पीछे झांककर देखा तो मुझे यू.पी.ए. के कार्य–निष्पादन की एक और व्याकुल करने वाली बात देखने में आई। ऐसा माना जाने लगा है कि यदि आप सेक्युलर है तो आप बहुसंख्यक समुदाय के विरूद्ध है। मानो बहुसंख्यक की भावनाओं और आकांक्षाओं का कोई महत्व ही नहीं है।

मैं दो उदाहरण देता हूं। देशभर के बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू संगठनों ने तमिलनाडु में सेतु समुन्द्रम परियोजना को रोकने की मांग की है क्योंकि ऐसा विश्वास है कि रामसेतु का निर्माण उस समय किया गया था जब भगवान राम ने 'वानर सेना' के साथ लंका की ओर कूच किया था। इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो शपथ–पत्र दाखिल किया गया था, उसमें यह तर्क दिया गया था कि राम और रामायण के दूसरे पात्रों के अस्तित्व को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है। इससे समाज में काफी हंगामा मच गया और राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के खतरों से घबराकर सरकार को उस शपथ–पत्र को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस शपथ–पत्र से सरकार की सोच का पता चल गया। अनेक हिन्दुओं ने आश्चर्य किया कि यदि यू.पी.ए. सरकार से यह प्रश्न पूछा गया होता कि क्या किसी अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक

भावनाओं से ऐसा खिलवाड़ किया जा सकता है? देश ने पंथनिरपेक्षता की हिन्दू–विरोधी ब्रांड का एक और भी आविर्भाव देखा है जब अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हेतु अस्थायी ढांचा बनाने के लिए 39.88 एकड़ भूमि का आबंटन करने के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार के निर्णय से हाल ही में कश्मीर घाटी में सुनियोजित हिंसात्मक विरोध शुरू हो गए। अध्यक्ष महोदय, 15 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो कुछ देखने में आया, वह काफी चिन्ताजनक था।

इस निर्णय के पीछे उद्देश्यों के बारे में सभी तरह की भ्रांतियों को फैलने दिया गया। यह कहा गया था कि यह निर्णय कश्मीर की जनसांख्यिकी संरचना को परिवर्तित करने की साज़िश का एक हिस्सा है। अंततः कांग्रेस–पीडीपी गठबंधन सरकार को आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा और निर्णय को वापस ले लिया गया।

माननीय सदस्यगण इसका अर्थ लगाएं कि जम्मू व कश्मीर में क्या गुज़रा। अमरनाथ गुफ़ा हिन्दुओं के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। मैं इस साल यात्रा शुरू होने के तुरंत बाद अमरनाथ गया था। यात्रा की अवधि केवल दो महीनों की होती है। इसलिए यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था केवल अस्थायी स्वरूप में की जा सकती है। जो भी व्यक्ति यह तीर्थ यात्रा करता है, वह जानता है कि यह तीर्थ यात्रा बहुत कठिन है। क्या देशभर से आने वाले तीर्थ यात्री श्राइन के मार्ग में बुनियादी सुविधाएं पाने के भी हकदार नहीं हैं?

और इस हानिकारक निर्णय–जो संयोगवश एक पीडीपी मंत्री द्वारा अनुशंसित तथा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया था–को ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे हिन्दू भारत, मुस्लिम कश्मीर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अब यह सर्वविदित है कि इस प्रचार के पीछे आईएसआई और अन्य विदेशी शक्तियां सक्रिय थीं। मेरा प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष से यह प्रश्न है : उन्होंने चुप रहना क्यों चुना? क्यों वे निष्क्रिय बने रहे? क्या हिन्दुओं की भावनाओं और जरूरतों के प्रति असंवेदनशीलता ही आपकी सेक्युलरिज़्म की परिभाषा है? मित्रो, यह सेक्युलरिज़्म नहीं, छद्म–सेक्युलरिज़्म है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि इस तरह से असंवेदनशीलता तीखी प्रतिक्रियात्मक प्रभाव डालती है। मेरा सुनिश्चित मानना है कि सभी समुदायों के तीर्थ केंद्रों की अच्छी देखभाल होनी चाहिए। बड़ी संख्या में लोग अजमेर शरीफ़ जाते हैं। राजस्थान में भाजपा सरकार उनसे कोई भेदभाव नहीं करती। वे भी

अच्छी सुविधाएं पाने के हकदार हैं; वस्तुतः तिरूपति में उपलब्ध जैसी सुविधाएं सभी तीर्थ स्थलों पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हमारे हवाई अड्डों पर हज यात्रियों के लिए अलग टर्मिनल बने हैं। न केवल भारत से हज यात्रियों का कोटा बढ़ाने के कारण अपितु सऊदी अरबिया में भी सुविधाओं को सुधारने के लिए सभी हाजियों द्वारा वाजपेयी सरकार की प्रशंसा की जाती रही है।

इसलिए मैं सभी दलों के सांसदों से अपील करता हूं कि वे जहां कहीं भी अन्याय हो उसके विरूद्ध आवाज उठाएं। वोट बैंक के चलते हम दोहरे मानदंड न अपनाएं। आइए, यह सदन एकमत यह विचार प्रकट करे कि अमरनाथ यात्रियों के लिए भूमि वापस लौटाई जाए और यात्रा संबंधी मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड को सौंपी जाएं।

राजनैतिक उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग किया गया

यू.पी.ए. सरकार की जांच–पड़ताल तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं संदिग्ध व्यक्तिगत और राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के सतत् और क्रमिक दुरूपयोग के बारे में इस सदन का ध्यान आकृष्ट न करूं। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से विधि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सीबीआई ने मिलकर ओटेवियो क्वात्रोची को अर्जेंटिना में गिरफ्तार किए जाने के बाद भी बे–रोकटोक जाने दिया। पहले सरकार ने इस भगोड़े को विदेशी बैंक से 20 करोड़ रूपये ले जाने दिए।

मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को बताएं कि उन्होंने संस्थाओं से यह छेड़छाड़ी क्यों करने दी? और किसके कहने पर? अभी हाल ही में हमने देखा है कि सरकार के अल्पमत में आने के बाद किसी व्यक्ति को बचाने या किसी को परेशान करने के लिए किस तरह से सीबीआई का दुरूपयोग किया गया।

सरकार बचाने के लिए घटिया तरीके की खरीद-फरोख्त (हार्स ट्रेडिंग)

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में अनेकानेक मुद्दों को उठाया है जोकि अपरिहार्य थे, और भी मुद्दे हैं कई जिन्हें भाजपा और एनडीए में मेरे सहयोगी उठाएंगे। मैं यकीन है कि बसपा, वामपंथी और अन्य दलों के हमारे मित्र भी सरकार के विरूद्ध अपने हमले करेंगे ही। इसलिए इस बहस से सरकार का बचना मुश्किल होगा। सरकार जानती है कि वह अपने कार्य–निष्पादन के आधार पर बच नहीं सकती है। तो वह बचने की कोशिश क्यों कर रही है? जिस तरह से सांसदों की खरीद–फरोख्त (हार्स ट्रेडिंग) हो

रही है और सौदेबाजी की जा रही है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा करने का अर्थ है कि इससे न केवल आपकी पार्टी और आपकी सरकार की ही बदनामी हुई है बल्कि इससे भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। पिछले साठ सालों में नई दिल्ली की राजनीति में ऐसी गंदगी कभी भी नहीं देखी गई।

प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे परमाणु पुनर्जागरण युग में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन यह कितना शर्मनाक विरोधाभास है कि एक ऐसी सरकार जो यह दावा करती है कि वह परमाणु पावर युग का शुभारम्भ करना चाहती है, वही हार्स पावर की मदद लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। जैसाकि लोग जानते हैं कि–और जैसी कि मीडिया हर समय बातें कर रही है–यह सरकार परमाणु सौदा करने का प्रयास कर रही है, सरकार के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के हाथों पर दर्जनों भ्रष्ट सौदे करने का कलंक लगा हुआ है। इस प्रक्रिया में सरकार के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी ने जनता की नजर में संसद और सांसदों को उपहास का पात्र बना दिया है। मेरा आरोप है कि ऐसी अंधकारमय स्थिति पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मुख्य रूप से दोशी हैं। इससे भविष्य में लोकतंत्र के लिए अनिष्टसूचक अड़चनें पैदा होगीं। ऐसी अनैतिक राजनीति भावी पीढ़ियों के लिए किस तरह की परम्परा पीछे छोड़ रही है? हम अपने युवाओं, जो भारत को शीघ्र एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरता हुआ देखना चाहते हैं, के लिए किस तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं को वसीयत में दे रहे हैं?

मैं ऐसा काफी दुख के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने 1952 में पहले आम चुनावों से ही भारतीय लोकतंत्र के क्रम–विकास को देखा है। आज हमारे लोकतंत्र को धनशक्ति के इस्तेमाल और संस्थाओं के दुरूपयोग के रूप में हमले किए गए हैं। इससे भी ज्यादा दुःख मुझे तब होता है जब मेरी ही पार्टी का कोई सदस्य प्रलोभन से मोहित होकर पार्टी छोड़ दे।

प्रधानमंत्री जी, आपने इस सदन का सदस्य बनने के लिए कभी भी कोई चुनाव नहीं जीता है और इसलिए आपको मतदाताओं का सामना नहीं करना पड़ता है और न ही उनके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष को सचेत करना चाहूंगाः ''आपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत ही अत्यधिक अनैतिक और गलत तरीका अपनाया है। किसके लिए? केवल और सौ दिनों तक सत्ता में बने रहने के लिए? इसके पीछे ऐसी क्या बात है? आपकी सरकार विश्वास मत हासिल

करती है या नहीं, इसका पता कल ही चलेगा। लेकिन **मैं पहले ही यह भविष्यवाणी कर सकता हूं कि जब कभी चुनाव होंगे और आप करोड़ों मतदाताओं का विश्वास हासिल करने के लिए उनके पास जाएंगे तो आपको सबक सिखाया जाएगा।''**

मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है : ''यह सरकार इस सदन का विश्वास मत पाने के योग्य है या नहीं–इसका निर्णय इसके कामकाज के आधार पर होगा, जोकि असफलताओं और विश्वासघातों से भरा है। आइए, हम कल शाम की बहस की समाप्ति पर वोटों की गिनती में, राष्ट्र के हितों से प्रेरित होकर अपना सही फैसला करें। यदि ऐसा होगा तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि अंतिम नतीजा क्या होगा। यदि ऐसा होता है तो कल इस सरकार का अंतिम दिन होगा, जोकि पिछले चार वर्षों से अपने कुशासन, विशेष रूप से कुछ सप्ताहों में अपने पापों के कारण अपयश के आवरण में लिपटी हुई है, का खात्मा होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

कांग्रेस (आई) नहीं, कांग्रेस (ए) : शाहनवाज़ हुसैन

अध्यक्ष महोदय, मैं किशनगंज की बगल में बंगाल में सिलीगुड़ी की तरफ गया था, तब मैंने देखा था कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी आपस में चुनाव लड़ रहे थे। रोड के इस पार मेरी सीट थी, हम लालू जी के उम्मीदवार से लड़ रहे थे और बगल में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रियरंजन दा लड़ रहे थे। दोनों का भाषण एक दूसरे के खिलाफ होता था तो चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए जो आपका रिश्ता हुआ, वही अनैतिक था, क्योंकि आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन हमारे डर से दोनों मिल गये थे। ये जो मिले थे, सिर्फ बीजेपी न आ जाये, इसलिए मिले थे, क्योंकि, इनके कई नेताओं को रात में भी बीजेपी के नाम से नींद नहीं आती है। उनको लगा

कि कहीं बी.जे.पी. न आ जाये, इसलिए यह रिश्ता हुआ। जिस दिन यह रिश्ता हुआ था, उस दिन निकाह से पहले ही तलाक की डेट तय थी। यह पता था कि चुनाव में आपको एक–दूसरे के खिलाफ लड़ना ही है।

हम यह चाहते थे कि देश में चर्चा महंगाई पर हो, हम यह चाहते थे कि किसानों की आत्महत्या की चर्चा हो, हम यह चाहते थे कि बेरोजगारी की चर्चा हो। यहां बड़ी–बड़ी स्कीम्स आयी थीं। मैं नौजवान हूं, इसलिए मुझे नौजवानों के रोजगार की चिंता होती है। नरेगा स्कीम आयी थी जिसे हमारे बिहार के नेता रघुवंश बाबू लेकर आए थे। उस समय बड़ी उम्मीद जागी थी, लेकिन उन सारी योजनाओं को आज फ्लाप योजनाओं के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। हम तो कम्युनिस्ट मित्रों से कहते थे कि आप इनके खिलाफ लड़कर आए हैं, ये आप पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। ये आपको यूज करेंगे और बाद में कैसी–कैसी बातें करेंगे, क्योंकि यह कांग्रेस की आदत है। बिहार में एक कहावत है कि मीठा–मीठा गप–गप और तीखा–तीखा थू–थू। जब आप इनकी मदद कर रहे थे, तब बसु दादा आपको देखकर मुस्कराते थे, सलीम साहब को देखकर मुस्कराते थे, गुरूदास जी को देखकर मुस्कराते थे। इन्होंने चार साल दो महीने इनके बल पर मजा किया और आज जिस तरह के शब्दबाण आपने उन पर चलाये हैं, आप कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट और बीजेपी मिल गए। हमारी विचारधारा अलग है। हम कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी से मिल नहीं सकते। आपने इनको यूज किया और आज आप इनके ऊपर बीजेपी के साथ मिलने का इल्जाम भी लगा रहे हैं।

महोदय, न्यूक्लियर डील पर हमारे साथी कह रहे थे कि न्यूक्लियर डील पर आइए। वे काफी तैयारी से आए हैं, लेकिन हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के भाषण के बाद अगर कोई भाषण न भी होता, तो भी कोई जवाब नहीं था। अगर वे बहुत अच्छे से अच्छा भी बोलें, तो भी आप खराब कहेंगे और आपका नेता खराब से खराब बोले तो भी आप क्लैपिंग करेंगे, यह तो आपका धर्म है। अध्यक्ष महोदय, न्यूक्लियर डील पर बहुत बड़ी–बड़ी बातें कही गयीं। आनंद शर्मा जी ने गांधी जी का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन अमेरिकंस का नाम दस–बारह बार जरूर ले लिया। इन्होंने अपने भाषण में 22 बार अमेरिका बोला और जिस किताब का उपयोग किया, वह किसी कांग्रेस के विद्वान की लिखी हुयी किताब नहीं ली, बल्कि इनको अमेरिकन राइटर की किताब पर ही भरोसा है। आजकल कांग्रेस आई नहीं,

कांग्रेस ए हो गयी है। यह कांग्रेस अमेरिका की तरह बात करती है।

महोदय, न्यूक्लियर डील के बारे में इन्होंने कहा कि हम लोगों ने सब बातें कह दीं। जसवंत सिंह जी बात करके आए थे। हम आपको जो बात कह रहे थे, हम छिपकर समझौता नहीं करते हैं। नरसिंह राव जी के जमाने में डब्ल्यूटीओ में बिना किसी चर्चा के, सत्ता, विपक्ष की बात किए बिना आप वहां जाकर सिगनेचर कर आए थे। वैसा काम हम नहीं करते।

जब डील की बात थी, तब प्रधान मंत्री जी जापान गए थे। प्रणब दा सदन के नेता हैं, मैं सदन का सदस्य हूं, उन्होंने कहा था कि संसद को विश्वास में लिए बिना कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन पता लगा कि आधी रात के अंदर यह डील कैसे हो गई।

अध्यक्ष महोदय, 8 जुलाई और 9 जुलाई को आईएईए के मसौदे का जो पेपर था, उसे सार्वजनिक कर दिया गया। वह पेपर न यूपीए ने अपने एलीज़ को दिखाया, न इन्होंने संसद को दिखाया, न विपक्ष को दिखाया और पता लगा कि इन्होंने रात के अंधेरे में देश के साथ धोखा किया है। अध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत चर्चा हो गई कि भारत के साथ आप बहुत बड़ी भलाई कर रहे हैं। ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि सन् 2050 में या 2030 में जब भारत की नई पीढ़ी आएगी तब वह मनमोहन सिंह जी को याद करेगी कि इन्होंने रोशनी दी। न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली का सिर्फ पांच प्रतिशत उत्पादन होगा और आप इतना बड़ा ख्वाब दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये अपनी सरकार को, देश को इस बात पर दांव पर क्यों लगाने पर तुले हुए हैं। इन्होंने भारत को नान–न्यूक्लियर कंट्री के दायरे में लाकर खड़ा किया। इस ट्रीटी से, इस एग्रीमैंट से भारत नान–न्यूक्लियर कैटेगरी में आ जाएगा, उस पर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह समझौता हिन्दुस्तान को उजाले की तरफ नहीं बल्कि अंधेरे की तरफ ले जाएगा। आप कह रहे थे कि इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है, इस पर कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, आप देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पार्लियामैंट में आने से पहले बयान दे रहे हैं कि हम देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस पर अलग–अलग राजनीति हो रही है। यह सरकार अल्पमत में है और अल्पमत में होने के बाद इस सरकार ने अब समझौता किया। जिस दिन यूपीए सरकार नैतिकता की बात करती है, हम प्रधान मंत्री जी की इज्जत करते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गुरू गोविंद

सिंह जी का नाम लिया। हम बिहार के रहने वाले हैं और हमें गर्व है कि गुरू गोविंद सिंह जी बिहार के थे। इस वजह से हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि गुरू जी ने कभी देश के साथ कोई समझौता नहीं किया। अगर गुरू जी का नाम लिया तो देश के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, देश के साथ कोई विश्वासघात नहीं होना चाहिए। जो एटमी डील है, यह इस देश के साथ विश्वासघात है। आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी के साथी जो विरोध कर रहे हैं, वे सही हैं। आज तो राजनीति हो रही है। इस देश में तो आदत है। सबसे पहले मैंने पंधे साहब का बयान देखा कि यह डील मुस्लिम विरोधी है। अध्यक्ष महोदय, जिस समाज से मैं आता हूं, उसके नाम पर बड़े लोग नेतागिरी करते हैं। जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं, उन्होंने तरह–तरह के बयान दिये। अब पंधे साहब का बयान आया और वह वापस हो गया, वह एक अलग विषय है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि जब यह डील हो रही है, तो उसका भी सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है। इस पर अलग–अलग बयान दिये जा रहे हैं। कुछ बयान विपक्ष में दिलाये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहनजी दिला रही हैं कि यह विरोधी है। कुछ बयान पक्ष में दिलाये जा रहे हैं कि यह डील मुस्लिम विरोधी नहीं है।अब समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं, वे इनके साथ थे। हमारे इनसे भी बड़े अच्छे संबंध हैं। कभी एक जमाना था जब दावत में इनके हाथ से प्लेट छीन ली गयी थी। हमें भी यह अच्छा नहीं लगा। अध्यक्ष महोदय, कहीं दावत मिले और बुलावा न भी हो, किसी कांग्रेस के मित्र के यहां चले जायें, तो थोड़ी बहुत इज्जत कुलीग के नाते तो हमें मिलेगी। लेकिन हमें यह पसंद नहीं था। अब क्या बात हुई, वह राम गोपाल जी ने बतायी होगी। एक शायर ने कहा कि 'कुछ तो मजबूरियां हुईं होंगीं', यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।'

अध्यक्ष जी, मैंने जब कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पता नहीं उत्तर प्रदेश में आप पर क्या दिक्कत आ रही है? आप क्यों उनके साथ जा रहे हैं? जितना अपमान आपकी पार्टी का कांग्रेस ने किया, हम लोग मर जाते, लेकिन कभी उस दरवाजे पर नहीं जाते।

अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस पार्टी ने जिनका सहारा लिया है उनको और जिनको छोड़ा है, उनकी संख्या तो इंटेक्ट है। जो भी संख्या हो, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जो संख्या दी हो, लेकिन जिनका इन्होंने सहारा लिया है, जिस तरह एक शायर ने कहा कि इस कद्र बदहवास हो गये आंधियों में

लोग, जो पेड़ खोखले थे, उन्हीं से लिपट गये। इनके यहां तो खुद ही संख्या कम हो रही है, खुद अपने सांसदों को बचाते फिर रहे हैं। आज उन्हीं के सहारे ये एनडीए की आंधी में उनसे लिपट गए। यह परसेप्शन बन गया है और इस परसेप्शन में गुट निरपेक्ष राजनीति की वजह से कांग्रेस मशहूर थी। लेकिन आज यह परसेप्शन बन गया है। वर्ष 1989 में मैं यहां पढ़ता था कि अमेरिका का इराक से झगड़ा था। उस झगड़े में बड़े–बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे। 'दोस्ती के दो ही नाम, राजीव गांधी और सद्दाम' यह नारा उस जमाने में लगा था जब इराक की जंग शुरू हुई थी और उसी सरकार के जमाने में सद्दाम हुसैन फांसी पर लटका दिए गए और इस सरकार की ओर से कुछ नहीं हुआ। इसी सरकार के जमाने में हिंदुस्तान की अकलियत के लोग सोचते थे कि ये लोग गुट निरपेक्ष थे, ये लोग हमेशा ईरान और गल्फ की राजनीति करते थे, इन लोगों को क्या हो गया? आज जब ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया में साजिश हो रही है और यह सरकार जिस तरह से अमेरिका से मजबूती से दोस्ती कर रही है, उससे अल्पसंख्यकों के मन में घबराहट पैदा हुई है। मैं इस डील के बारे में कहना चाहता हूं कि इसका परसेप्शन खराब है। अगर परसेप्शन खराब नहीं होता, तो स.पा. के साथ मुसलमानों का वोट बड़ी तादाद में रहा है, मैं इसे मानता हूं, लेकिन खतरा सरकार पर मंडरा रहा है, उस खतरे का एहसास आपको भी है इसीलिए 16 साल के बाद आपको जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर इमाम साहब से मिलने जाना पड़ा। मुस्लिम वोट जाने की दहशत में इनके नेता को जामा मस्जिद जाकर इमाम बुखारी के दरवाजे को खटखटाना पड़ा। इतनी भी क्या मजबूरी इन्हें आ पड़ी, यह सब समझ सकते हैं।

मैं इस न्यूक्लियर डील को हिन्दू– मुसलमान में नहीं बांटना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब भी ये लोग कमजोर होते हैं, तब एक ही बात कहते हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को अलग रखने के लिए एक साथ हुए हैं। जब अलग होते हैं, तब इन्हें मुस्लिम याद नहीं आते। इस डील को मैं हिन्दू या मुस्लिम के पक्ष या विरोध में नहीं देखना चाहता। यह डील न तो मुसलमानों के पक्ष में है और न ही हिन्दुओं के, यह डील तो हिन्दुस्तान के विरोध में है इसलिए यह डील हिन्दुओं और मुसलमानों के भी विरोध में है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। इतिहास इस बात को याद रखेगा। अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। यह सरकार अमेरिका के साथ समझौता करके अमेरिकी गुलामी कबूल कर

रही है। जो हाल कांग्रेस पार्टी का नरसिंह राव जी के कार्यकाल में हुआ था, उससे भी खराब हाल अब होने जा रहा है। इन्होंने हमारे नेता पर आरोप लगाया कि हम लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ दिया, तो क्या उन 150 निर्दोष लोगों की जान आपके हवाले कर देते। हमने अपने देश के एक भी नागरिक को मरने देने का काम नहीं किया और उनकी जान की कीमत पर दो टके के आतंकवादियों को हमें छोड़ना पड़ा। इन्होंने कहा कि हमने उन आतंकवादियों को छोड़ दिया, लेकिन एक बात आनन्द शर्मा जी फिर भूल गए, मैं उन्हें थोड़ा याद दिला दूं कि आप तो आतंकवाद के खिलाफ कभी मजबूती से लड़े ही नहीं।

भारत के इतिहास में वह पहली घटना थी, जब कश्मीर के चरारे शरीफ में आपने आतंकवादी मस्तगुल को बिरयानी खिलाई थी। हिन्दुस्तान की राजनीति में पहली बार चरारे शरीफ में मस्तगुल को आपने सेफ पैसेज दिया था। इन्होंने ही उसे सेफ पैसेज दिया था। आज जो आरजेडी के सांसदों ने कहा कि पूरी बिजली ला रहे हैं। बिहार में 15 साल में एक बल्ब तो जला नहीं पाए, लालटेन से काम चलाते रहे। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि – 'दरिया हो खामोश तो मत समझ कि रवानी नहीं है, हम हैं अपने फर्ज से मजबूर, मत समझ कि जोशे जवानी नहीं है।'

खरीद-फरोख्त कर जघन्य अपराध किया संप्रग सरकार ने : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा

कांग्रेस का चार वर्ष का शासन काल जनता विरोधी, जनता के साथ विश्वासघात करने वाला और सबसे निकम्मा रहा है। परन्तु सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप जो यूपीए ने किया है, वह यह है कि अपनी अल्पमत सरकार को सत्ता में लाने के लिए जिस तरह खरीद–फरोख्त की गई, जिस तरह से धमकियां दी गई, जिस तरीके से मंत्रालय बांटे गए, विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जो साम–दाम–दंड–भेद का प्रयोग हुआ है, वह मृगतृष्णा पैदा करने वाला है, जघन्य है। कोई आम आदमी

खरीद–फरोख्त करता, कुछ और करता, 25 करोड़, 30 करोड़ और सौ करोड़ रुपए की बात होती तो एक बात थी। उसके बाद मायावती के पीछे सीबीआई को लगा कर सीबीआई का दुरुपयोग कहां तक किया गया, यह आपके सामने है। अपने आपको सेक्युलर कहने वाले और प्रधानमंत्री जी को सेक्युलर बताने वाले पंजाब में क्या किया गया? पंजाब कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही हैं – Honour Turban Vote for Prime Minister- प्राइम मिनिस्टर की टर्बन के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। प्रधानमंत्री किसी एक मजहब का है, प्रधानमंत्री वहां जा कर इस बात पर वोट मांगेंगे?

अध्यक्ष महोदय, न्यूक्लिअर डील पर इतनी बातें कही जा चुकी हैं, मैं उसमें कुछ बहुत ज्यादा और एड नहीं करना चाहता परंतु एक गोयबल्स की तरह से लगातार गलतबयानी की जा रही है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि इधर डील हुई और उधर सबके यहां बल्व लग गये और 24 घंटे बिजली जलती रहेगी। कोई इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि अगर आज समझौता होता है तो 20–25 साल के बाद दस लाख करोड़ रुपया खर्च करके बिजली इतनी आएगी जितनी कुल मिलाकर हिन्दुस्तान की जो मांग है, उस मांग का कुल पांच प्रतिशत बिजली यहां पैदा होगी। 95 प्रतिशत बिजली फिर भी अलग पैदा होगी और 10–20 लाख करोड़ रुपया खर्च करके यहां पर बिजली आनी है और आज उसका प्रचार किया जा रहा है कि आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, आपके यहां बिजली आ जाएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर न्यूक्लिअर डील होने से जो देशी, विदेशी, न्यूक्लिअर लॉबी हैं, जो यूरेनियम सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट का ठेका लेने वाली देशी कंपनियां जो हैं, यदि अगले चालीस वर्षों तक 20 लाख करोड़ के लाभ वाला व्यवसाय मिलने की गारंटी उन्हें हो तो यह अति लाभ वाला और भारत को न्यूक्लिअर गुलाम बनाने वाला धंधा है और इसलिए उनके समर्थक दलों के मैनेजर और वे उद्योगपति यदि विश्वास मत प्राप्त करने के लिए यहां खर्चा कर दें तो उसमें कौन सा आश्चर्य है?

मैं इस बात को भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि यहां बहुत बार कहा गया और प्रणव जी ने भी बहुत बार कहा और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी यह कहा कि हमारे ऊपर हाइड एक्ट लागू नहीं होता। वे यह कहते हैं कि 123 एक्ट ही लागू होता है और हमारे ऊपर कोई प्रतिबन्ध ही नहीं है कि अगर हम परीक्षण करना चाहें परंतु जिस दिन यह बात कहते हैं, अगले

दिन ही अमेरिका से कोंडला राइस हो या कोई हो, वे इसका खंडन करते हैं।

वे कहते हैं: The moment you do the test, the Deal is over. अगर दो पार्टियों में समझौता होता है, दो दलों में और दो देशों में करार होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन तो एक होना चाहिए। दोनों का यहां स्पष्टीकरण तो एक होना चाहिए। यह तो नहीं हो सकता कि दोनों में से कौन सच कह रहा है, कौन गलत बात कह रहा है, अमेरिका के जितने वहां के कांग्रेसमैन हैं, उनमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक बार हमारे साथ यह संधि हो जाए, उसके बाद सीटीबीटी, एनपीटी, इस पर अपने आप ही हस्ताक्षर हो जाएंगे और अपने आप ही यहां पर हमारे हाथ में आ जाएगा। इस बात का भी यहां पर जिक्र किया गया कि चाइना कितने लगा रहा है। दुनिया में कितने देश हैं जिनके यहां एटॉमिक पॉवर प्लांट लगाये जा रहे थे, वे उनके साथ हैं। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, यू.के. इत्यादि देश हैं और इन्होंने अपने यहां एटॉमिक एनर्जी पैदा करने के प्लांट लगाने बंद क्यों कर दिये हैं। उनके यहां 15 साल से कोई एटॉमिक प्लांट नहीं लगे हैं और वह इसलिए कि उनको लगता है कि एटॉमिक एनर्जी की बजाए हमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ जाना चाहिए और यहां थोरियम में से जो हमारे यहां पर हो सकता था, उसके हिसाब से इसे करने की जरूरत थी। हमारे देश में थोरियम का भंडार पचास प्रतिशत से ज्यादा है।

Sir, The US, Canada, Germany, France and Japan all seem to be reviewing their nuclear energy programmes and commissioning of new nuclear power plants in all these countries has almost come to a stand-still. The biggest supplier of Uranium in the world is yet to initiate a nuclear power programme. आस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा है। वह अपने यहां पर इसे क्यों नहीं लगाता? उसको बेचना है, हमें उसका खरीदार बनाना है, हमें उस कचरे को यहां पर लाकर देना है और उसके बाद कोशिश की जा रही है और यहां बताया जा रहा है कि उसका क्या लाभ होगा? 30–35 साल के बाद 5 प्रतिशत उसमें से कुल बिजली हमें मिलेगी और अपने यहां नॉर्थ ईस्ट में डेढ़ लाख मेगावॉट बिजली पैदा करने की क्षमता है, उसको यहां पर हमने हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी या यहां पर थर्मल पॉवर प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं Do not rush IAEA Pact. experts advised the Government. हमारे सारे न्यूक्लिर एक्सपटर्स ने बार–बार सरकार को इस बात की चेतावनी

दी है, इसलिए यहां पर यह बात आई है परंतु उसके बाद क्योंकि यह न्यूक्लिअर डील पर ही यहां फैसला नहीं होने वाला है। बड़े आंकड़े दिये गये हैं कि चार साल में हमने देश में क्या कर दिया। 4 साल में हमने देश को इतना खुशहाल बना दिया और इस तरह से ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन 4 साल से यह सरकार गलत बयानी करती आ रही है। अब इनके अपराध इनके सर पर चढ़कर बोल रहे हैं, सबसे बड़ा अपराध आकाश को छूती हुई कीमतें, करोड़ों लोगों की कमर तोड़ती हुई महंगाई, गरीब आदमी की थाली में से पहले से आधा भोजन हो जाए और उसे दिन में भूखा रहना पड़े, यहां पर हालत ऐसी पैदा हो गई।

आतंकवाद देश को कैसे ग्रसित कर रहा है! अमरनाथ के यात्रियों पर हमला हुआ, कश्मीर में 10 जवान मारे गए, उनके काफ़िले पर हमला किया गया। काबुल के राजदूतावास पर हमला हुआ। काबुल के राजदूतावास पर हमला हमारे देश पर हमला है। एम.के.नारायणन साहब जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि यह आई.एस.आई. का काम है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि इसमें आई.एस.आई. का हाथ है और उन्होंने कहा कि आई.एस.आई. को नेस्त–नाबूत किये बिना शांति नहीं हो सकती। आप क्या कर रहे हैं? आई.एस.आई. किस तरह से खत्म होगा? क्या पोटा खत्म करके आई.एस.आई. को खत्म किया जाएगा? यहां पर उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो यहां पर उनको भर्ती करने का काम किया जाएगा, उससे आई.एस.आई. समाप्त होगा? आपकी सरकार ने उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के काम किए। अब तक एक लाख से ज्यादा लोग आंतकवाद का शिकार हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद हमारे देश में है और यहां क्या हो रहा है? आतंकवाद के खिलाफ एकमात्र कानून था जिसको खत्म कर दिया। दुनिया के हर देश में आतंकवाद के खिलाफ कानून है मगर हमने उस कानून को खत्म कर दिया। आतंकवादियों को कहा कि जो चाहे करो, यहां आपके खिलाफ कोई कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कल श्राइन बोर्ड का मामला आया। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी हुई ज़मीन जिस दिन वापस हुई, जिस दिन इसकी खबर आई, उसी दिन यहां पर खबर आई कि यहां पर दिल्ली में हज मंज़िल बनाई जाएगी और उस पर 35 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। लोगों को हज भेजे जाने पर हमें आपत्ति नहीं है। हज के लिए हम 400 करोड़ रुपये की सबसिडी देते हैं। दुनिया के 178 देशों में से कोई देश सबसिडी नहीं देता। यदि कोई देश हज के लिए

सबसिडी देता हो तो उसका नाम लें। पाकिस्तान भी सब्सिडी नहीं देता। पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया, हाई कोर्ट ने आर्डर निकाला। हमारे यहां एयरपोर्ट्स पर उनके लिए स्पेशल जगह बनाई जाती है और इस तरह के हालात पैदा किये जाते हैं। श्राइन बोर्ड से ज़मीन छीन लेना और मुझे उस पर आपत्ति है कि यहां पर 100 करोड़ हिन्दू हैं और उनको 100 एकड़ ज़मीन देने पर हाहाकार मच जाता है। कश्मीर में जो जुलूस निकले, उसमें पाकिस्तान ज़िन्दाबाद के नारे लगाए गए, भारतीय झंडे को जलाया गया, हिन्दुस्तान के झंडे को जला दिया गया और इसको आप टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ी भारी देशभक्ति का काम है! यहां पर यूपीए का घटक दल है पीडीपी। कोई खुलेआम बार–बार कह रहा है कि कश्मीर में दो करंसियां चलाई जाएं।

अध्यक्ष जी, कश्मीर में पाकिस्तान ज़िन्दाबाद के नारे लगें और यहां पर कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री कनाडा में उस गुरुद्वारे में गए जहां खालिस्तान ज़िन्दाबाद के नारे लगते थे, अकालियों ने जहां जाकर इनके पुतले जलाए थे और यहां पर इस तरह के हालात पैदा किये जाते हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि शुभ करमन ते कबहूं न टरौं – शुभ कर्मों से डरना नहीं चाहिए। क्या इस देश को अमरीका का पिछलग्गू बनाना शुभकर्म है, क्या पूंजीपतियों के हाथों में खेलकर आम आदमी का गला घोंटना शुभकर्म है, क्या वोट बैंक के लिए देश में आतंकवादियों को प्रोत्साहन देना शुभकर्म है, क्या अमरनाथ श्राइन बोर्ड को दी हुई ज़मीन वापस लेना शुभकर्म है?

अध्यक्ष जी, इस सरकार के चार साल के शासन में इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है और यहां पर इस सरकार को विश्वास मत देने का मतलब है जनता से भयंकर विश्वासघात करना और जो विश्वासघात करना चाहें वे करें, मैं अपनी पूरी शक्ति से सरकार ने जो मोशन रखा है, उसका विरोध करता हूँ। ■

संसद में बहस

आवश्यकता है आत्म सम्मान के साथ खड़े होने की

डा. मुरली मनोहर जोशी

संसद (राज्यसभा) के शीतकालीन सत्र (2007) में दिया गया भाषण

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। यह पहली बार नहीं है, जबकि इस बारे में इस सदन को मैं अपने और अपनी पार्टी के विचारों से अवगत करा रहा हूं, इस विषय पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ पत्र भी लिखे थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन पत्रों का उत्तर देना उन्होंने उचित नहीं समझा। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उन पत्रों में हमने जो समस्याएं रखी थीं, जो बिन्दु उठाए थे, वे आज तक उसी तरह से अनुत्तरित हैं और देश उनसे उनका उत्तर जानना चाहता है।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि यह समझौता ऊर्जा के कारण हमें करना पड़ा है। श्री सिंघवी जी ने इस बारे में देश को और सदन को आज फिर से बताने का बहुत प्रयास किया कि हमारे देश में ऊर्जा का बहुत अभाव है, हमें विश्व की महाशक्ति बनना है, हमें 10 प्रतिशत या उससे अधिक विकास की दर पर शीघ्रातिशीघ्र पहुंचना है और इसलिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा बहुत प्रमुख तत्व है, वह उसकी कुंजी है, लेकिन यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है कि हम अपनी विकास की कुंजी दूसरे देश के हाथ में थमा दें। विकास के लिए ऊर्जा की जरूरत है और वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह विकास की कुंजी हमारे हाथ में रहनी चाहिए। मुझे याद आता है कि एक बार एक मुग़ल बादशाह हिन्दुस्तान में पहली बार आए, वे

घोड़ों पर चढ़ने के आदी थे। लेकिन, हिन्दुस्तान में बादशाह या शहंशाह हाथी पर चढ़ाए जाते थे। इसलिए जब वे सवारी के लिए निकले तो सामने हाथी खड़ा था। उन्होंने कहा कि इस पर मैं बैठूंगा कैसे? उनको बताया गया कि इस तरह से आपको मदद मिलेगी, नीचे एक स्टूल रखा जाएगा जिस पर पांव रखकर आप हाथी पर पहुंच जाएंगे। बादशाह ने कहा कि बहुत अच्छा है। फिर बादशाह ने पूछा कि इस हाथी को चलाएगा कौन? तो उन्हें कहा गया कि इसको महावत चलाएगा। इस पर बादशाह ने कहा कि फिर मुझे इस हाथी पर बैठने की दरकार नहीं है, मेरा घोड़ा ही अच्छा है, जिसे मैं खुद चलाऊंगा। तो सवाल यह है कि अगर आप ऊर्जा के हाथी पर बैठना चाह रहे हो और उस ऊर्जा के हाथी को चलाने वाला महावत वाशिंगटन में बैठा हो, तो उस ऊर्जा से देश का काम नहीं चलेगा।

दूसरी बात यह है कि हमें बताया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे सस्ती पड़ेगी, सबसे जल्दी मिलेगी, बड़ी क्लीन होगी, वगैरह, वगैरह। शौरी जी ने और येचुरी जी ने ऊर्जा मिक्स के बारे में बात कही थी, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन उन दोनों ने ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत का उल्लेख नहीं किया, जो है सौर ऊर्जा (Solar Energy)। दुनिया में हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें प्रति स्क्वायर सेंटिमीटर सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, 12 महीने मिलती है। कभी देश के किसी हिस्से में महीना, दो महीने न मिले तो दूसरे हिस्से में मिलती रहती है, लेकिन कुल मिलाकर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा भाग भारत को मिलता है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच-सात साल पहले जब मैं विज्ञान मंत्री की हैसियत से जर्मनी गया था तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने हमसे कहा था कि वे धीरे-धीरे अपने सारे नाभिकीय ऊर्जा संयत्र बंद कर रहे हैं और उसके बदले सोलर ऊर्जा की तरफ, सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। अब अगर जर्मनी इस बात के लिए कोशिश कर सकता है, जहां इतनी सौर ऊर्जा नहीं मिलती तो भारत को क्या दिक्कत है? अभी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि दो लाख हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे, अगर उनमें से कुछ हजार करोड़ ही सोलर एनर्जी के लिए, सौर ऊर्जा के विकास के लिए खर्च कर दिए जाएं तो बहुत आसान होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा हमारे देश में उपलब्ध है, बहुत से काम हम उससे कर रहे हैं, लेकिन उसकी ऐफिशिएंसी, उसकी दक्षता बढ़ाने की जरूरत है

और वह अगर हमने 10 प्रतिशत भी बढ़ा दी, 15-20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखें, लेकिन अगर 10 प्रतिशत भी उसकी ऐफिशिएंसी हमने बढ़ा दी, तो आप देखेंगे कि बिना किसी कष्ट के हम सारे देश को ऊर्जा दे सकेंगे और शायद एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

ऊर्जा का एक अन्य स्रोत हाइड्रोजन है, जो बहुत क्लीन है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है और उसका बाइप्रोडक्ट अच्छा पानी बनता है। जब मैं विज्ञान मंत्री था, तब मैंने इसकी कोशिश की और बीएचयू में हमने उस हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग करके देखा, उससे मोटर-साइकिल चला कर दिखाई गई, उससे जीप चला कर दिखाई गई, उससे रेफ्रिजरेशन हो सकता है, उससे भोजन पकाया जा सकता है और वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। हमारे देश के लिए भी क्यों नहीं इस तरह से प्रयास किया जाता है? हम ऐसी चीज़ों के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं?

यह वह ऊर्जा है, वह हाथी है, जिसके महावत हम स्वयं हैं, यह वह घोड़ा है, जिसकी लगाम हमारे पास है और जो ऊर्जा हमारे देश को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से भी हमें आगे ले जाएगी और हम भारत को ही नहीं, सारी दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे। इसलिए मैं यह मानता हूं कि हमें इस मामले में और गहराई से विचार करना चाहिए।

हम जिसे वायु ऊर्जा कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं, वह भी हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, नाभिकीय ऊर्जा से कहीं ज्यादा ऊर्जा हमारे देश में 18 जुलाई, 2005 को उपलब्ध थी और बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी, इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अत: हमारे ऊपर यह जो समझौता थोपा जा रहा है कि हमारे पास ऊर्जा की कमी है और हमारे पास इसके अलावा ऊर्जा का और कोई स्रोत नहीं है, मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं और शायद देश का कोई भी विचारवान व्यक्ति, जो देश की भौगोलिक परिस्थितियों से, यहां की सभी आवश्यकताओं से, यहां की पानी की क्षमता से, यहां की सौर ऊर्जा की क्षमता से और इसके अलावा जो यहां की बायो एनर्जी है, उसकी क्षमता से परिचित हैं, वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि सिर्फ इतनी खर्चीली नाभिकीय ऊर्जा, जिसके साथ अन्य बहुत सी समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसा यहां बताया

गया कि उसे संरक्षित करना, उसमें से जो वेस्ट निकलता है, उसे रखना और फिर उसका डिस्पोज़ल करना, आखिर क्यों अमेरिका ने आज तक हमें इसके न्यूक्लियर वेस्ट्स को वहां पर भेजने की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि वह उसका डिस्पोज़ल अपने यहां पर नहीं करना चाहता है। वह तो इस बात की कोशिश करेंगे कि सारी दुनिया का न्यूक्लियर वेस्ट हमारे यहां डम्प किया जाए, लेकिन अपने यहां वह उसे नहीं लेना चाहते। हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए और ऊर्जा का जो बहाना या निमित्त बनाया जा रहा है, मैं माफी चाहूंगा, उसे एक आर्गुमैंट दिया जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है, यह बहुत मज़बूत तर्क नहीं है।

हां, हमें नाभिकीय ऊर्जा की जरूरत है और कई बार यह कहा जाता रहा है कि हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए और अपने स्ट्रैटेजिक कार्यक्रमों के लिए, यूरेनियम की बहुत कमी थी और फिर हमने उसकी पूर्ति के लिए आवाज़ लगाई और उसकी पूर्ति करने के लिए अमरीका ने कहा कि अमुक शर्तें मानो, इस तरह से काम करो और हमने उनको मान लिया और फिर उसी में से यह समझौता निकला।

मेरे सामने वैज्ञानिकों का एक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है, At the very outset, it should be understood that India has sufficient supplies of natural uranium to meet immediate requirements until the third phase of thorium cycle has been commercialised, when India would have attained complete self-sufficiency over all aspects of nuclear energy production. With uranium mining activities, in India, proceeding at a snail's pace, we have come to a point where immediate imports were required mainly to keep the two Tarapore plants running past 2007.

बुनियादी बात यह है कि हमारे देश में यूरेनियम है। यहां मैं न तो किसी विदेशी को कोट कर रहा हूं और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट दे रहा हूं, यह हमारे उन वैज्ञानिकों का कथन है, जो इस नाभिकीय ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं। मैं भी इस बात को जानता हूं कि हमारे देश में यूरेनियम के प्रचुर भंडार हैं, आन्ध्र प्रदेश में हैं, झारखंड में हैं, उड़ीसा में है, मेघालय में

हैं और उत्तरांचल में भी हैं। अगर ठीक ढंग से इन सबकी माइनिंग की जाए तो हमें यूरेनियम की कोई दिक्कत नहीं है। आज भी जो माइनिंग हो रही है, जितना हम जानते हैं, उसमें 12,000 टन प्योर एंड एनरिच्ड यूरेनियम हमारे देश में उपलब्ध है, लेकिन उसकी माइनिंग क्यों नहीं हो रही है? आन्ध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? नक्सलाइट्स वहां पर जाने ही नहीं देते और ट्राइबल्स के मामले उठा करके लोगों को वहां घुसने नहीं देते। एक बार मैं मेघालय के दौरे पर गया था, वहां मैंने देखा कि एक आन्दोलन हो रहा था। वह आन्दोलन इसलिए था कि हम यूरेनियम नहीं ले जाने देंगे। मैंने उन बच्चों को बुलाया और पूछा कि भई आप क्यों नहीं ले जाने दोगे, तो वे बोले कि यह हमारा है।

मैंने कहा कि आपका है, सारे देश का है। फिर बोले, -नहीं-नहीं, हम इसको नहीं ले जाने देंगे। मैंने कहा कि आप इससे यहां क्या करोगे? वे बोले कि हम कुछ भी करें, लेकिन हम इसको यहां से नहीं ले जाने देंगे। वहां बगल से कोयला जा रहा था। हमने कहा कि कोयला क्यों ले जाने दे रहो हो? यूरेनियम नहीं ले जाने देंगे, कोयला ले जाने देंगे। इसका मतलब है कि एक निश्चित उद्देश्य से वहां आंदोलन किए जा रहे थे कि यहां से यूरेनियम नहीं ले जाने देंगे। आंध्र से यूरेनियम नहीं ले जाने देंगे। कहीं पर एक्सप्लोरेशन करना हो तो एक्सप्लोरेशन नहीं करने देंगे, क्योंकि वह ट्राइबल की जमीन है कैसे घुस सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या देश की सुरक्षा और देश का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम इन बातों में उलझा रहेगा? अभी तक इस बात की जानकारी क्यों नहीं ली गई कि यह आंदोलन क्यों हो रहे हैं और इन आंदोलनों के पीछे कौन ताकतें हैं? मुझे कभी-कभी संदेह होता है कि वे ताकतें जो हिन्दुस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम को, न्यूक्लिअर प्रोग्राम को, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को सफल नहीं होने देना चाहतीं और हमें न्यूक्लीअर मामलों में, नाभिकीय मामलों में आत्म-निर्भर नहीं होने देना चाहती, कहीं वे ताकतें तो इसकी पीछे नहीं हैं? कहीं वे यह तो नहीं चाहतीं कि एक दफा हमको यहां पर न्यूक्लिअर मैटीरियल में अभाव पैदा हो, नाभिकीय चीजें -हम अपना यूरेनियम माइन नहीं कर सकें, उसको खोद न सकें और फिर हम उसको दुनिया से मंगाएं? क्योंकि मैं इस बात को कई तरह से सोचता हूं। आज मुझे अखबार में देखकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री

जी Joseph Stiglitz के साथ बैठे हुए थे और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर जो विकसित देश हैं उनका कैसा प्रभाव पड़ रहा है या उनकी क्या राजनीति है। 'The politics of WTO.' इस पर उन्होंने भाषण किया। सही बात है। अगर आप गौर से देखें तो विकास के लिए पूंजी की जरूरत है, विकास के लिए टेक्नॉलोजी, रॉ-मेटीरियल और एनर्जी की जरूरत है। अगर आप इस पर ध्यान दें, देश को आत्म-रक्षा के लिए अनाज की जरूरत है, तो मैं देखता हूं कि there is a politics of WTO. There is a politics of food. There is a politics of energy and there is a politics of technology. पेटेंट कानून, They impinge upon the politics of technology.

यह जो सारी व्यवस्थाएं नाभिकीय और ऑयल की जो पॉलिटिक्स है वह एनर्जी पॉलिटिक्स है। अनाज के मामले में मुझे कहने की इजाजत दीजिए, इस सरकार ने जो दूसरा समझौता किया है अभी इसी नाभिकीय समझौते के साथ-साथ, जिसकी चर्चा इस सदन में नहीं हुई, जो कि उतनी ही जरूरी है, वह आपके सैकंड ग्रीन रिवोल्यूशन की है, that is, food politics. मेरे पास कुछ रिकार्ड्स हैं जिसमें अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था Food is our instrument and it is a very powerful instrument to bargain. इसका मतलब यह है कि अनाज की एक पॉलिटिक्स है कि अनाज के आधार पर, अनाज को लेकर के हम दूसरे देशों को दबा सकते हैं। एनर्जी एक पॉलिटिक्स है जिसके आधार पर हम दूसरे देशों को दबा सकते हैं, बारगेनिंग कर सकते हैं। एनर्जी का अभाव पैदा करो, अनाज का अभाव पैदा करो, पूंजी का अभाव पैदा करो, टेक्नॉलोजी आने मत दो और फिर उन देशों को अपने कब्जे में रखो, विकसित देशों की जो एक मानसिकता है उसको हम समझ लें। इस हिसाब से आप जरा इस सारे नाभिकीय समझौते की पृष्ठभूमि और आज तक डवलपमेंट पर विचार करें। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि बहुत सी बातें विस्तार में कही गई हैं, लेकिन सार रूप में मैं यह कहता हूं कि हमारे सामने यह जो हाइड एक्ट आया है, लेकिन नाम तो हाइड एक्ट है But, it hides many things and reveals very few things. यह अपने अंदर बहुत चीजें छिपाए हुए है। मगर जो कुछ आप इसको देखें सार रूप में इसमें कुछ बातें उभरती हैं।

पहली बात तो यह है कि It seeks to neither fully nor irreversibly lift civil nuclear sanctions against India. जो बात कही जाती है बार-बार वह इसमें से निकल नहीं रही है। इसके प्रोविजंस, इसकी धाराएं हमारी ऊपर से सैंक्शंस पूरे तौर पर भी नहीं उठाते और वैसे भी नहीं उठाते। It provides no guarantee of uninterrupted fuel supply over the lifetime of imported reactors. और यह हमारी नाभिकीय स्वायत्ता को, नाभिकीय स्वतंत्रता को एक तरह से प्रतिबंधित करता है, जो किसी भी दिन रुक जाएगा। फिर आपका यह सारा इंवेस्टमेंट चार लाख हजार करोड़ का, दो लाख हजार करोड़ का, तो आपकी सारी जो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं ठप्प हो जाएंगी। तो इसमें कुछ गारंटी नहीं है। It denies India an unfettered right to either reprocess U.S.-origin fuel discharged by reactors or to ship it to the U.S. for disposal. कोई इसकी व्यवस्था नहीं है और आगे भी जो इसमें से नाभिकीय वेस्ट निकलेगा, इसको आप वापिस नहीं भेज सकेंगे, इसको आप कहां डिस्पोज-ऑफ करेंगे, यह आपको सोचना पड़ेगा? It debars India's exit from the arrangements, but allows the U.S. to terminate all cooperation if New Delhi fails to abide by the listed good-behaviour conditionalities. अच्छे बच्चे की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं, अगर यह हमने नहीं दिखाया तो वे तोड़ सकते हैं। It decrees U.S. end-use verification in India, in addition to inspections by the Vienna-based International Atomic Energy Agency.

अमेरिका की जो एजेंसी है, वह भी हमारा निरीक्षण करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि there is no reason for the American scientists or the American agents to roam about it, but यह तो सीधे-सीधे उनको इजाजत देता है कि वे आएं, चक्कर लगाएं और गौर से देखते रहें कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें संदेह पैदा होता है कि हमारी जो टेक्नालॉजी है, जिसमें अमेरिका बहुत पीछे है, क्योंकि उन्होंने 1970 से आज तक एक भी रिएक्टर नहीं बनाया है। थोरियम टेक्नालाजी की बात तो छोड़ दीजिए, जो यूरेनियम की एडवांस्ड टेक्नालाजी है, जिसकी बात कही जाती है, उसमें अमेरिका ने 1970 से अब तक कोई

रिएक्टर नहीं बनाया है। It not only formalizes India's status as a non-nuclear-weapons State, but it also mandates that New Delhi signs with the IAEA a highly intrusive Additional Protocol of the type applicable to non-nuclear nations. हमको बार-बार यह कहा गया कि भारतवर्ष का स्टेटस बहुत बढ़ेगा। शुरू में तो यह कहा गया था कि यह बिल्कुल न्यूक्लियर वैपन्स स्टेट होगी। फिर बाद में प्रधान मंत्री जी ने उसमें संशोधन किया और कहा कि नहीं non-nuclear की बात तो नहीं है, लेकिन एक एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नालाजी वाला देश यह है और यह इसका स्टेटस होगा, वह भी इसके अंदर नहीं है। क्योंकि वे जो शर्ते लगा रहे हैं, वे नॉन न्यु क्लियर वैपन्स स्टेट के लिए हैं, वे न्यूक्लियर टेक्नालाजी में एडवांस्ड दूसरों के लिए नहीं है। It seeks to compel New Delhi to unilaterally adhere to US-led cartels formed without UN sanction that continue to exclude and target India the Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime, Australia Group and Wassenaar Arrangement. In addition, the Act seeks India's 'full participationछ in the controversial US-promoted Proliferation Security Initiative (PSI). Well, the Act, perpetually, hangs the sword of Damocles of waiver or termination over India's head.

वह कभी भी इसको कर सकते हैं। आप उनके सामने किसी भी बहाने से नतमस्तक हों, कोई बात निकालना, उनके लिए बहुत आसान है। जिस इराक में कुछ नहीं था, उनको वहां कोई न्यूक्लियर वैपन नहीं मिला, वहां इतना हंगामा कर दिया, तो फिर यहां भी हो सकता है। भगवान न करे कि इस तरह की कोई पोजिशन आए। It aims to bring India forcibly through the backdoor into a pact rejected by the US Senate the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). It seeks both to build pressure on India to halt all fissile-material production and continually shine a spotlight on the Indian nuclear-weapons programme. It widens and toughens a stipulation that India actively and fully assist

US efforts to discipline and isolate Iran and also to follow policies congruent to the policy of the United States.

अब यह जो स्थिति है, ये सारी जो बातें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन के मार्फत एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार और सदन के बाहर भी, बार-बार उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये सब बातें नहीं होंगी। लेकिन यह सब जो Hyde Act है, उसके परिणाम हैं, उसके परिणामों से बचना, बावजूद इसके कि हमारे विद्वान वक्ता ने यह कहा कि बहुत सी बातें इसमें वे हैं, जो non-mandatory हैं, जो हमारे ऊपर binding नहीं हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। यह कानून हिन्दुस्तान के लिए तो है नहीं। कानून तो अमेरिका के लिए बनाया है। अमेरिकन का क्या interpretation है, वह क्या उसका लगाते हैं, सवाल तो वहां है। वह कैसे उसका interpretation करते हैं, क्या उसकी व्याख्या करते हैं? अगर यह उसके लिए नहीं है, तो पहले सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कहा जाए, सरकार की तरफ से यह बात स्पष्ट आनी चाहिए कि ये अमेरिकन प्रेजिडेंट के लिए binding हैं या नहीं ? यह सवाल पहले भी उठाया गया। आज सुबह शौरी जी ने भी उठाया और लोगों ने भी उठाया। मैं दो टूक शब्दों में जानना चाहूंगा कि अगर ये प्रतिबंध non-binding हैं, तो क्या अमेरिकन प्रेजिडेंट के ऊपर भी नहीं लगेंगे? क्या वह इनको इग्नोर कर सकता है ? क्या वह इनके बाहर काम कर सकता है, क्योंकि parameters have been well defined.

चौखटा तो बना दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये सब बातें वहां निकलती हैं, उनका जो Atomic Energy Act, 1954 का है, उसका जो सैक्शन 123 है, उसमें से सारी चीज़ निकल रही है। वह एक्ट अपनी जगह पर मौजूद है, उस एक्ट में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। Everything which follows on that Act उसके ऊपर वह सारी चीजें binding होंगी जो 1954 के एक्ट में मौजूद हैं। वहां जो कुछ मौजूद है, वह सब हमारे ऊपर लागू होगा। आप कहते रहिए कि यह non-binding है। वह कहेंगे कि हमारा जो Atomic Energy Act, 1954 का है, उसका यह सैक्शन 123 है और इस सैक्शन का अनुपालन कराने के लिए ही ये चीजें हैं और उस एक्ट में बहुत सी बातें लिखी गई हैं।

123 उस एक्ट को ओवर रूल थोड़ा ही कर सकता है। आपका हाइड

एक्ट इस 123 धारा के अंतर्गत बनाया गया है, उसी के अंदर हम कुछ कर सकेंगे, इस तरह का आभास हमें दिया जा रहा है। इस पर गहराई से बात होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि विद्वान अधिवक्ता इस पर थोड़ा गहराई से विचार करें और सरकार भी इस बात पर गहराई से विचार करे कि क्या 'हाइड एक्ट' की जो आज धाराएं हैं, उससे अमरीकी राष्ट्रपति प्रतिबंधित नहीं हैं, वे उस पर नहीं लगेंगे, क्या वह उसको वीटो कर सकता है, क्या वह उससे हट सकता है? अगर ऐसा होता तो जहां तक मैं समझता हूं, अमेरिकन कांग्रेस ने उनको फास्ट ट्रेक डिसीज़न करने वाला जो प्रावधान था, वह स्वीकार नहीं किया, वह उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यह हम नहीं मानेंगे और उन्होंने यह कहा कि अगर आप इस एक्ट के तहत कोई समझौता कर लेंगे तो खाली राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए, इतने से बात नहीं बनेगी। हमारे पास फिर से लाइए। क्यों लाइए? राष्ट्रपति को आपने अधिकार देकर क्यों नहीं छोड़ दिया? वे कहते हैं, नहीं, आप यहां आइए और हमें दिखाइए कि 'हाइड एक्ट' के मुताबिक इस समझौते की धाराएं बनायी गयी हैं या नहीं बनायी गयी हैं। क्या मतलब है उसका? अगर यह नॉन बाइंडिंग का ही सवाल है और उन्होंने खाली एक विश अपनी रखी है कि हमारी इच्छा है कि ऐसा हो तो फिर छोड़ दो, उसे राष्ट्रपति देख रहे हैं, आपकी इच्छा अपनी जगह है, राष्ट्रपति का आदेश अपनी जगह है। कहते हैं, नहीं, हमारे पास आइए, हमें दिखाइए। जब तक हम उसके ऊपर दोबारा से रेज़ोल्यूशन नहीं करेंगे, तब तक यह कानून नहीं बनेगा, तब तक यह समझौता नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें हैं जो इस बारे में हमें सशंकित करती हैं कि यह कानून, यह व्यवस्था भारत की ऊर्जा सामर्थ्य पर, ऊर्जा स्वाधीनता पर पूरा अंकुश लगाने की बात है और इसी के साथ-साथ हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स को, हमारे नाभिकीय कार्यक्रमों को समाप्त करने की बात है। क्या उसमें यह शर्त नहीं है कि भारत अगर कोई नाभिकीय विस्फोट करेगा तो यह सारा समझौता रद्द हो जाएगा, वह सारी योजना की जितनी हमारी कहानी है, वह वहीं खत्म हो जाएगी, उसका पटाक्षेप हो जाएगा। और हम अपने आप विस्फोट करें या न करें, उसका फैसला कौन करेगा? हम करेंगे या अमेरिका? सर, यह देखने की बात है। हमें यह बताया जाए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके द्वारा जो कुछ अमेरिका उपलब्ध

करना चाह रहा है, उसे वह सब मिल रहा है। हमें मिल ही क्या रहा है? उसका ज़रा लेखा-जोखा तो हो कि हम जाएंगे कहां? नाभिकीय कार्यक्रम आपका समाप्त है, आपकी जो credible minimum deterrence का सवाल है, वह गायब है, वह आप नहीं रख सकेंगे। ग्लोबल सिचुएशन बदल रही है, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। क्या ऐसी स्थिति में हम अपने नाभिकीय स्ट्रेटेजिक कार्यक्रम में बदलाव नहीं कर सकते? मगर उसके लिए अमेरिका से इजाजत लो, यह क्या बात हुई? हमारा डिफेंस उनके अंडर, हमारी ऊर्जा उनके अंडर, हमारी फॉरेन पॉलिसी उनके अंडर, हमारी फूड पॉलिसी उनके अंडर - हम कहां जा रहे हैं? किधर ले जाना चाहते हैं? इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब जो वैज्ञानिकों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसका भी ज़रा अनुसरण कीजिए - वह तो लेटेस्ट है, अभी लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि In the context of our August 2006 meeting with the Prime Minister, we have summarised below our views on the Hyde Act, and our recommendations to the Parliamentarians on the action required from them. ये कौन लोग हैं? ये बहुत प्रसिद्ध नाम हैं। नीचे हस्ताक्षर करने वाले हैं - Dr. H.N. Sethna, former Chairman, Atomic Energy Commission, Dr. M.R. Srinivasan, former Chairman, Atomic Energy Commission, Dr. P. K. Iyengar, former Chairman, Atomic Energy Commission, Dr. A. Gopalakrishnan, former Chairman, Atomic Energy Regulatory Board, Dr. A.N. Prasad, former Director, Bhabha Atomic Research Centre, Dr. Y.S.R. Prasad, former Chairman and Managing Director, Nuclear Power Corporation of India Limited, Dr. Placid Rodriguez, former Director, Indira Gandhi Centre for Atomic Research. ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं।

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, पार्लियामेंटेरियंस से उन्होंने अपील की है full cooperation in civilian nuclear energy has been denied to India: (a) US unwillingness to cooperate in the areas of spent fuel reprocessing and Uranium enrichment

related to the full nuclear fuel cycle. (b) Denial of the nuclear fuel supply assurances and alternative supply arrangements mutually agreed upon earlier limits cooperation in the GNEP programme. India will not be permitted to join as a technology developer but as a recipient State. हर जगह आप recipient हैं। कहीं आप टेक्नालॉजी रिसीव कर रहे हैं, कहीं आप fuel रिसीव कर रहे हैं, कहीं आप पूंजी रिसीव कर रहे हैं, हर जगह आप recipient हैं।

(b) India asked to participate in the international effort on nuclear non-proliferation, with a policy congruent to that of United States.

(c) Impact on our Strategic Defence Progamme: In responding to the concerns earlier expressed by us, the Prime Minister stated in the Rajya Sabha on August 17, 2006 that We are fully conscious of the changing complexity of the international political system. Nuclear weapons are an integral part of our national security and will remain so, pending the global elimination of all nuclear weapons and universal non-discriminatory nuclear disarmament. Our freedom of action with regard to our strategic programmes remains unrestricted. The nuclear agreement will not be allowed to be used as a backdoor method of introducing NPT type restrictions on India.And yet, this Act totally negates the above assurances of the Prime Minister.

Then he referred, The Act makes it explicit that if India conducts such tests, the nuclear cooperation will be terminated. फिर आगे वे कहते हैं कि Unfortunately, the Act is totally silent on the US working with India to move towards universal nuclear disarmament, but it eloquently covers all aspects of non-proliferation controls of US priority, into which they want to draw India into committing.

वे इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि अगर यह समझौता आपने कर लिया, तो भारत का जो अनुसंधान है, भारत की जो प्रगति है इस मामले में, भारत अपने अनुसंधान के द्वारा जो आत्मनिर्भर बन रहा था, पिछले तीस वर्षों से हमारे वैज्ञानिकों ने जिस स्वायत्तता, जिस ऑटोनॉमी को बरकरार रखा था, वह प्रतिबंधित हो जाएगी। आपके यहां की जितनी जानकारी है, वह सारी जानकारी लेने के लिए अमेरिका अपने रास्ते निकाल लेगा। हमारा जो आज तक अनुसंधान किया गया है, उस पर भी एक तरह से पाइरेसी हो जाएगी, ये उनके खतरे हैं और मैं यह समझता हूं, मैं भी विज्ञान का एक विद्यार्थी हूं और बहुत सालों तक मैंने विज्ञान पढ़ाया है। मैं यह बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अगर यह स्थिति आ गई, तो जो कुछ आज तक भारत की प्रतिष्ठा बनी है, भारत के वैज्ञानिकों के बारे में आज तक जो सम्मान है, वह सब नष्ट हो जाएगा। भारत ने जो शान से खड़े होने की, सम्प्रभुता को बचाए रखने की, पिछले तीस-चालीस सालों में स्थिति पैदा की थी, वह समाप्त हो जाएगी। भारत क्लाइंट स्टेट बनने की तरफ बढ़ जाएगा, वह recipient बनता ही जा रहा है। मेरा बहुत विनम्रता से अनुरोध है कि देश की सुरक्षा के लिए, ऊर्जा की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए और देश की आत्म-निर्भरता और सम्प्रभुता को बचाए रखने के लिए इस बारे में प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट बताना चाहिए कि इन शर्तों पर, इस पैरामीटर पर भारत समझौते की बात नहीं करेगा। You must be very forth-right and say कि अगर हमारी 18 जुलाई, 2005 की जो letter and spirit थी, अगर आप उससे बाहर जा रहे हैं, तो माफ कीजिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम अपनी ऊर्जा पैदा कर लेंगे, दो साल के बदले चार साल में पैदा कर लेंगे, मेहनत करेंगे, देश को जगाएंगे कि देश के सामने ये परिस्थितियां हैं और अगर प्रधानमंत्री जी इस सवाल को लेकर देश के सामने जाएं और यह कहें कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है ऊर्जा के मामले में, अर्थ के मामले में और अन्न के मामले में और हम किसी देश के सामने नहीं झुकेंगे, तो सारा देश उनकी मदद करेगा, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन जरूरत है कि आत्म-सम्मान के साथ खड़े हों, आत्म-निर्भरता के लिए खड़े हों, देश की रक्षा के लिए खड़े हों, सम्प्रभुता के लिए खड़े हों। ■

संसद में बहस

मनमोहन ने की नेहरू जैसी भूल : सुषमा स्वराज

राज्यसभा तकरीबन एक घंटे मौन रहा। सभी स्तब्ध थे। चौकाने वाले तथ्य सुनकर कांग्रेसियों के चेहरों पर से हवाईयां उड़ने लगी थी। स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एकटक, एकाग्रता से श्रीमती सुषमा स्वराज का भाषण सुनते रहे। श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा, उनके द्वारा वहां समझौते पर किए गए हस्ताक्षर और जारी बयान की बखिया उधेड़ते हुए सदन को इस बात से पूरी तरह आश्वस्त किया कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूरी तरह असफल होकर लौटे हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज सच्चाई के धरातल पर डॉ० मनमोहन सिंह को आईना दिखाने में समर्थ रहीं। उन्होंने समझौते की कॉपी और बयान की कॉपी में से एक–एक पंक्ति पढ़कर, पूरे सदन को उसके मायने भी बताये। हम यहां पर श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा राज्यसभा (मानसून सत्र 2005) में दिये गए इस भाषण का प्रमुख अंश प्रस्तुत कर रहे हैं।

आज मैं प्रधान मंत्री जी के उस वक्तव्य पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं, जो उन्होंने अपनी अमरीका यात्रा से लौटने के बाद 29 जुलाई, 2005 को इस सदन में दिया था।

जिस समय प्रधान मंत्री जी यह वक्तव्य पढ़ रहे थे, तो उनके एक–एक शब्द पर कांग्रेस के सांसद मेज़ें थपथपा कर उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन पहली बार एक दृश्य देखने को मिला कि उनके सहयोगी दल इस खुशी में शरीक़ नहीं हो रहे थे। यहां तक कि वाम दल के साथी तो काफी बुझे मन से बैठे थे। मैं कहना चाहती हूं कि यदि इस वक्तव्य में कही गई बातें हकीकत होतीं और तथ्यों पर आधारित होतीं, तो हम विपक्षी बैंचों में

बैठने के बावजूद □ी मेज़ें थपथपाते और प्रधान मंत्री जी का स्वागत करते। काश ऐसा हुआ होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

यह जो वक्तव्य प्रधान मंत्री जी ने दिया, यह उस समझौते के बारे में दिया है, जिस समझौते पर उन्होंने 18 जुलाई को राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश के साथ हस्ताक्षर किए थे और उसी समझौते की व्याख्या करते हुए यह वक्तव्य उन्होंने दिया है, लेकिन इसी समझौते की एक व्याख्या अमरीका में □ी की गई। मैं प्रारम□ में एक सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी, प्रधान मंत्री जी, यदि इस समझौते की हमारी समझ और अमरीका की समझ एक–सी होती, समान होती, तो शायद विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन दु□ाग्य की बात यह है कि जो व्याख्या आपने की है, अमरीका की व्याख्या उससे मेल नहीं खा रही और अमरीका की व्याख्या किसी ऐरे–गैरे ने नहीं की है, किसी छोटे अधिकारी ने नहीं की है, उनके विदेश उपमंत्री – निकोलस बर्न ने की है, जो कौंडलीसा राइस के डेपुटी हैं और इस समझौते को कराने में बहुत क़रीब से जुड़े रहे हैं और इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण □ूमिका नि□ाई है।

18 जुलाई को यह समझौता हुआ और 19 जुलाई को, 24 घंटे के □ीतर उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर उस संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया। उस संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने क्या कहा, उसकी पूरी प्रति मेरे पास है, मैं केवल उसकी चार लाइनें पढ़ना चाहूंगी कि वे इस समझौते के बारे में अपने देश में क्या समझ बता रहे हैं। श्री निकोलस बर्न ने कहा, "What was significant about yesterday's agreement is that India committed itself in public, very specifically, to a series of actions to which it had not previously committed itself. Actions which will, in effect, in de facto sense, have India agreeing to the same measures that most of the NPT States have agreed to." यह निकोलस बर्न का स्टेटमेंट है और यह इस समझौते के बारे में अमरीका की अधिकृत समझ है, ऑफिशियल अंडरस्टेंडिंग है। हमारे यहां निजी चर्चाओं में यह कहा जा रहा है कि अगर एन.डब्लू.ए. स्टेटस नहीं मिला तो क्या है, शब्द पर मत जाइए, हमें वह सब हासिल हो गया जो न्यूक्लियर वैपन स्टेट्स को मिलता है और वहीं निकोलस बर्न निजी चर्चाओं में ही नहीं, सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि एन.पी.टी. के शब्दों पर मत जाइए, □ारत ने वह सब कुछ मान लिया है जो एन.पी.टी. के देश मानते हैं, यानी हम जिसे डीफेक्टो न्यूक्लिर वैपन्स स्टेट का दर्जा मान रहे हैं, उसे वे डीफेक्टो एन.पी.टी. की

स्वीकार्यता मान रहे हैं। प्रधान मंत्री जी, यह जो समझ का बुनियादी अंतर है, हमारी सारी चिंताएं इसमें से उपज रही हैं, हमारी सारी आपत्तियां इसमें से निकल रही हैं और इसलिए मैं सबसे पहले उस समझौते के उन पेराग्रास को पढ़ना चाहूंगी, ताकि सदन को यह बता सकूं कि इस समझौते में हमने दिया क्या और पाया क्या।

मेरे पास उस समझौते की प्रति है। यह वह समझौता है, जिस पर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह एवं राष्ट्रपति बुश ने हस्ताक्षर किए। इसके पृष्ठ दो के अंतिम दो पैराग्रास में उन तमाम बातों का जिक्र है, जो हमने मानी और जो उन्होंने मानी। यह अंग्रेज़ी में है, पूरे का पूरा अंग्रेज़ी में पढ़ने के बजाय मैं बहुत ही सादी, सरल हिन्दी में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हमने क्या माना और उन्होंने क्या माना। स□ापति जी, **हमने माना कि** हम अपने सिविल न्यूक्लियर और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम के बीच में सैपरेशन कर लेंगे, अर्थात् सामरिक व ग़ैर–सामरिक जो परमाणु कार्यक्रम देश में चल रहा है, उसे चरणबद्ध तरीके से अलग–अलग कर लेंगे। **दूसरी बात हमने क्या मानी**, हम आई0ए0ई0ए0, इंटरनेशनल आटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सामने एक डिक्लेयरेशन फाइल करेंगे। **हमने तीसरी बात क्या मानी** कि हम अपनी सारी सिविल न्यूक्लीअर फेसिलिटीज़ को आई0ए0ई0ए0 के सामने मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन–निगरानी और निरीक्षण के लिए रख देंगे। **हमने चौथी बात क्या मानी** कि हम एक और एडिशनल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करेंगे और उस पर पूरी तरह अमल □ी करेंगे। **हमने पांचवीं क्या चीज मानी** कि जो यूनिलेट्रल मोरेटेरियम जो एक एकतरफा प्रतिबंध हमारे न्यूक्लिअर टैस्ट पर चल रहा है उसको हम जारी रखेंगे। **हमने छठी चीज क्या मानी** कि एनर्जी यानी न्यूक्लिअर सप्लाइज़ ग्रुप और एम0टी0सी0आर0 –मिसाइल टेक्नालॉजी कंट्रोल रिजीम के मेंबर तो नहीं हैं लेकिन बिना सदस्य बने, हम उनके सारे नियमों का पालन करेंगे। **हमने सातवीं चीज क्या मानी**– कि मल्टीनेशनल एफ0एम0सी0टी0 –फिसाइल मेटीरियल कट आफ ट्रीटी को यू0एस0 के साथ मिलकर कन्क्लूड करेंगे, अमेरिका के साथ मिलकर कन्क्लूड करेंगे।ये सात चीजें हमने इसमें मानी।

अमेरिका ने क्या माना? **अमेरिका ने माना कि** वह अमेरिका के स्थानीय कानून और नीतियों में संशोधन करने का प्रस्ताव वहां की संसद यानी अमेरिकन कांग्रेस के पास ले जाएंगे। **दूसरा क्या माना कि** □ारत के साथ व्यापार करने के लिए और □ारत को सिविल न्यूक्लिअर कार्यक्रम में

सहयोग देने के लिए मित्र देश □ी आगे बढ़ें, इसके लिए मित्र देशों से बात करेंगे। **तीसरी चीज क्या मानी कि** □ारत आई0टी0ई0आर0 में बहुत रुचि दिखाता है, □ारत आई0टी0ई0आर0 में योगदान देने का इच्छुक है, इसलिए वह अपने सहयोगियों से बात करेंगे और हमारी इच्छा उनके सामने रखेंगे और चौथी चीज क्या मानी? **चौथी चीज उन्होंने मानी कि** □ारत जेनिरेशन फॉर इंटरनेशनल फोरम का सदस्य बनने का इच्छुक है, तो इस इच्छा के बारे में विचार किया जाए, यह विचारार्थ वे अपनी सहयोगियों से सलाह करेंगे।प्रधान मंत्री जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहीं बता दीजिए, ये सात चीजें हमने उनके सामने मानी, चार उन्होंने मानी। मैं आज □ी अ□ी □ी अपने तथ्य ठीक करने के लिए तैयार हूं अगर इसके अलावा हमने कुछ माना या हमने कुछ पाया। इन शर्तों का दुष्परिणाम क्या होगा, यह तो मैं बाद में बात करुंगी, पहले केवल शब्दों की बात कर रही हूं। मैंने जो 7 चीजें अपनी गिनाईं उन सबके पीछे क्या था –हम करेंगे, करेंगे, करेंगे, करेंगे। और उनकी जो चार चीजें मैंने गिनाई उनमें क्या था? हम संसद के सामने जाएंगे और संसद नहीं मानी तो वे कुछ नहीं करेंगे। वे मित्र देशों से बात करेंगे, अगर मित्र देश नहीं माने तो वे कुछ नहीं करेंगे। वे हमारी इच्छा सहयोगी देशों के सामने रखेंगे और वह इच्छा अगर उन्होंने ठुकरा दी तो वे कुछ नहीं करेंगे।हमें सहयोग आई0टी0ई0आर0 का मेम्बर बनाने के लिए वे पैरवी करेंगे, अगर वह पैरवी उनके पार्टनर्स ने नहीं मानी तो वे कुछ नहीं करेंगे। यह है मोटा–मोटी समझौता। हार्ड कैश के बदले प्रॉमिसरी नोट लेकर आए हैं हम और प्रॉमिसरी नोट □ी उस व्यक्ति ने साइन नहीं किया जो उसे अदा करेगा, बल्कि उस व्यक्ति ने साइन किया है जो दूसरों से अदा करवाने का प्रयास करेगा, वे कोशिश करेंगे, वे प्रयत्न करेंगे, वे सलाह करेंगे, वे विचार–विमर्श करेंगे। जब हम यह बात कहते हैं कि हार्ड कैश के बदले आप प्रॉमिसरी नोट लेकर चले आए और यहां आकर खुशी मना रहे हैं, गाना गा रहे हैं और बहुत कुछ हासिल करके आ गए, तो हमें कहा जाता है कि आगे पढ़िए, उसमें एक रेसिप्रोसिटी क्लॉज □ी है। हमने यह सारी चीजें मानी तो हैं मगर रेसिप्रोकल तरीके पर मानी हैं। वे करेंगे तो हम करेंगे, अगर वे नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, यह कहा जाता है। तो स□ापति जी, रेसिप्रोसिटी क्लॉज़ देख लेते हैं। रेसिप्रोसिटी के बारे में □ी अगर हमारी और अमेरिका की समझ एक होती तो शायद मुझे गुरेज नहीं होता, लेकिन रेसिप्रोसिटी के बारे में जब निकोलस बर्न से पूछा गया तो उसी सम्वाददाता सम्मेलन में

निकोलस बर्न ने कहा कि "The Agreement will not be put into effect tomorrow morning. It is going to take a series of implementation commitments -- it will have to be implemented by the Indian Government and then we will have to seek these changes from the Congress."

अब अगर आप इसे रेसीप्रोसिटी कहते हैं, सार्वजनिक तौर पर निकोलस बर्न यह कहते हैं कि पहले □ारत सरकार यह कमिटमेंट करेगी, उसके बाद हम संसद के पास जायेंगे और यह केवल वह नहीं कहते, जो प्रधान मंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है, मैं उसमें से एक वाक्य पढ़कर सुनाती हूं। यह 29 जुलाई का स्टेटमेंट है। यह प्रधान मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। "We shall undertake the same responsibilities and obligations as such countries, including the United States, can commit. Simply, we expect the same rights and benefits."

स□ापति जी, अगर अंडरटेकिंग के बदले में एक्सपेक्टेशन और रेसीप्रोसिटी होती है, तो प्रधान मंत्री जी को मुबारकवाद। मुझे नहीं मालूम, मेरा तो अंग्रेजी का ज्ञान बहुत सीमित है, उनके बराबर तो मैं मुकाबला कर ही नहीं सकती, उन्हें अंग्रेजी का, अर्थ–शास्त्र का सबका ज्ञान है। लेकिन शायद इतनी □र अंग्रेजी तो मुझे ज़रूर आती है कि अंडरटेंकिग के बदले में एक्सपेक्टेशन, कमिटमेंट के बदले में प्रोमिसेज़ और एग्रीमेंट के बदले में पॉसेबिलिटी, यह कम से कम रेसीप्रोसिटी की परिधि में नहीं आता है। आप शब्द की बात कहते हैं। सारी की सारी कूटनीति शब्दों पर चलती है। डिप्लोमेसी तो नाम ही nuances का है। एक–एक कौमा, फुल स्टॉप कहां लगे, इसके लिए डिप्लोमेट्स घंटों बिता देते हैं। हमारे समय में □ी बहुत समझौते हुए, अमेरिका के साथ □ी हुए, संयोग से वे दोनों विदेश मंत्री आज सदन में बैठे हैं, जिनके कार्यकाल में हुए। ए क्लिंटन–वाजपेयी विजन स्टेटमेंट सन् 2000 में जारी हुआ, जब जसवन्त सिंह जी विदेश मंत्री थे, एक एनएसएसपी, नेक्स्ट स्टेप टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, यशवंत सिन्हा जी के समय में जनवरी, 2004 में जारी हुआ, जब वे विदेश मंत्री थे। लेकिन हमने क्या लिखा, हमने जो शब्द चयन किया, हमने शब्द चयन किया, multilateral FMCT के बारे में, "we will work together" और जो मनमोहन सिंह जी, बुश के साथ समझौता करके आये, उसमें क्या लिखकर आये हैं, "We will work with the United States." मैं पढ़कर बताती हूं। हमने लिखा, "We will work together for early announcement of initiatives on a treaty to end the production

of fissle materials for nuclear weapons." और बुश जी के साथ डा0 मनमोहन सिंह जी क्या लिखकर आये हैं, "We will work with the U.S. for the conclusion of a multilateral FMCT." क्या वर्क विद यू.एस. और वर्किंग टूगेदर का एक अर्थ होता है? वर्किंग टूगेदर में कामरेडरी की □ावना है, पैरिटी की □ावना है और वर्क विद यू.एस. में सबमीशन और सबोर्डिनेशन की □ावना है। आप एक धरातल पर खड़े होकर कहते हैं कि हम साथ–साथ काम करेंगे, एक दूसरे के कामरेडरी और एक दूसरे की पैरेटी आप स्वीकार करते हैं। यह हमारे समय में लिखा गया, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन की यहां की वर्ष 2000 की विजिट में, जो क्लिंटन–वाजपेयी स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें हमने कहा, वी विल वर्क टूगेदर और आप लिखकर आये हैं, वी विल वर्क विद यू.एस.। मैं आपको बताऊं कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, यह आपने शायद उस समय समझा नहीं। यह इतनी बड़ी □यकर □ूल आप करके आये हैं, जो इतिहास में आपके नाम से दर्ज होगी। मैं बताती हूं। आप शोर नहीं मचाइए, आप सुनिये, मैं आपको बताती हूं। यह वही □ूल है, जैसी □ूल पंडित नेहरु ने की थी, जैसी □ूल पंडित नेहरु ने कश्मीर का मसला यू. एन. में ले जाने की की थी, यह वैसी ही □ूल है।

उन्होंने उस समय समझा था कि यू.एन. एक बड़ा फेयर प्लेयर होगा, इसलिए वह कश्मीर के मसले को युनाइटेड नेशन में ले गये, उसका खामियाजा हम आज तक □ुगत रहे हैं। आज मनमोहन सिंह जी यह समझ गये कि यू.एस. यू.एन. का सबसिट्यूट हो सकता है। यह एफएमसीटी क्या है, Conference on Disarmament at Geneva का यह इश्यु है। अंतर्राष्ट्रीय जगत का यह इश्यु है, इसीलिए मल्टीलेटरल एफएमसीटी की बात थी, एक मल्टीलेटरल चीज़ को आप बाई–लेटरली करके आ गये। आप यू.एन. की □ूमिका से उसको यू.एस. की □ूमिका तक ले गये। **सच्चाई तो यह है कि अपेक्षाओं, वायदों और सम□ावनाओं से □रा हुआ यह समझौता राष्ट्रहित के पूरी तरह खिलाफ है और यह बात मैं नहीं कह रही हूं।** मेरे लिए तो वह कहेंगे कि आप विपक्षी बैंचों पर बैठी हैं, इसलिए आपको तो यह बात कहनी है, विरोध के लिए तो विरोध करना ही है। **यह बात □ा□ा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के फॉरमर डायरेक्टर ए0एन0 प्रसाद ने कही है। यह निजी चर्चा में नहीं, सार्वजनिक तौर पर कही है।** सिद्धार्थ वर्धराजन एक पत्रकार हैं, उन्होंने उनसे बात की और उसके आधार पर एक राइट–अप लिखा।

डा0 एन.प्रसाद ने क्या कहा है, मैं सिर्फ चार लाइनें पढ़कर बताती हूं। "I shudder to think how we could have conceded such a thing", Dr. A. N. Prasad, the former Director of BARC told this writer."It is totally against the national interest". "India", he said, "would now face the prospect of its capital FDI programme being undermined and the cost of its nuclear programme dramatically escalated". स□ापति जी, डा0 प्रसाद ने यह बात □ावावेश में नहीं बोल दी, वे इस प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं। एक आणविक समझौते पर एक परमाणु वैज्ञानिक से बेहतर और प्रमाणिकता से कौन व्यक्ति बोल सकता है? जो बारीकियां हम नहीं समझते, वे डा0 प्रसाद समझते हैं। उन्होंने जो यह बात कही है, वह इसलिए कही है क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा आणविक हथियार कार्यक्रम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। स□ापति जी, हमारे दोनों तरफ ऐसे देश हैं –चीन और पाकिस्तान– जिनसे अतीत में हम युद्ध लड़ चुके हैं। आज युग बदल रहा है। हम शांति वार्ता की पहल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पड़ौसी देश से रिश्ते अच्छे हों। हमने पहल की, अटल बिहारी वाजपेयी जी चाइना होकर आए, पाकिस्तान से □ी उन्होंने बार–बार, असफल होने के बावजूद □ी वार्ताएं जारी रखीं लेकिन वह अतीत हमें सावधानी बरतने के लिए चेतावनी देता है और यह उसी सावधानी का तकाजा है, यह उसी सतर्कता का तकाज़ा है कि हमारा सुरक्षा कवच किसी □ी तरह से ढीला नहीं होना चाहिए और उसी सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहल की थी। 1974 में श्रीमती गांधी ने क्रूड ऐक्सप्लोसिव टेस्ट करवाया जो पोखरन–वन के नाम से जाना जाता है। वह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा, मैं आज बिल्कुल उन डिटेल्स, उन तफसीलात् में नहीं जाना चाहती कि वह आगे क्यों नहीं बढ़ा लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूं कि 1998 तक इतना आगे बढ़ गया था कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्षमता जुटा ली थी। हां, परमाणु विस्फोट करने की अनुमति उन्हें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज गर्व से, माथा ऊंचा करके इस सदन में खड़े होकर कह सकती हूं कि जब एनडीए की सरकार आयी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री बने, चंद सप्ताह के □ीतर उन्होंने वह फाइल क्लीयर की थी। उन्होंने पोखरन की अनुमति दी थी। स□ापति जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरन विस्फोट की अनुमति इसलिए नहीं दी थी कि वे शांति में यकीन नहीं करते, इसलिए नहीं दी थी कि वे हिंसा के पक्षधर हैं, इसलिए नहीं दी थी कि वे देश को युद्ध की □ट्टी में झोंकना चाहते हैं बल्कि इसलिए दी थी कि

वे जानते थे कि शांति की स्थापना के लिए शक्ति का संचय जरूरी होता है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, 'कुरुक्षेत्र' उनकी बहुत बड़ी रचना है और ये उनकी बहुत चर्चित लाइने हैं। उन्होंने कहा था :

क्षमा शो□ति उस □ुजंग को जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित, विनीत सरल हो।

अगर आप शक्ति का संचय करके बात करते हैं तो लोग समानता से बात करते हैं लेकिन अगर आपके पास शक्ति नहीं होती तो दूसरे आपको कमजोर समझते हैं। इसलिए यह कार्यक्रम किया गया था, इसलिए 1998 में इस कार्यक्रम को उन्होंने अनुमति दी थी लेकिन उस कार्यक्रम को अनुमति देने के बाद आज जब प्रधान मंत्री वहां गए तो हम लोगों को लगता था – क्योंकि वे कहकर गए थे कि मैं सेंसटाइज़ करने जा रहा हूं। हमें लग रहा था कि वे सेंसटाइज़ करके आएंगे कि हमारी □ौगोलिक परिस्थिति समझिए, हमारे अतीत को देखिए और हमारा न्यूक्लियर में जिम्मेदाराना रिकॉर्ड देखिए। क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बात पोखरन विस्फोट करवाने के बावजूद कही थी, हम पहला वार नहीं करेंगे। हम किसी □ी गैर परमाणु सम्पन्न राष्ट्र पर वार नहीं करेंगे। यह बात □ारतीय संस्कृति के युद्ध के नियमों से मेल खाती है। हमारे युद्ध के नियमों में लिखा है, हम क□ी निहत्थे पर वार नहीं करते और शस्त्रधारी के साथ वार करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और उसका शस्त्र गिर जाता है तो शस्त्रधारी अपना शस्त्र गिराकर लड़ता है – ये हैं □ारतीय संस्कृति के युद्ध के नियम। किसके तहत ये दो घोषणाएं उन्होंने की थीं? हमने देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाया था लेकिन पूरी जिम्मेदारी से। हमें लगता था कि वे सेंसटाइज़ करके आएंगे तो न्यूक्लियर वैपन स्टेट का दर्जा □ी लेकर आएंगे। लेकिन वे तो स्वयं डीसेंसटाइज़ होकर आ गए। वे तो वहां जाकर □ूल गए कि राष्ट्र के हित की जरूरत क्या है, देश की सुरक्षा की आवश्यकता क्या है। पहले दिन खबर आयी थी, पता नहीं आपने वह पढ़ी या नहीं कि □ारत को अमेरिका ने परमाणु सम्पन्न राष्ट्र का दर्जा दे दिया है।

सच मानिए, बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी चीज हासिल कर ली, पलकें बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगले ही दिन अमेरिका की तरफ से क्लेरिफिकेशन आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने उनको न्यूक्लियर वैपन स्टेट नहीं माना। हमने तो उनको माना है, responsible State with advanced nuclear

technology.मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या है? मैंने फोन उठाया और जसवन्त सिंह जी को घुमाया। **जसवन्त सिंह जी, मैं न्यूक्लियर वैपन स्टेट तो जानती हूं, लेकिन ये responsible State with advanced nuclear technology क्या होता है? इससे हमें क्या अधिकार मिले हैं? जैसा उनका स्वा□ाव है, उन्होंने कहा कि अधिकार तो मिले हैं। मैंने कहा कि क्या मिले हैं? बोले कि जिस कमरे में न्यूक्लियर वैप्पन स्टेट्स की मीटिंग हो रही होगी, वहां बरामदे में बैठने का अधिकार आपको मिल जाएगा।** मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ठीक ही तो कह रहा हूं, क्योंकि तुम अधिकार पूछ रही हो। तो बरामदे में बैठने का अधिकार होगा, मगर कमरे में झांकने की इजाजत नहीं होगी। जब हम पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करके आए? तो कहा जाता है कि हमारे पास minimum credible nuclear deterrent है क्या जरूरत है, अगर ईधन के लिए, सिविल कार्यक्रम के लिए ये कमिटमेंट्स कर □ी दिए जाएं तो इसमें परहेज क्या है? हमें यह कहा जाता है, यह बताया जाता है। स□ापति जी, minimum credible nuclear deterrent एक रिलेटिव टर्म है। आपके हाथ में लाठी है तो मेरे हाथ की लाठी deterrent है। आपके हाथ में पिस्तौल है तो मेरे हाथ की बंदूक deterrent है, adequate deterrent है। लेकिन अगर आपके हाथ में एके–47 है तो मेरी 303 की रॉयफल deterrent नहीं है। हथियारों में आउट डेटिड, ऑब्सोलीटये टर्म्स होती हैं, ये रेलेवेंट होती हैं। आप कहते हैं कि मिनिमम क्रेडिबल न्युक्लियर डेटेरेंट है। इसलिए आपको कोई □ी कमिटमेंट कर देने से कोई गुरेज नहीं है। आप क्या कमिटमेंट करके आए हैं? मैंने कहा था कि इन शर्तों के, इन कमिटमेंट्स के दुष्परिणाम, मैं बताऊंगी। आप पहला कमिटमेंट करके आए हैं कि आप अपने सिविल और न्युक्लियर मिलिट्री प्रोग्राम को अलग–अलग कर दें। क्या यह इतना आसान होगा, कर पाएंगे आप, यह? डा. प्रसाद से ज्यादा तो इसको कोई नहीं जानता। वे स्वयं अणु वैज्ञानिक हैं। मैं डा. प्रसाद का एक कोट पढ़कर सुनाती हूं, जो उन्होंने इस सेप्रेशन के बारे में कहा है, "Today, the Indian deterrent is maintained by incremental efforts for existing civilian nuclear facilities around the country and not just the two research reactors at BARC, Dhruva and Cirus. We produce what we need for the military programme at any given time and leave the rest for the civilian use. Having dedicated facilities will terribly raise the cost of the weapons' programme". उन्होंने यह कहा है। हमारा सिविलियन

और मिलिट्री प्रोग्राम इतना इंटर लिंक्ड है, इतना ज्यादा इंटर लिंक्ड है, अगर मैं कहूं कि वह मां और बच्चे की नाल की तरह umbilical cord की तरह जुड़ा हुआ है, तो वह गलत नहीं होगा। आप जो फ्यूल सिविलियन फैसेलिटी में डालते हैं, उसके वेस्ट से आप मिलिट्री प्रोग्राम चलाते हैं। आपके जो साइंटिस्ट सिविलियन क्षेत्र में काम करते हैं, वही साइंटिस्ट मिलिट्री में काम करते हैं। दो प्रोग्राम अलग–अलग नहीं हैं। मैंने जसवन्त सिह जी से पूछा था कि क्या हम इसको अलग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि eventually अलग कर पाएंगे। eventually तो umbilical cord □ी टूटती है, लेकिन कब टूटती है? जब बालक ग□ में 9 माह का हो जाता है। जब वह स्वयं खाने–पीने लगता है। उस समय स्वयं डाक्टर आकर तोड़ता है umbilical cord को, और अलग–अलग करता है मां और बच्चे को। लेकिन अगर कोई आकर के कहे कि दबाव में यह umbilical cord काट दो तो बच्चा तो मरता ही है साथ में मां को □ी खतरा पैदा हो जाता है। आपने eventually की बात नहीं की है, आपने डेड लाइन सैटकर दी है। आपने कहा है कि इन कमिटमेंट्स का रिव्यू तब होगा जब प्रेजिडेंट बुश यहां आएंगे। प्रेजिडेंट बुश 2006 में यहां आएंगे, मगर दिसम्बर 2006 में नहीं आएंगे।

उनकी यात्रा की जो तारीखें तय हो रही हैं वे जनवरी से मार्च के बीच तय हो रही हैं। अगर मैं मार्च □ी लेकर चलूं तो कितने महीने हैं आपके पास? अगस्त में हम खड़े हैं, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी। अगर वे जनवरी में आ गए तो केवल चार महीने? क्या इतने प्रेशर में आप इस सिविल मिलिट्री प्रोग्राम को अलग कर पाएंगे? निकोलस बर्न ने पहले ही कह दिया और कल फिर एक अखबार में दोहरा दिया कि पहले आप कमिटमेंट पूरी कीजिए, फिर हम संसद के पास जाएंगे। उनका कहना स्वा□ाविक □ी है, क्योंकि अमरीकी संसद ऐसे ही पास नहीं कर देती। वह पूछेगी, बताइए, □ारत सरकार ने कितनी कमिटमेंट पूरी की। तब तो वह संसद में प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए लेगी, उस पर सहमति देगी कि नहीं, यह सवालिया निशान लग रहा है। आपने तो डेड लाइन सेट कर दी और कह दिया कि आप इसे उस समय रिव्यू करेंगे, जिस समय राष्ट्रपति बुश आ रहे हैं। लेकिन निकोलस बर्न खुद सितम्बर में आ रहे हैं, सितम्बर में आकर वे आपसे पूछेंगे कि आने के बाद आपने कितनी प्रगति की। सेपरेशन का यह जो प्रोग्राम आप मानकर आए हैं, यह हमारे पूरे मिलिट्री प्रोग्राम को धराशायी कर देगा, ध्वस्त कर देगा।

दूसरी बात आपने मान ली, वह यह कि आप आई.ए.ई.ए. के सामने अपनी सारी सिविल न्युक्लियर फेसिलिटीज मोनिटरिंग और निरीक्षण के लिए रख देंगे। फेसिलिटीज का मतलब केवल रिएक्टर नहीं है। आपको मालूम है निगरानी और निरीक्षण किसका होगा। वे पूरे सिविल न्युक्लियर फ्यूल साइकल की मोनिटरिंग करेंगे। जो यूरेनियम माइन्स से शुरू होता है और न्युक्लियर रिएक्टर तक पहुंचता है, वे यूरेनियम माइन्स की इंस्पेक्शन करेंगे, फ्यूल फेब्रिकेशन प्लान्ट्स का निरीक्षण करेंगे, स्पेंट फ्यूल स्टोरेज की इंस्पेक्शन करेंगे, न्युक्लियर रिएक्टर्स की इंस्पेक्शन करेंगे। मैं पूछना चाहती हूं, हमारे यहां जो पंद्रह रिएक्टर्स हैं, उनमें से पांच ऑलरेडी आई.ए.ई.ए. के सेफगार्ड्स में हैं, आप तय कर लेते कि जो बाकी के □विष्य में लगेंगे, अमरीका की मदद से लगेंगे, उनको हम आई.ए.ई.ए. के सेफगार्ड्स में डाल देंगे, लेकिन बाकी के **दस रिएक्टर्स, जिनमें अमरीका का धेला नहीं लगा, जिसमें अमरीका की राई, रत्ती तकनीक नहीं लगी, वह हमारे वैज्ञानिकों की जमा पूंजी है, उनकी बौद्धिक संपदा है, आप उस जमा पूंजी को क्यों गिरवी रख आए? आप हमारे वैज्ञानिकों का किया धरा क्यों पानी कर आए? आपने यह शर्त कैसे मान ली?** फिर आपने मान लिया कि आप एडीशनल प्रोटोकॉल साइन करेंगे। क्या है यह एडीशनल प्रोटोकॉल? आपने खुलासा नहीं किया है। आपने कहा कि मानेंगे □ी, साइन □ी करेंगे, एडहियर टू, अमल □ी करेंगे। उस एडीशनल प्रोटोकॉल के प्रावधान क्या होंगे? अगर यह एडीशनल प्रोटोकॉल मॉडल प्रोटोकॉल होने वाला है तो मैं आपके माध्यम से सदन को चेतावनी देना चाहती हूं कि बहुत □यंकर प्रावधान मॉडल प्रोटोकॉल के हैं। आप जानते हैं मॉडल प्रोटोकॉल सिविल और मिलिट्री के बीच में एक फायर वॉल खड़ी करता है। वह यह कहता है कि आप मैटीरियल तो छोड़िए, अपना ह्यूमन रिसोर्स □ी ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी अगर आपके सिविल न्युक्लियर फेसिलिटी पर कोई एक तकनीशियन, कोई इंजीनियर आज काम कर रहा है और आप चाहें कि कल उसका तबादला करके आप मिलिट्री में □ज दें तो आप नहीं □ज सकते। आप वह □ी नहीं □ज सकते हैं। क्या आप ऐसा मॉडल प्रोटोकॉल साइन करेंगे? जब बुश ने यह गुंजाइश रख ली थी कि मैं संसद में जाऊंगा, संसद से पूछूंगा तो आप यह गुंजाइश क्यों नहीं रख पाए? □ारत विश्व का इतना बड़ा लोकतंत्र है, □ारत संसदीय जनतंत्र का प्रतीक है, आप □ी कहते कि मैं अपनी संसद से पूछूंगा। संसद का सत्र होने वाला था। आप यहां वापस

आए, 18 तारीख को आपने साइन किया, 25 से संसद का सत्र शुरू हो गया। उन्होंने अपनी संसद की मर्यादा रख ली, लेकिन आप संसद छोड़िए, आप अपने कैबिनेट से □ी पूछकर नहीं गए। बताइए, क्या आपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी और यह चर्चा की थी? क्या आपने सी.सी.एस. (केबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी) की मीटिंग बुलाई थी, उसमें चर्चा की थी? क्या आपने सी.सी.पी.ए. (केबिनेट कमेटी ऑन पोलिटिकल अफेयर्स) की मीटिंग बुलाई थी, उसमें चर्चा की थी? क्या आपने वरिष्ठ सहयोगियों से चर्चा की थी? मेरी तो जानकारी है कि आपने अपने वरिष्ठ सहयोगियों से □ी बात नहीं की। क्या आपने घटक दलों से बात की थी? आपने अपने सहयोगी दलों तक से बात नहीं की। और आप यह करके चले आए। आपने किसी से बात नहीं की। बिना किसी से बात किए हुए आप चार अधिकारी साथ ले गए और उन चार अधिकारियों के साथ बैठकर आपने सौदा कर दिया, उन चार अधिकारियों के साथ बैठकर आपने समझौता लिख दिया।

मैं पूछना चाहती हूं कि यह समझौता करने के बाद आपको मिला क्या? आप तो सिक्योरिटी काउंसिल का दावा लेकर गए थे, बहुत उम्मीदें जताकर गए थे कि सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी दावेदारी की बात अमरीका मानेगा, लेकिन आपके मुंह पर उसने 'ना' कर दी। यह ठीक है कि आज से पहले □ी क□ी अमरीका ने 'हां' नहीं कही थी, लेकिन 'ना' करने की हिम्मत □ी वह नहीं जुटा पाया था। वह यही कहता था – 'देखेंगे, कर रहे हैं, देख रहे हैं, बात करेंगे, आपका दावा तो है, अच्छा है, आप ग्लोबल पावर □ी हैं, emerging power □ी हैं, हम आपके दावे के बारे में सोच रहे हैं,' लेकिन आपको तो उन्होंने सीधी–सपाट 'ना' कर दी और दूसरे देश का नाम □ी घोषित कर दिया जिसको सिक्योरिटी काउंसिल के लिए वे समर्थन देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम तो जापान का साथ देंगे। डा. मनमोहन सिंह, पंजाबी की एक कहावत मैं आपको बताना चाहती हूं –

'दुनिया मनदी जोरा नूं, लख लानत है कमज़ोरा नूं।'

अगर दुनिया झुकती है तो ताकतवर के आगे झुकती है। कमज़ोर के आगे नहीं झुकती, कमज़ोर की तो बात □ी नहीं मानती। यह कहावत पंजाब के गांव–गांव में कही जाती है, वह मैंने कही है, मैंने केवल कहावत कही है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि केवल ताकतवर की बात दुनिया सुनती है। अमरीका का ह्यूमन राइट्स में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है?

मैं इस सदन में खड़े होकर पूछना चाहती हूं कि ईराक और अफगानिस्तान

में तबाही मचाने के बावजूद अमरीका ह्यूमन राइट्स का पैरोकार बनता है, मानवाधिकारों का पैरोकार बनता है। पाकिस्तान को बेतहाशा हथियारों से लैस करने के बाद, पाकिस्तान निरस्त्रीकरण का पैरोकार बनता है, disarmament की दुहाई देता है। पाकिस्तान से पींगें बढ़ाने के बाद, वह डेमोक्रेसी की बात करता है, आतंकवाद से लड़ने की बात करता है। तालिबान जैसे □स्मासुर पैदा करने के बाद वह टैररिज़्म से लड़ने की बात करता है, लेकिन कौन पूछे उससे? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जान सकता, क्यों? 'समरथ को नहिं दोष गुसाईं' – वह समर्थ है, वह ताकतवर है, तो आप □ी कम ताकतवर नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि पार्टी में आपकी ताकत क्या है, क्या नहीं, वह आप जानें, वह आपकी व्यक्तिगत हैसियत है, लेकिन जब आप एक प्रधानमंत्री के नाते जाते हैं, तो आप 100 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। जब आप जाकर □ारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग आपके पीछे कतार बांधकर खड़े रहते हैं। आप क्यों कमज़ोर पड़ गए? आप एक ऐसा समझौता करके आए हैं, जो समझौता इतिहास में इस तरह से लिखा जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां 'किन्तु' और 'परन्तु' करते हुए उलझ जाएंगी, पहले तो आप स्वयं उलझेंगे, जब अमरीका आएगा और जब उनके रिप्रैजेंटेटिव बैठेंगे तो आप कहेंगे – "No, I didn't mean this, I meant that. मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा मतलब यह था, आपने गलत समझा, हम तो यह कहना चाहते थे।' जो चीजें आप मानकर आए हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कि □यंकर □ूल के तौर पर यह दर्ज़ होगा, जब big blunders लिखे जाएंगे, **सरदार मनमोहन सिंह, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर आप विश्व में अपनी हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं, तो अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य को बचाकर रखिए। मुझे यह बात कहते हुए गर्व है कि हमने उस सामर्थ्य को जुटाने में बहुत बड़ी □ूमिका अदा की है, आप उस सामर्थ्य को बरबाद मत करिए,** वरना आने वाली नस्लें केवल आप पर नहीं, बल्कि हम पर □ी फब्तियां कसेंगी और हमको □ी कोसेंगी।

बहुत–बहुत धन्यवाद। ■

राष्ट्रहित से समझौता न करे यूपीए सरकार : यशवंत सिन्हा

गत् 17 अगस्त 2006 को राज्यसभा में भारत–अमरीका नाभिकीय समझौता पर अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सांसद यशवंत सिन्हा एवं अरुण शौरी ने अनेक प्रश्न खड़े किए। उन्होंने जोरदार शब्दों में संप्रग सरकार को चेताया कि नाभिकीय समझौता में राष्ट्रीय हितों से समझौता न किया जाए। हम यहां उनके भाषणों का सार प्रकाशित कर रहे हैं।

हमारी विदेश नीति की □ांति हमारा परमाणु कार्यक्रम □ी सदैव राष्ट्रीय सहमति पर आधारित रहा है। □ारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक, श्री होमी □ा□ा ने □ारत के लिए तीन चरण वाला नाि□कीय कार्यक्रम तैयार किया था। □ारत का कार्यक्रम पूर्ण तौर पर स्वदेशी कार्यक्रम है। □ारत के वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक सक्षमता ने □ारत को यह गौरव हासिल कराया है। हम क□ी □ी विदेशी प्रौद्योगिकी पर नि□र नहीं रहे हैं। हमने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि संधि में विद्यमान □द□ाव के हम खिलाफ थे। 1974 के परीक्षणों से समूची अंतर्राष्ट्रीय नाि□कीय व्यवस्था की स्थापना हुई जिसमें से अधिकतर □ारत को नियंत्रण के अधीन रखने की बात पर आधारित है। जब हमने 1998 में परमाणु परीक्षण किए, तब हमें आर्थिक क्षेत्र में अमरीकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा और विश्व के वि□िन्न देशों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। परंतु दृढ़ संकल्प और साहस से किसी □ी विदेशी शक्ति या किसी और के समक्ष झुके बिना उन चुनौतियों पर हमने पार पाया। मैं अपने दल की ओर से यह कहना चाहूँगा कि हम 18 जुलाई, 2005 के समझौते का विरोध करते हैं और यह कि हमने इस समझौते का शुरू से ही विरोध किया है। हमने इस समझौते का विरोध किया क्योंकि हम यह मानते थे कि इसका आशय □ारत के नाि□कीय हथियार कार्यक्रम को रोकना था।

1998 के परीक्षणों की सर्वाधिक महत्ता इस बात की थी कि हमने शेष विश्व को यह प्रदर्शित कर दिया था कि □ारत रणनीतिक स्वायत्तता की संकल्पना में विश्वास करता है। आज विश्व को □ारत के इस परमाणु सिद्धांत के बारे में संदेह नहीं है और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि इस सरकार ने □ी हमारे द्वारा बनाये गये परमाणु सिद्धांत को स्वीकार किया है जिसमें तीन बातें थीं। हम विश्वसनीय न्यूनतम निवारक के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे निवारक उपाय की विश्वसनीयता स□ी कीमत पर और स□ी समय बनाये रखी जानी चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे □ारत किसी को □ी समर्पित नहीं कर सकता है। हमने 18 जुलाई के समझौते का विरोध किया क्योंकि हमने यह महसूस किया कि इसमें □द□ाव किया जायेगा। □ारत की संसद को पृथक्करण की लागत के बारे में नहीं बताया गया है। हमने इसका □ी विरोध किया क्योंकि अगले ही दिन से अमरीका की तरफ से इस समझौते के बारे में अलग–अलग व्याख्यायें सामने आने लगीं। श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री को पिछली चर्चा के दौरान यह बात स्मरण करायी थी कि इस समझौते की विकट और अलग–अलग प्रकार की व्याख्यायें की जायेंगी।

□ारत आयातित रिएक्टर और आयातित ईंधन के बल पर ऊर्जा सुरक्षा कैसे बना सकता है? क्या हम उस ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात पर नाजुक रूप से नि□र नहीं हो जायेंगे? विश्लेषकों ने वि□िन्न स्रोतों से बिजली उत्पादन की लागत की तुलना की है। आयातित परमाणु रिएक्टर की लागत प्रति मेगावाट 10 करोड़ रुपये आती है। यह अत्यंत मंहगी ऊर्जा है। 2020 तक 20,000 अतिरिक्त मेगावाट के उत्पादन के लिए इस देश को 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की आवश्यकता होगी। यूरेनियम के बारे में क्या स्थिति है जिसका आयात करने का प्रस्ताव है? यूरेनियम के मूल्य गत एक वर्ष में 21 अमरीकी डालर से बढ़कर 36 अमरीकी डालर हो गया है अर्थात् इसमें 70 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। एक प्रख्यात वैज्ञानिक, डा. ए. गोपालकृष्ण ने हाल ही में यह कहा है कि हमें वि□िन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के उत्तम गुणात्मक सम्मिश्रण के बारे में निर्णय लेना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक पृष्ठ□ूमि टिप्पणी जारी किया था कि □ारत को एक नाि□कीय हथियार संम्पन्न देश के रूप में मान्यता दी जायेगी। परंतु अमरीका के अधिकारियों ने बार–बार यह कहा है कि 'हमारी समझ दोषपूर्ण है'। हम मीडिया और अन्यत्र इस बात को पढ़ रहे हैं कि हम 18 जुलाई,

2005 के समझौते से भिन्न किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु कितनी ही ऐसी बातें हो चुकी हैं जो इस समझौते से मेल नहीं खाती हैं। हमने कड़ी पृथक्करण योजना स्वीकार कर ली है जो नाभिकीय हथियार सम्पन्न देशों पर लागू नहीं होती है। हमने सुरक्षोपाय समझौते को सदा के लिए स्वीकार कर लिया है। किसी भी नाभिकीय हथियार सम्पन्न राज्य ने कभी भी किसी भी दायित्व को सदा के लिए स्वीकार नहीं किया है। इसमें कोई भी पारस्परिकता वाली बात नहीं है।

हमें यह लग रहा था कि हमारे फास्टब्रीडर कार्यक्रम को सुरक्षोपाय के अधीन नहीं लाया जायेगा। परंतु आप प्रधानमंत्री द्वारा इस सभा में उल्लिखित दस्तावेज को पढ़िए। इसमें कहा गया है कि भविष्य में सभी गैर–सैनिक फास्टब्रीडर रिएक्टर को सुरक्षोपाय के अधीन लाया जायेगा। क्या यह उसकी विरोधी बात नहीं है। हम सुरक्षोपाय समझौते और एक अतिरिक्त प्रोटोकोल की मार्फत् अपने फास्टब्रीडर कार्यक्रम को आई.ए.ई.ए. के अन्तर्वेधी निरीक्षण के अंतर्गत क्यों ला रहे हैं? सरकार को इस सभा को इस बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। वास्तविक स्थिति यह है कि अमरीकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेंजटेटिव ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। अंतिम रूप में विधेयक हमारे लिए उससे भी अधिक विकट रूप में होगा जिसकी हम इस समय कल्पना कर रहे हैं। देश के अधिकतम प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक, रक्षा विश्लेषक और अन्य जानकार लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वे इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा दोनों सदनों को और इस देश के लोगों को दिये गये आश्वासनों को अमरीकियों द्वारा पूरी तरह से तोडा गया है।

भारत–अमेरिका परमाणु समझौता परमाणु अप्रसार के बारे में है। यह परमाणु ऊर्जा के बारे में नहीं है। हमारी सुविधाओं का विच्छेदन अमेरिका की ओर से असैनिकों और सैनिकों के बीच किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस को जब कभी विच्छेदन योजना प्रस्तुत की जाएगी, वह निर्णय लेने की बजाय उसको रोक लेगी। साइरस एक्सपेरीमेंटल रिएक्टर को 2010 तक बंद कर देने की घोषणा करने की क्या जरूरत थी? अपसारा के ईंधन कोर को वर्तमान जगह से बदलने की क्या जरूरत थी? आपने ऐसा क्यों किया यदि आप पर दबाव नहीं है? भारत को परमाणु शस्त्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। परमाणु परीक्षण संबंधी निरंतरता पर यह प्रतिबंध लगाता है जो सी टी बी टी के बाहर है। हमारी संप्रभुता के क्या–क्या प्रतीक हैं। हमारी

विदेश नीति, हमारे परमाणु कार्यक्रम की स्वायत्तता हमारी संप्रभुता के प्रतीक हैं। भारतीय संसद को अमेरिकी कांग्रेस के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं हैं। परन्तु भारतीय संसद को फिर भी संप्रभुता प्राप्त है। हम पुस्तकालय जाते हैं, अपनी संसद सेवाओं का उपयोग करते हैं, और अपने समाचार पत्रों से उद्धरण प्राप्त करते हैं। भारतीय संसद के सदस्यों को यही सुविधाएं प्राप्त हैं। जहां तक हमारा संबध है, हम अमेरिका के साथ सामरिक और दोस्ताना संबंध बनाने के खिलाफ नहीं हैं। परन्तु ऐसे संबंध संप्रभुता की नींव, पारस्परिकता और आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। ईरान के मामले में जिस तरह से हमने दो–दो बार वोट डाले, उससे तो इस संदेह की पुष्टि होती है।

हम मांग करते हैं कि किसी भी तरह के सिविल परमाणु सहयोग करार में भारत को बिना बाधा पहुंचाए और बिना किसी शर्त के परमाणु ईंधन की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी सिविल परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण केवल तभी तक हो सकता है जब तक यह समझौता बरकरार रहेगा, भारतीय सामरिक नीति और विदेश नीति के विकल्पों में पूरी तरह आजादी होगी, सुनिश्चित तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा आधारों पर करार को तोड़ने का भारत को अधिकार होगा। हमारे कुछ परमाणु वैज्ञानिकों ने इस समझौते का विरोध किया है। अब प्रधानमंत्री उन्हें बुलाकर उनसे बात करने जा रहे हैं। हमें उनकी सलाह अवश्य माननी चाहिए। उनकी सलाहों को हल्के से नहीं लेना चाहिए। हम लोग इस सभा में यह मांग करते रहे हैं कि हमें भारतीय संसद के संकल्प के भावों को अवश्य लेना चाहिए। संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करनी चाहिए जो इस संकल्प के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। इससे कुछ भी कम पर भारतीय संसद संतुष्ट नहीं होने जा रही है।

यह समझौता भारत को एक गैर-निरस्त्रीकरण ढांचे के भीतर ला सकता है : अरुण शौरी

वास्तव में, यह उन मुद्दों में से एक है, जो अगले 50 वर्षों तक देश के भाग्य का निर्णय करेंगे। मैं और यहां मौजूद प्रत्येक सदस्य संयुक्त राज्य सहित सभी देशों के साथ सहयोग करने का हिमायती है। अन्ततः, यदि यह

प्रयास सफल हो जाता है, तो □ारत इस क्षेत्र में □ी सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य की छत्र–छाया स्वीकार करने के लिए विवश होगा। संयुक्त राज्य अमरीका के □ारत के संबंध में चार उद्देश्य हैं। पहला, किसी न किसी तरह □ारत को 'एन.पी.टी.' को मानने के लिए तैयार करना है, चाहे आप उस पर हस्ताक्षर न करवा सकें।

दूसरा मुद्दा यह है कि □ारत को गैर–परमाणु शस्त्र वाले राज्य के रूप में सुरक्षोपायों को स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाए। उनका तीसरा उद्देश्य यह है कि □ारत को सी.टी.बी.टी. की शर्तें अवश्य माननी चाहिए। चौथी बात यह है कि संयुक्त राज्य □ारत जैसे एक देश की परमाणु क्षमता को रोकने, उसे पीछे करने और अंततः उसे समाप्त करने का इरादा रखता है। अब इस विधेयक के द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। □ारत में कार्यपालिका अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर सकती है और संसद केवल उस पर चर्चा कर सकती है, लेकिन, अमेरिकी विधायी प्रक्रिया में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मामले में सीनेट के पास अंतिम अधिकार होता है। जुलाई, 18 का समझौता केवल एक आशय संबंधी वक्तव्य है। इसमें कुछ □ी पढ़ा जा सकता है।

18 जुलाई के समझौते के तत्काल बाद दो दिन के □ीतर प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसकी पृष्ठ□ूमि जारी की। यह कहा गया कि हम उसी प्रकार का दर्जा और सुरक्षोपाय हासिल करेंगे जैसा कि एक परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र को प्राप्त होता है। □ारत की ओर से एक प्रधान बातचीतकर्ता के रूप में उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश के रूप में मान्यता प्राप्त करना है और उस संबंध में कोटेशन है 'न इससे ज्यादा और न इससे कम'। अन्य बातों के साथ हमें यह बताया गया कि यह समझौता ऊर्जा के संबंध में है और किसी □ी परिस्थिति में इस समझौते का अर्थ यह नहीं है कि □ारत को उसके परमाणु शस्त्र कार्यक्रम को रोकने के लिए बाध्य करेगा। कोंडालिजा राइस ने अमरीकी सदन में कहा कि □ारत क□ी □ी परमाणु अप्रसार संधि का एक पक्ष नहीं रहा है और यह समझौता □ारत को एक गैर–निरस्त्रीकरण ढांचे के □ीतर ला सकता है और इससे इस क्षेत्र की सुदृढ़ता बढ़ेगी। यही उनका उद्घोषित उद्देश्य है।

डा. कस्तूरीरंगन ने कहा कि यह एफ.एम. सी.टी. एक बहु–देशीय समझौता है जिसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उन्होंने अपनी विधान की धारा 3(ख)(7) में यह कहा है कि अमरीका का उद्देश्य □ारत को इस बात के

लिए प्रोत्साहित करना होगा कि यह अपने फिसिल पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि न करे जोकि बहुपक्षीय विलंबन का लंबित कार्यान्वयन है। ऐसा नहीं है कि वे यह सब करने जा रहे हैं अपितु, वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समस्त परमाणु सप्लाईकर्ता ग्रुप एक होकर देश पर अनुशासन रखेंगे ताकि उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसलिए वे यह कह रहें हैं कि हम आप पर अनुशासन लाने और यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि स□ी 45 देशों का कॉर्टल इस कार्यवाही को करे। यह परमाणु □द□ाव की नीव है जिसका सृजन किया जायेगा। उनके विधेयक की धारा 4(ग)(2)(घ) में कहा गया है कि अमरीका □ारत को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठायेगा कि □ारत इस बात की पहचान करे और उस तिथि की घोषणा करे जब तक वह एकपक्षीय रूप से परमाणु शस्त्रों के लिए फिसिल पदार्थों का उत्पादन रोकने की इच्छा रखता है। निःसंदेह अमरीकी राष्ट्रपति को इन्हीं दिशा–निर्देशों और अनिवार्य कानूनों पर बंधकर कार्य करना होता है। सीनेट विधेयक ही अंतिम विधेयक है। सीनेट को ही यह शक्ति प्राप्त है कि वह अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित संधि अथवा समझौतों में सुधार कर सके अथवा उसे अस्वीकार कर सके।

धारा 103(9) में यह कहा गया है कि □ारत को परमाणु ईंधन के निर्यात से उसे गैर–सिविल उद्देश्यों हेतु फिसिल पदार्थों के उत्पादन में किसी □ी प्रकार प्रोत्साहन अथवा वृद्धि प्राप्त नहीं होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण खंड है क्योंकि एन.पी.टी. के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यह कहा गया है कि देश इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा जिससे अन्य परमाणु शस्त्र रहित राष्ट्रों को परमाणु शस्त्र प्राप्त करने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल सके। अमरीकी राष्ट्रपति हेतु इन बातों के आधार पर कार्य करना अनिवार्य है। कोंडालिजा राइस ने कहा है कि हम □ारतीयों के साथ इस बात में पूरी तरह स्पष्ट हैं कि सुरक्षोपायों का स्थायीकरण बिना शर्त के है।

अतः, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्टेल का गठन किया जा रहा है, ताकि □ारत एक इंच □ी इस क्षेत्र में आगे न बढ़ सके। हम ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हर कोई यह जानता है कि यूरेनियम की कीमतें दो वर्षों में 300 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। परन्तु, इसका नियंत्रण तेल से □ी ज्यादा शक्तिशाली कार्टेल द्वारा किया जाता है। आस्ट्रेलिया, चीन को यूरेनियम की बिक्री कर रहा है, परन्तु उसने □ारत को इसकी बिक्री करने से मना कर दिया है क्योंकि यह प्रबंधन का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण मुद्दा

यह है कि आप यह आशा कर रहे हैं कि अमरीकी प्रशासन इस संबंध में कुछ करेगा। यह केवल एक फेंटेसी है।

हमने अपने दो तिहाई रिएक्टरों को पहले ही इन सुरक्षोपायों के अन्तर्गत सौंप दिया है। बुश प्रशासन ने कहा है चूंकि स□ी नये रिएक्टर इन्हीं सुरक्षोपायों के अन्तर्गत आ रहे हैं, शीघ्र ही □ारत अपने 90 प्रतिशत रिएक्टर सुरक्षोपायों के अन्तर्गत सौंप देगा। इन पी–5 देशों में कुल 217 परमाणु रिएक्टर हैं। उनमें से केवल 11 रिएक्टर सुरक्षोपायों के अन्तर्गत हैं। अमरीका में 104 परमाणु रिएक्टर हैं, जिनमें से केवल 5 रिएक्टर सुरक्षोपायों के अन्तर्गत हैं और अमरीका पर लागू नयाचार कहता है कि यह एक स्वैच्छिक पेशकश समझौता होगा। अतः, यह □ारत विशिष्ट की एक कोरी कल्पना मात्र है। आई.ए.ई.ए. नयाचार में स्वयं ही इस बात का कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है कि इस प्रकार की बातचीत की स्थिति उत्पन्न हो, जैसा कि हम सोच रहे हैं।

अतः, इन्हीं स□ी कारणों से मैं महसूस करता हूं कि यह विशिष्ट समझौता शायद बहुत ही सोच–विचार कर लाया गया है। परन्तु, हम ऊर्जा क्षेत्र में दो तरफ से घिर गये हैं। ऊर्जा क्षेत्र में हम आयातित रिएक्टरों तथा आयातित ईंधन के ऊपर नि□रता के बिल्कुल करीब हैं और दूसरे सुरक्षा क्षेत्र में हम अपने ही क्षेत्र में जीवित रहने के लिए अमरीका की परमाणु परिधि के आश्रित बनने जा रहे हैं। यह एक अच्छा समझौता नहीं है और मैं प्रधानमंत्री जी से गं□ीरतापूर्वक अपील करता हूं कि कृपया इस मामले पर पुनर्विचार करें। मैं इस बारे में आपसे और सरकार से यह आग्रह करता हूं कि कृपया इस विशिष्ट समझौते को एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। ■

हमें यह समझौता अस्वीकार्य है : डा. जोशी

भाजपा सांसद (राज्य सभा) तथा पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ० मुरली मनोहर जोशी द्वारा 29 जून, 2006 को जारी वक्तव्य

भाजपा तभी से जब 18 जुलाई, 2005 को वक्तव्य जारी हुआ था, परमाणु समझौते की विषयवस्तु के बारे में और जिस तरह ढंग से इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसके बारे में अपनी गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रही है। जैसे ही इसके बारे में घटनाक्रम से पर्दा उठा, तैसे ही इस समझौते के बारे में हमारी आशंकाएं सही साबित हुई हैं, जिसने भारत पर दुर्वह प्रतिबंध लगा दिए है तथा जिसको भारत के सैनिक तथा सिविल क्षेत्रों में परमाणु विकल्पों को दुर्बल बनाने और परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोग के सभी अभिक्रमों के लिए अमेरिका पर सतत् रूप से आश्रित रहने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

इस समझौते को सही आकार देने के लिए, प्रयुक्त हुई भाषा और इस सम्बन्ध में पूरी की जाने वाली शर्तों तथा भारत सरकार के क्षेत्रों में बाद में व्यक्त सुख–बोध पर दृष्टि डालने पर यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकी वार्ताकार भारत को सी.टी.बी.टी. प्रणाली में फँसाने और उस फ़िसाइल मैटीरियल कट–ऑफ ट्रीटी पर उसको हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने में पूरी तरह सफल हो गए है, जिसका प्रारूप अमेरिका ने हाल ही में जिनेवा में कमीशन ऑन डिस्आर्मामेंट में प्रस्तुत किया था।

प्रधानमंत्री ने संसद के भीतर और बाहर अनेक अवसरों पर कहा था कि "यूनीलेटरल मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग" से बाहर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, किंतु अमेरिकी हाऊस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स की अन्तर्राष्ट्रीय

सम्बन्ध समिति द्वारा स्वीकृत विधेयक विषयक प्रत्युत्तर में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि भारत कोई परमाणु परीक्षण करता है तो "प्रेसिडेंशियल वेवर" निष्प्रभावी हो जाएगा। यह प्रत्यक्षतः "क्रेडिबिल मिनिमम डेटेरेन्ट" को बनाए रखने की भारत की क्षमता पर रोक लगाने और हमारी ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए गंभीर संकट पैदा करने की एक चाल है।

भारत सरकार ने इस बारे में और भारत के साथ परमाणु सहयोग पर अमेरिकी बिल से उत्पन्न होने वाले कई अन्य मुद्दों पर अभी तक अपना स्पष्ट अभिमत व्यक्त नहीं किया है। राष्ट्र चाहता है कि सरकार को इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के तरीकों के बारे में उठी सभी शंकाओं को दूर करना चाहिए।

भाजपा के मतानुसार :

1) "कोई परीक्षण नहीं" यह वचनबद्धता भारत की "क्रेडिबिल मिनिमम डेटेरेंट" रखने की क्षमता को पूरी तरह निष्फल कर देगी तथा सदा के लिए एक अतिशय निचले तकनीकी स्तर पर तथा पाकिस्तान के साथ सदैव की बराबरी के स्तर पर जकड़कर रख देगी ?

2) ड्राफ्ट एफ.एम.सी.टी. (जिसमें कोई सत्यापन खंड नहीं है, जिस पर भारत सरकार हमेशा से बल दे रही थी) से भारत का फ़िसाइल मैटिरियल अधिकार सिकुड़कर सदैव के लिए छोटा हो जाएगा ?

3) भारत के निःस्तेज हुए डेटेरेंट फोर्स के परिणामस्वरूप इस देश को गंभीर आपात स्थितियों में अमेरिकी सामरिक शक्ति पर आश्रित रहना पड़ेगा क्योंकि वह किसी भी ऐसे देश के विरूद्ध न्यूक्लियर सैनिक शासन के समक्ष अपना बचाव करने में सफल नहीं होगा, जो इस तरह से पंगु नहीं बनाया गया है तथा जो अपने भू, वायु तथा जल आधारित परमाणु बलों का त्वरित गति पर निर्माण करने में लगा है। इस प्रकार भारत (अपनी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के कारण) अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका का पहले नम्बर का आश्रित बनकर रह जाएगा।

4) गत कुछ महीनों के दौरान सामने आए घटनाक्रम से प्रधानमंत्री के संसद को दिए गए इन आश्वासनों की पुष्टि नहीं होती है कि यह परमाणु समझौता पारस्परिकता तथा समानता के सिद्धांतों पर आधारित है?

समानता का कहीं कोई संकेत नहीं मिलता है तथा विधेयक के विभिन्न खंडों से भारत को "न्यूक्लियर वैपन स्टेट" के रूप में औपचारिक रूप से माने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि इसके विपरीत भारत एन.पी.टी.

प्रणाली के तहत विधितः "नॉन् न्यूक्लियर वैपन स्टेट" के रूप में माने जाने के लिए सहमत भी हो गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह समझौता भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रपति बुश के साथ विचार–विमर्श से उभरकर आया है। भाजपा ने चेतावनी दी थी कि इस समझौते से भारत अमेरिका पर ऊर्जा हेतु आश्रित हो जाएगा। इस बारे में वित्तीय तथा ऊर्जा देनदारियों के बारे में निम्नलिखित परिदृश्य उभरकर आता हैः

1) भारत को छह 1000डॅ प्लस एनरिच्ड यूरेनियम रिऐक्टर खरीदने होंगे, जिनकी अगले 20 वर्षों में लागत 50 बिलियन डॉलर होगी। यह INDUèCANDU पॉवर संयत्रों के लगातार निर्माण पर होने वाले खर्च के अतिरिक्त है, किंतु कुल मिलाकर सभी न्यूक्लियर स्रोतों से पैदा हुई बिजली 2020 में देश में पैदा हुई सकल ऊर्जा के 6 प्रतिशत अधिक नहीं होगी (आज के 3 प्रतिशत की तुलना में)।

2) फिर भी ईंधन की कोई गारंटी नहीं है। सेक्रेटरी कोन्डालिज़ा राइस ने कहा है कि समझौते में भारत के एकपक्षीय उत्तरदायित्वों का अमेरिका (और इसीलिए इस बारे में किसी अन्य एन.एस.जी. राज्य) द्वारा ईंधन की सप्लाई करने से कोई लेना–देना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि न केवल 50 बिलियन डॉलर की हानि पक्की है (यदि भारत पुनः परीक्षण करता है क्योंकि वह भविष्य में ऐसा करने के लिए विवश हो सकता है – अथवा समझौते की किसी अन्य व्यवस्था का उलंघन करता है) बल्कि इससे नेशनल ग्रिड में बिजली की 6000–8000डॅ के करीब एकाएक हानि भी हुई है। ग्रिड में बिजली की ऐसी प्रपात हानि बढ़ती हुई, मितव्ययिता के संदर्भ में "अपौर्चुनिटी कॉस्ट्स" अपरिमेय है।

3) और अंततः, क्या सकल ऊर्जा उत्पादन में अन्तर इतना अधिक है कि वह देश की न्यूक्लियर सैनिक क्षमताओं को दुर्बल करने का औचित्य ठहरा सके?

इस प्रकार भारत को पूरी तरह ऊर्जा–आश्रित बना दिया गया है तथा रिएक्टर और ईंधन आवश्यकताओं तथा भारी भुगतानों के चक्र में फँसा दिया गया है। आई.ए.ई.ए. के साथ भारत विशिष्ट रक्षोपायों सम्बन्धी विमर्श को स्वीकार करने से अनेक भारतीय परमाणु शोध संस्थान भारी अन्तर्वेधी तथा घोर विखंडनकारी निरीक्षणों के अधीन हो जाएंगे, जिनका निहितार्थ यह है कि हमारा कोई भी अथवा हमारे सभी मौलिक अनुसंधान जटिल आई.ए.ई.

ए. के अधिकारी–तंत्र को शासित कर रहे 65 सदस्यीय बृहत बोर्ड ऑफ गवरनर्स की समीक्षा अथवा पुनरीक्षा के तहत आ सकते है। इससे, भारत के विज्ञानियों की स्वायत्तता पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगी, जिन्होंने सिविल तथा सैनिक दोनों तरह के स्वतंत्र परमाणु कार्यक्रमों को निर्मित करने के लिए अथक परिश्रम की आधी शती अर्पित की है। भारतीय विज्ञान के इस विनाश को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त विधेयक ने कुछ नई अवधारणाएं प्रस्तुत की है, जिनका संयुक्त वक्तव्य में कोई उल्लेख नहीं है। इसमें दक्षिण एशिया तथा चीन बारे में अमेरिकी नीति और भारत, पाकिस्तान तथा चीन गणराज्य द्वारा परमाणु विस्फोट हेतु फ़िसाइल मैटिरियल के उत्पादन पर रोक लगाने की बात कही गई है। इस विधेयक का आशय यह है कि भारत की परमाणु नीति को हथियारों का प्रसार न करने सम्बन्धी प्रमुख विदेश नीति अभिक्रमों के साथ जोड़ दिया जाएगा।

यह सभी बातें राष्ट्रपति बुश तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य के शब्दों तथा मूल–भावना के प्रतिकूल हैं।

संप्रग सरकार ने सुदृढ़ राष्ट्रीय सम्मति द्वारा पोषित भारत के परमाणु कार्यक्रम सम्बन्धी मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति विकसित करने के सिद्धांत को पूरी तरह तिलांजलि दे दी है। संप्रग सरकार को भारत के विज्ञानियों तथा अन्य कर्मियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत के लिए गौरव का स्थान अर्जित किया है। ऐसा हर समझौता अस्वीकार्य है, जो हमारे परमाणु विज्ञानियों के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।

भारतीय जनता पार्टी पुनः जोर देकर कहती है कि ऐसा समझौता अस्वीकार्य है तथा इससे भारत कभी भी भविष्य में बंधकर नहीं रह सकता है।

■

साक्षात्कार

परमाणु समझौता संविधान के खिलाफ : डा. जोशी

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी की समाचार पत्र 'राष्ट्रीय सहारा' के संवाददाता की बातचीत।

- भारत और अमेरिका परमाणु संधि अब सार्वजनिक हो गई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?

सबसे पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि 18 जुलाई 2005 को हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जो समझौता हुआ है, यह उसके अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए उसमें लिखा था कि भारत नाभिकीय शस्त्र संपन्न (न्यूक्लीनयर वीपन स्टेट) देश माना जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अमेरिका के अधिकारी और कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि भारत को नॉन–न्यूक्लीयर वीपन स्टेट ही माना जाएगा। आज तो हम स्वतंत्र हैं। हमारे नाभिकीय कार्यक्रम स्वतंत्र हैं, हम परमाणु बम परीक्षण कर सकते हैं लेकिन एक बार नॉन–न्यूक्लीयर स्टेट की श्रेणी में आ गए, हमने अपने को एनबीटी और सीटीबीटी से जोड़ लिया, तो काहे की स्वतंत्रता। अभी कहा जा रहा कि समझौते में हमारे सारे सरोकारों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन यह कैसे हो सकता है। क्योंकि 'हाइड एक्ट' में हमारे ऊपर प्रतिबंध है। अयंगर साहब और जस्टिस अरूयर ने सभी सांसदों को पत्र भेजा है जिसमें लिखा है कि इस हाइड एक्ट– 2006 से हमारी संप्रभुता और नाभिकीय गतिविधियां गिरवी हो जाएंगी।

- आखिर इस समझौते से किसको फायदा हुआ?

अमेरिका को।

- क्या फायदा हुआ?

हजारों लोगों को नाभिकीय सयंत्रों में काम मिलेगा। नाभिकीय संस्थाओं और उद्योगों को फायदा मिलेगा। उन्हें सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि भारत उनका पिछलग्गू बन जाएगा। विदेश नीति में भी और सामरिक नीति में भी। ईरान से बात मत करो, कोरिया से संबधं मत रखों आदि बातें होंगी।

- भारत को क्या नुकसान होगा?

हमारे नाभिकीय उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें अमरीकी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाना होगा और वैज्ञानिक व तकनीशियन भी अमरीकी होंगे। हमारा नाभिकीय व्यापार बंद हो जाएगा। समझौते में साफ लिखा गया है कि हम परमाणु सामग्री का व्यापार नहीं कर सकते। संविधान में हमें मूल अधिकार है कि हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से हमारा मूल अधिकार भी छिन जाएगा।

- यह कहा जा रहा है कि इस समझौते से भारत की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होने में मदद मिलेगी?

ऐसा नहीं है। इससे हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं में नाम मात्र की वृद्धि होगी।

- एक बात उठ रही है कि सरकार ने परमाणु संधि करने से पहले भारतीय संसद ने कानून नहीं बनाया जबकि अमरीका ने 'हाइड कानून-२००६' बना दिया है।

मैं भी यह बात कहना चाहता हूं कि समझौता भारतीय संविधान के खिलाफ हुआ है। संविधान की धारा 73 में लिखा है कि जिन मुद्दों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं उन पर केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनुसूची 254 में लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय करार को स्वीकार करने से पहले भारतीय संसद को कानून बनाना चाहिए। लेकिन इस मामले में कानून नहीं बनाया गया। भारत को ही हाइड कानून से चलना होगा। संविधान में कानून बनाने की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि कोई सरकार राष्ट्र विरोधी फैसले न ले सके।

- अगर समझौता या संधि में इतने सारे खोट हैं तो क्या मजबूरी रही होगी जिसके कारण सरकार ने संधि पर हस्ताक्षर किए?

यह सरकार और हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से अमरीका के प्रभाव मंडल

और दबाव में आ चुके हैं। अमरीका के परमाणु उद्योग का दबाव अमरीकी सरकार पर है। उन्हें बाजार चाहिए। भारत एक बड़ा बाजार है। अमरीका को भारत जैसा बाजार नहीं मिलेगा। परमाणु बम इरान भी बना रहा है, पाकिस्तान भी बना रहा है और उत्तरी कोरिया भी बना रहा है। इन सबका जो व्यवहार रहा है वह असंयमित, अनुशासनहीनता का रहा है। उन पर प्रतिबंध नहीं है लेकिन भारत पर प्रतिबंध क्यों? इसलिए कि भारत में प्रतिभा है। वह एक आत्मनिर्भर शस्त्र संपन्न राष्ट्र बन सकता है। भारत का थोरियम चक्र पर वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है। हेवी वाटर रियेक्टर बनाने का काम चल रहा है। जिस दिन यह पूरा हो जाएगा उस दिन भारत को यूरेनियम के झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह भी हो सकता है कि उसमें बाधा डाली जा रही हो।

- समझौते के बाद क्या हम आयातित यूरेनियम पर निर्भर रहेंगे और किसी अन्य देश से खरीदारी नहीं कर सकते?

खरीद सकते हैं। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से खरीद सकते हैं लेकिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। उसका नाभिकीय कचरे का भी हिसाब देना पड़ता है।

- संधि का सैनिक कार्यक्रमों पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह संधि पूरी तरह से भारत के हित में नहीं है?

पूरी तरह से नहीं कह सकते लेकिन सैन्य कार्यक्रम के हित में नहीं है। अभी हम बम बना सकते हैं। यह निर्भर करेगा हमारी आवश्यकता क्या है। लेकिन अब हमें दूसरों पर निर्भर रहना होगा। हमारी नाभिकीय नीति है कि 'क्रेडिबिल मिनिम डिटरेंस' यानी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता। इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ■

परमाणु समझौते पर उठे सवाल

राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री जसवंत सिंह द्वारा
5 मार्च को जारी प्रेस वक्तव्य

2 मार्च 2006 को जार्ज बुश तथा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने तथा भारत ने अपनी रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने में बड़ी प्रगति की है। इस वक्तव्य में कहा गया है कि हम दोनों ने सफलतापूर्वक भारत के परमाणु संस्थानों को दो हिस्सों में बांट कर अब हम ''परमाणु सहयोग पर 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य'' में दी गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह से कार्यान्वयन करने की दिशा में बढ़ चले हैं।

इस वक्तव्य के कई अनेक महत्त्वपूर्ण पहलू भी हैं, जिनमें आर्थिक समृद्धि; व्यापार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई खोजें तथा ज्ञान; विश्व–सुरक्षा तथा संरक्षण; लोकतंत्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

भाजपा ने अमेरिका के साथ रणनीतिक भागीदारी की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत का ''स्वाभाविक मित्र'' कहा था, इसलिए हम इस पर संतोष प्रकट कर सकते हैं। यह संयुक्त वक्तव्य इस बात की स्पष्ट पुष्टि है कि वर्तमान यूपीए सरकार भाजपा–राजग सरकार द्वारा अमेरिका के साथ रणनीतिक भागीदारी को प्रगाढ, विस्तार तथा मजबूत सम्बन्ध बनाने की दिशा में की गई पहल पर चल रही है। प्रेजीडेण्ट बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन की घोषणा महत्त्वपूर्ण है। भाजपा–राजग ने इसी दिशा की और अपनी सम्पूर्ण नीति तैयार की थी, 2 मार्च की संयुक्त घोषणा में इसी नीति को केन्द्र बनाकर इसकी पुष्टि की गई है।

इस महत्त्वपूर्ण घोषणा पर यथार्थ रूप से निर्धारण, मूल्याकंन और टिप्पणी का एक मात्र आधार राष्ट्रीय हित को रखा गया है। इस आधार पर, हम मानते हैं कि सरकार ने दो महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर आत्मसमर्पण किया है:

1. आज वर्तमान अथवा निर्माणाधीन कुल 22 परमाणु संयंत्रों में से एक तिहाई से भी कम संयंत्र अर्थात् 6 संयंत्रों को सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार ने जिन संयंत्रों को अलग–अलग करने की योजना तैयार की है, समझा जाता है कि उसके कारण दो–तिहाई परमाणु विद्युत संयंत्र आईएईए की सुरक्षा में चले जाएंगे। स्पष्ट है कि इसके कारण शस्त्राशस्त्र प्रयोजनों के लिए उपलब्ध विखण्डन सामग्री अर्थात् फिसाइल मेटीरियल में पर्याप्त रिक्त स्थान बचा रहेगा।

2. 18 जुलाई 2005 के बाद, सरकार ने लगातार इस बात का प्रचार किया है कि भारत को परमाणु सम्पन्न राष्ट्र की मान्यता प्रदान कर दी गई है। समझा जाता है कि सरकार ने अपने इस समझौते में सिविलियन परमाणु रिएक्टरों को आईएईए की सुरक्षा में चिरन्तन काल के लिए रख दिया जाएगा, जो स्पष्ट ही इस प्रचार के विपरीत स्थिति पैदा करता है।

भाजपा का मानना है कि इन घोषणाओं के मूल्यांकन में (वाशिंगटन की 18 जुलाई के समझौते, 2 मार्च की घोषणा तथा इस मुद्दे पर अमरीकी तथा भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न वक्तव्य) जो मानदण्ड स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, उनमें निम्नलिखित सभी बातों का समावेश रहना जरूरी है। ''राष्ट्रीय हित'', रणनीतिक स्वायत्तता; न्यूनतम विश्वसनीय निवारक क्षमता; और भारत द्वारा निर्णय लेने की स्वायत्तता, चाहे वह परमाणु अथवा अन्य किसी विषय पर हो; इसके अलावा भी इस क्षेत्र तथा अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं, संसाधनों तथा टेक्नोलॉजियों को तैयार करने एवं आर एंड डी द्वारा निरन्तर संवर्धन करने पर बल देना भी जरूरी है।

इसलिए हम सरकार से सावधानी बरतने, स्पष्टीकरण तथा प्रश्न करना जरूरी समझते हैं:

सावधानी

मई 1998 परीक्षण के माध्यम से हमने जो रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त की थी, उसे न तो कम किया जाए, न ही किसी भी तरह से इस समझौते के कार्यान्वयन स्तर पर इसके बारे में समझौता अथवा ह्रास करने की नौबत आनी चाहिए। इसके अलावा, हमारा सरकार से यह भी आग्रह है कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि अमेरिका के साथ 'रणनीतिक भागीदारी' के

अन्तर्गत हमें कभी भी इस क्षेत्र में अथवा विश्व में 'रणनीतिक निर्भरता' अथवा अमेरिका के राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों के साथ 'स्ट्रेटेजिक लॉक–इन' में तबदील होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

स्पष्टीकरण

1. एक समान दो देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी अत्यंत प्रभावी रहती है। हमारी सरकार को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए।

2. फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के दायरे में वर्तमान में भारत का आधारभूत विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी विश्व के किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक उच्च है। भारत को अपनी प्रगति को न तो खोना है और न ही इसके साथ समझौता करना है।

प्रश्न

सरकार से हमारे कुछ प्रश्न हैं:

1. सरकार को 'चिरन्तन काल के लिए 'सुरक्षा' गिरवी रखने की बात को स्पष्ट करना चाहिए। यदि इसके बाद कुदानकुलम में हमें परमाणु पावर स्टेशनों के लिए, मान लीजिए कि अमेरिका से, आयात की जरूरत पड़ती है और मान लीजिए कि हम इस ईंधन को रूस से आयात करते हैं, तो क्या रिएक्टर संस्थापन स्वतः ही 'चिरन्तन काल तक सुरक्षा' उपायों के दायरे में आ जाएगा?
2. क्योंकि ''चिरन्तन काल के सुरक्षा उपाए'' परमाणु सम्पन्न शस्त्रास्त्र देशों पर लागू नहीं होते हैं, तो भारत पर यह किस प्रकार से लागू होंगे, जबकि सरकार का दावा है कि भारत को परमाणु सम्पन्न शस्त्रास्त्र राज्यों का दर्जा मिला है? यह भी कि इससे भारत के परमाणु कार्यक्रम तथा इसकी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा किस प्रकार से होगी?
3. क्या भारत को ''उच्च परमाणु सम्पन्न राज्यों'' की जिम्मेदारियों तथा दायित्व उपलब्ध हैं और यदि ऐसा है तो अन्य ऐसे राज्यों के साथ आइएईए का क्या समझौता है?
4. सरकार को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि 'चिरन्तन काल के सुरक्षा–उपाए' का सम्बन्धी ईंधन आपूर्ति के मामले में भी उतने समय तक का ही रहेगा?
5. सरकार को यह बात भी विस्तार से बतानी होगी कि आईएईए के साथ कौन से अतिरिक्त प्रोटोकाल रहेंगे?

6. 27 फरवरी के अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने सिविल दायरे में डीएई की कुछ अन्य सुविधाएं भी इस सूची में जुड़ जाएंगी'' इसे जानबुझ कर अस्पष्ट रखा गया है। हम जानना चाहेंगे कि क्या इसमें कोई 'फ्यूल– फ्रेब्रिकेशन सुविधा'', उदाहरण के लिए हैदराबाद में 'न्यूक्लीयर फ्यूल कम्पलैक्स'' (एन.एफ.सी.) भी शामिल है? या अन्य कोई रणनीतिक महत्त्व की सुविधा शामिल रहेगी?
7. आईएईए के साथ ''भारत के विशिष्ट सुरक्षा उपाय'' शब्दावली हैरानी में डालने वाली है क्योंकि ये सुरक्षा उपाय किसी भी तरह से सीधी–सादी बात नहीं है।
8. संयंत्रों को अलग करने की योजना में 'प्रयुक्त ईंधन' की स्थिति क्या रहेगी?
9. प्रमुख वार्ताकार, अमेरिका के प्रवक्ता और कुछ वरिष्ठ सीनेटरों का दावा है कि इस समझौते के माध्यम से भारत को पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय अप्रसार मानकों के अनुपालन के नजदीक ले आया गया है'; दूसरे शब्दों में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना ही हमने एनपीटी के दायित्वों को स्वीकार कर लिया है। सरकार इसे स्पष्ट करे।
10. क्या सरकार ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय टेक्नोलॉजी तैयार करने में हमारी स्थापनाओं की प्रतिबद्धताओं के बारे में कोई ह्रास, कमी, संशोधन तो नहीं किया है, जिससे देश की रणनीतिक स्वायत्तता पर प्रभाव पड़े?
11. सरकार को 'सीक्वेंसिंग' और 'रिसीप्रोसिटी' की अनुपस्थिति को भी स्पष्ट करना होगा, जिसके बारे में पहले प्रधानमंत्री ने दावा किया था।
12. हमें विस्तार से इस बात की जानकारी चाहिए क्या सरकार ने इस समझौते में 'एक्जिट धाराएं' रखी हैं, यदि कोई हो तो बताएं, जिन्हें अमरीकी कांग्रेस नापसंद कर सकती है।
13. अमेरिका के साथ वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी की नवीन घोषणा में भारत को ''उच्च परमाणु टेक्नोलॉजी देश'' का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि इस भागीदारी में ''प्राप्तकर्ता देश'' कहा गया है। सरकार इसे स्पष्ट करे।
14. अमरीकी वार्ताकारों ने कहा है कि संयंत्रों के अलग करने की योजना को अमेरिका तथा अधिकारियों के बीच ''संयुक्त रूप से'' तैयार किया

गया है। क्या यह सही है?

15. यह भी दावा किया गया है कि 'विस्तार से योजना' को अमरीकी कांग्रेस को पेश करना होगा। क्या यह सही है?
16. यदि योजना पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और अमेरिका के साथ बातचीत भी हो चुकी है तो प्रधानमंत्री को संसद में दिए अपने 27 फरवरी के वक्तव्य को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे रणनीति कार्यक्रम की गोपनीयता की पूरी तरह से कैसे सुरक्षित रखा गया है?
17. अमरीकी वार्ताकारों का कहना है कि उन्होंने अमरीकी कांग्रेस, सीनेटरों और अन्य के साथ निरन्तर काम किया है। भारत सरकार ने प्रतिपक्ष के साथ कितनी बार परामर्श किया?
18. अमेरिका ने 'भारत के दायित्वों' के बारे में दावा किया है कि वह 'अप्रसार व्यवस्था' का अनुपालन करेगा। क्या यह सही है? सरकार को इसका उत्तर देना होगा।
19. 2014 तक संयंत्रों को अलग–अलग करने के कार्यक्रम के क्या परिणाम होंगे?

भारत ने कहा है कि हमारा देश समाधान का हिस्सा है, समस्याओं का नहीं, जिससे लगता है कि सरकार ने इस मुद्दे पर समझौता किया है। इसलिए सरकार को इस बारे में देश की संतुष्ट करना होगा कि किस प्रकार से हमारे हित पूरी तरह से सधेंगे। यदि सरकार केवल ऊर्जा सुरक्षा से प्रेरित हुई है तो स्पष्ट है कि प्लूटोनियम प्रजनन पर अधिक बल दिया गया है, परन्तु दूसरी ओर 'प्रज्जवलन' पर नहीं। इस बारे में दिए गए विभिन्न वक्तव्यों में कई विसंगतियां हैं, जिनसे भ्रम पैदा होता है। यह सरकार का दायित्व है कि वह इस बारे में पूरी तरह से देश को स्पष्टीकरण देकर संतुष्ट करे। ऐसा न हो कि जो बात हमारे लिए स्वागत योग्य होनी चाहिए, वह सरकार द्वारा निकृष्ट और मूर्खतापूर्ण ढंग से कार्यान्वयन कर इसे भविष्य के लिए मृगमरीचिका बनाकर रख दे। ■

लेख

भारत-अमेरिकी परमाणु समझौता

✍ जसवंत सिंह

5 अप्रैल 2006 को सीनेट की फारेन रिलेशंस कमेटी तथा यू.ए. हाउस इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी में अमेरीकी विदेश मंत्री के बयान का विस्तार से अध्ययन करने पर बहुत से गम्भीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इसके साथ–साथ बुश प्रशासन को सेनेटर लूगर द्वारा भेजे गए ''82 प्रश्नों'' के उत्तरों की समीक्षा करने पर प्रस्तावित भारत–अमरीकी परमाणु समझौते के बारे में भी गम्भीर सन्देह उत्पन्न होते हैं। हमारी सरकार को इस बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में उत्तर देना जरूरी है।

परमाणु शस्त्रास्त्र देश (एन डब्ल्यू एस)

पहला प्रश्न एनडब्ल्यूएस से जुडा है। अमरीकी विदेश मंत्री राइस ने अपने बयान में कहा कि भारत के साथ की गई इस पहल का मतलब एनपीटी पर दोबारा बातचीत करना या उसमें संशोधन करना नहीं है। भारत ''परमाणु शस्त्रास्त्र देशों'' की तरह का न तो सदस्य है और न ही वह इसका सदस्य बनने जा रहा है।'' क्योंकि भारत एनपीटी का सदस्य बने बिना परमाणु शस्त्रास्त्र देश नहीं बन सकता है और यदि वह वैसा राज्य नहीं बनता है तो भारत को ''अमेरिका की तरह' के '' वही लाभ तथा फायदे'' नहीं मिल सकते हैं।

प्रधानमंत्री को इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट करना होगा और देश को संतुष्ट करना होगा अन्यथा इसके आगे और भी भ्रम पैदा होते रहेंगे।

एनएसजी मानकों के अनुरूप सदस्यता

सेनेटरों और विदेश मंत्री राइस ने बार–बार जोर दिया है:

- ''एनपीटी आधारशिला है.... परमाणु आपूर्तिकर्ता ग्रुप (एनएसजी) के अपने व्यवहार के कुछ मानक है। भारत ने एकपक्षीय रूप से उनका

पालन करने को सहमत हुआ है। हालांकि एमसीटीआर (मिसाइल नियंत्रण टेक्नोलाजी व्यवस्था) पर भारत ने केवल एकपक्षीय रूप से पालन करने की बात कही है।''

- ''अतः मै मानती हूं– मेरा ख्याल है कि हमें एक ही रूख को दो बराबर–बराबर हिस्सों के रूप में ऊर्जा और अप्रसार के बारे में सोचना होगा।''

(कोंडोलीजा राइस)

इन कथनों को देखते हुए हमारी सरकार को स्पष्ट करना होगा कि पहली बात क्या हम एनएसजी को कसौटी और दायित्वों के अनुरूप ''एक पक्षीय रूप से'' पालन करने को सहमत हो गए हैं?

दूसरी बात, क्या सरकार ऊर्जा और अप्रसार को बराबर–बराबर हिस्सों में बांट देने पर सहमत हो गई है? तीसरे, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और अमेरीकी विदेशमंत्री कैसे बार बार इस बात पर जोर दे सकते हैं कि यह समझौता 'ऊर्जा' के बारे में है, 'शस्त्रास्त्र नियंत्रण' या 'अप्रसार' के बारे में नहीं। क्योंकि दोनों बातों को एक ही सांस में नहीं कहा जा सकता है, जो कुछ भारत सरकार कहती है और जो अमरीकी विदेश मंत्री ने बार बार अपने बयान में कहा है, या तो इन ''बराबर–बराबर दो हिस्सों' को अलग करना होगा या फिर इस सिद्धांत को खारिज करना होगा।

इस विभेद का समाधान करना होगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसे और आगे बातचीत करने से पहले सुलझाया जाए।

इसके अलावा, विदेश मंत्री राइस ने यह भी कहा है कि भारत पहले अमरीका के साथ ''अपने प्रसार सुरक्षा पहल की संभावित भागीदारी'' पर बातचीत कर रहा है।

क्या यह सही है?

बेहतर होगा सरकार देश को इस बारे में जानकारी दे, इसकी बजाय कि हमें इस प्रकार की घटनाओं की सूचना अमरीका से मिले।

देश को यह भी जानने का हक है कि क्या सरकार ने एफएमसीटी मतलब (परमाणु ईंधन पर रोक लगाना) या एमटीसीआर (मतलब मिसाइल विकास पर रोक लगाना) जैसे दायित्वों को ''एक पक्षीय रूप से'' मानने पर सहमत हो गया है?

इन सभी प्रस्तावों का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गम्भीर असर पड़ता है। हमारा आग्रह है कि सरकार को इस प्रकार के किसी भी नियंत्रण पर एक

पक्षीय रूप से अपनाना नहीं चाहिए और वह भी संसद तथा विपक्ष के साथ बिना सलाह मशविरे के तो कदापि नहीं अपनाना चाहिए।

अतिरिक्त प्रोटोकॉल

यह निराशाजनक है कि एक तरफ तो सरकार ने ''अभी बातचीत शुरू होनी है' के आधार पर आईएईए से 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल' पर बात करने के बारे में देश को कोई जानकारी नहीं दी है, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय पहले ही अमरीकी प्रशासन से इस महत्वपूर्ण पक्ष पर बात कर चुका है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है और हमारी संसद तथा देश के प्रति अविवेकपूर्ण कार्य है।

सरकार को स्पष्ट करना होगा कि क्या वह आईएईए से 1954 के अमरीकी परमाणु उर्जा अधिनियम की धारा 123 के अपनाने से पहले इस 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल' पर बात कर रही है या बात करने का इरादा रखती है?

तो क्या यह सही है कि इस 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल' की जांच अमरीकी प्रेसीडेण्ट, अमरीकी कांग्रेस करेगी जो संयुक्त रूप से या मिल कर यह तय करेंगे कि क्या यह 'स्वीकार्य समझौता होगा?

इससे हमारी संसद, संसद के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व और देश के बारे में उसकी भूमिका तथा प्रासंगिकता के बारे में अनेक सवाल खड़े होंगे। यह प्रधानमंत्री तथा भारत सरकार की संसद को दिए उस प्रतिबद्धता के विपरीत भी होगा जिसमें प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया था कि 'वेवर बिल' के कारण भविष्य में जो भी सौदा होगा, वह प्रेसीडेण्ट कांग्रेस द्वारा इस 'वेवर की जांच' करने की शर्त पर होगा और जब तक वे अपना निर्णय सुरक्षा उपाए के बारे में सही है या सही नहीं देते हैं तब तक यह सौदा स्वतः स्वीकृत नहीं माना जाएगा। और यह सब कुछ आईएईए के साथ 'अतिरिक्त प्रोटोकॉल' होने के बावजूद होगा। क्या यह व्याख्या सही है?

मिसाईल मैटीरियल (विखण्डज सामग्री)

इस बारे में सेनेटर सरबेंस तथा विदेश मंत्री के बयानों का संक्षिप्त उद्रण दिया जाता है ताकि हम अपनी चिंता उदाहरण के रूप में पेश कर सकें।

सेनेटर सरबेंसः परन्तु यह बात और भी जटिल हो जाती है क्योंकि मुझे लगता है कि अन्य पार्टनरों ने फिसाईल मेटीरियल का निर्माण करने से मना कर दिया है, क्या यह सही है?

विदेश मंत्री राइस: निःसंदेह, अन्य पार्टनरों में इस समय गैर–परमाणु शस्त्रास्त्र देश है, परन्तु –

सेनेटर सरबेंस: और परमाणु शस्त्रास्त्र देशों ने अतिरिक्त फिसाईल मेटीरियल का निर्माण करने से मना कर दिया है?

विदेश मंत्री राइस: नहीं, सेनेटर। सच यह है कि ''फिसाईल मेटीरियल कट–आफ ट्रीटी'' के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास जारी हैं, जिसका अमरीका समर्थन करता है। परन्तु, यह सही है कि हमने फिसाईल मैटीरियल उत्पादन को स्थगित किया है और हमने दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है।

इसलिए क्या प्रधानमंत्री स्पष्ट करेंगे कि इस बयान की व्याख्या किस प्रकार की जाए? प्रधानमंत्री ने संसद को बताया था और वह भी बार बार–

(क) सब कुछ पारस्परिक ढंग से होगा अर्थात् जैसा दूसरे करेंगे, वैसा ही हम भी करेंगे।

(ख) अमरीका, बल्कि सभी उच्च परमाणु देशों की तरह ही हमारा दर्जा होगा, हमें वही सब लाभ मिलेंगे।

(ग) तो कैसे हमने एक पक्षीय रूप से अपने फिसाईल मेटीरियल के उत्पादन पर नियंत्रण लगाने की पेशकश की?

(घ) या, निकट भविष्य में न करने का इरादा किया?

क्या अमरीकी विदेश मंत्री के बयान के बाद भी हम इस आश्वासन पर कायम है?

एनपीटी- आईएईए

सेनेटर केरी के जवाब में विदेश मंत्री राइस ने अपने बयान में एक और बात कही है:

विदेश मंत्री: हां, सेनेटर, हम निश्चित ही इस बारे में दबाव डालेंगे, मिसाईल मेटीरियल कट–आफ ट्रीटी और आईएईए सुरक्षा उपाए– दोनों के बारे में श्री सरन के हाल के दौरे में, मैंने स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा था कि कांग्रेस में यह मुद्दा बनेगा और उन्हें यथाशीघ्र आईएईए से बातचीत करनी चाहिए।

क्या सरकार इसकी पुष्टि करेगी अथवा इंकार करेगी कि क्या यह बात सही है कि विदेश मंत्री ने ''स्पष्ट शब्दों में'' ''यथाशीघ्र'' आईएईए से बातचीत करने के लिए कहा। फिर यह बात प्रधानमंत्री के आश्वासन और घोषित प्रकिया के विपरीत है।

सेनेटर केरी के जवाब में अमरीकी विदेश मंत्री का एक और अंश देखिए:

''इन विभिन्न व्यवस्थाओं, मिसाइल टेक्नालाजी के अनुपालन से वे परमाणु अप्रसार व्यवस्था की अवधारणा का विस्तार करने में मदद करेंगे क्योंकि एनपीटी इसका महत्वपूर्ण अंग है। परन्तु हमें ''एनपीटी से भी अधिक'' कुछ चाहिए। और मैं फिर इस बात पर जोर देती हूं कि अप्रसार सुरक्षा पहल पर हम बहुत कड़ाई से जोर देंगे।''

एनपीटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत में जो भी सरकारें आई, वे इस समझौते से दूर रहीं क्योंकि हमारे विचार में इससे ''परमाणु भेदभाव'' किया जाता रहा है। अब 'एनपीटी' से भी अधिक की बात हो रही है। क्या सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है? और क्या सरकार बताएगी कि ''एनपीटी से भी अधिक क्या है?

आईएईए

आईएईए के प्रश्न पर अमरीकी विदेश मंत्री ने हाउस इंटरनेशनल रिलेंशस कमेटी को बताया:

''इससे भारत के दो–तिहाई रिएक्टर सुरक्षा के दायरे में आ जाते हैं। इससे भावी सिविल–सिविलियन रिएक्टर सुरक्षा के दायरे में आ जाते है। क्योंकि लगभग अगले दशक में भारतीय अनुमान के अनुसार लगता है कि भारत के सिविल कार्यक्रम में उनके 90 प्रतिशत रिएक्टरों को सुरक्षा के दायरे में ले आएंगे। और मौहम्मद एलबारदेई ने लिखा है कि आईएईए अन्ततः भारतीय कार्यक्रम से सतत सम्पर्क बनाए रखेगा, जिससे यह कार्यक्रम इस ढंग से खुल जाएगा, जो इस समय खुला नहीं था। मेरे विचार में अप्रसार व्यवस्था का यह ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में दूसरे लोगों ने इस ढंग से सोचना शुरू कर दिया है।''

क्या सरकार अमरीकी प्रशासन से इस बात पर सहमत है? यह भी कि क्या आईएईए के यह विचार हमारी नीतियों के अनुरूप है? प्रधानमंत्री को इस पर अपनी प्रतिकिया देनी चाहिए।

पारस्परिक एवं प्रत्यावर्तित

प्रधानमंत्री ने बार बार संसद को बताया है कि यदि अमरीका अपना दायित्व पूरा नहीं करेगा तो निःसंदेह भारत पर भी समझौते पर चलने का दायित्व नहीं रहेगा। यह बात सरकार और इसके प्रवक्ता ने अनेक अवसरों पर कही है। इसी कारण सेनेटर फेनगोल्ड की बात पढ़ कर आश्चर्य होता है:

सेनेटर फेनगोल्ड: धन्यवाद, मेडम सेक्रेटरी आपने कहा है कि सुरक्षा

उपाए स्थायी होंगे, परन्तु भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि यह ''स्थायी'' सुरक्षा–उपाए सिविलियन रिएक्टरों की बेरोकटोक आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। क्या इससे हमारे हाथ बंध नहीं जाते हैं?

विदेश मंत्री राइसः हमने यह बात भारत को बता दी है कि सुरक्षा–उपायों का स्थायित्व बिना शर्त के सुरक्षा–उपायों का स्थायित्व है। दरअसल, हमारा यह अधिकार होगा कि यदि भारत परीक्षण करता है, जैसा कि भारत ने न करने की बात कही है या यदि भारत आईएईए सुरक्षा उपाय समझौते का उल्लंघन करता है, जिसका वह पालन करेगा, तो उसी समय हमारा समझौता खत्म हो जाएगा''

हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे सरकार की स्थिति को इस बारे में स्पष्ट करे।

छद्मवेष में सीटीबीटी

सरकार ने कहा है कि वह छद्मवेष में सीटीबीटी को स्वीकार नहीं कर रही है। परन्तु सरकार ने 18 जुलाई के वक्तव्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को माना है। क्या भारत सदैव के लिए सभी परमाणु परीक्षणों का त्याग कर देगा? **क्या अमरीका पर भी कोई तद्नुरूपी दायित्व रहेगा? इसके अलावा, क्या इसका मतलब अपने कार्यकम पर 'रोक' लगाना नहीं होगा? और, क्या इससे परमाणु क्षेत्र में हमारे भावी वैज्ञानिक विकास को आंच नहीं आएगी? क्या सरकार अमरीकी विदेश मंत्री के बयान को तथा 18 जुलाई के समझौते की व्याख्या को ('स्थायी तो स्थायी होता हैं) तथा इस विषम पर उनके बाद के बयानों को अस्वीकार करती है?**

ईरान

क्या भारत सरकार मानती है कि क्योंकि ईरान अमरीका के लिए एक प्रमुख नीतिगत मुद्दा है, इसलिए अब भारत से आशा की जाती है कि वह प्राथमिकता के आधार पर अमरीकी नीति को माने और /या उसके साथ सहानुभूति रखे। क्या प्रधानमंत्री इस स्थिति से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं?

निष्कर्ष

सरकार द्वारा अमरीका के सामने रखे प्रस्तावों से हमारी रणनीति को पर्याप्त नुकसान होता है; हमें अपनी स्वायत्तता त्यागनी पड़ती है; हमें हस्तक्षेपशील आईएईए व्यवस्था की जांच में अपने 90 प्रतिशत परमाणु

संयंत्रों को दूसरों के अधीन रखना पड़ता है; और यह सब कुछ हमें लगभग 2025 में अपनी ऊर्जा की जरूरत के सिर्फ 8 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति के लिए करना पड़ रहा है, और वह भी ऐसी हालत में जब कि (लगभग 15 से 20 वर्ष में) सब कुछ ठीक ठाक चला तो यह जरूरत पूरी हो पाएगी। यह समझौता बहुत महंगा है, इस पर ठीक से विचार नहीं हुआ और बेहद असंतुलित है।

''भारत–अमरीका के उभरते संबंध'' फले फूलें, परन्तु यह तभी संभव है जब दोनों पक्ष ''स्पष्ट रूप से समझ सकें कि किन बातों ने उन्हें एक साथ जोड़ा है'' और दूसरा पक्ष हमसे क्या अपेक्षा रखता है। ऐसा कोई भी भारत का निर्णय जिससे उसकी काम करने या, उसकी स्वायत्तता, उसकी सम्प्रभुता पर रोक लगे तो निश्चय ही इसके साथ आज से लगभग 20 वर्ष बाद 'उर्जा सुरक्षा' के भ्रम में आकर समझौता नहीं किया जा सकता है।

भाजपा सदैव ही अमरीका के साथ मिलकर काम करना चाहती है और उसके साथ स्वस्थ्य, समृद्धिपूर्ण तथा अत्यंत पारस्परिक संबंध स्थापित करने के हक में है, वस्तुतः हम एक गतिशील 'राजनीतिक साझेदारी' चाहते हैं; परन्तु दो सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रों के बीच सम्बंध तथा साझेदारी आज के वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में किसी तरह असंतुलित नहीं हो सकते हैं।

यूपीए तथा इसके सहयोगी दलों द्वारा बनाया गया समझौता किसी भी तरह राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है। यही एक कसौटी हैः वह है राष्ट्रहित जिस पर ही हम सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को परख सकते हैं। ■

महंगे सौदे का करार

✍ **यशवंत सिन्हा**

इस समाचार पत्र के गत दिवस के अंक में मैंने अमेरिका के साथ परमाणु करार के संद□ में संप्रग सरकार के उन दावों को असत्य सिद्ध किया था जो यह बताने के लिए किए जा रहे हैं कि प्रस्तावित करार □ारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां यह बताना

चाहूंगा कि सरकार करार पर लागू होने वाले अमेरिकी कानून हाइड एक्ट के बारे में किस तरह हमें अंधेरे में रख रही है और यह □ी कि इस करार के हो जाने पर जिस नाि□कीय ऊर्जा की प्राप्ति सुल□ हो जाने की बात की जा रही है उसके लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हाइड एक्ट में साफ कहा गया है कि □ारत के साथ नाि□कीय करार में शामिल होने का आधार यह है कि हमारे पास एक ऐसी विदेश नीति होगी जो अमेरिका की विदेश नीति के अनुकूल है। यह □ी कि अमेरिका के वैश्विक और क्षेत्रीय अप्रसार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए □ारत कहीं अधिक राजनीतिक और □ौतिक समर्थन उपलब्ध कराएगा–खासकर ऐसे देशों को रोकने, अलग–थलग करने तथा यदि जरूरी हो तो उन पर प्रतिबंध लगाने में जो नाि□कीय हथियार क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या व्यापक जनसंहार वाले अस्त्र बनाना चाहते हैं । इस अधिनियम के तहत अमेरिका को □ारत से नाि□कीय क्षमता हासिल कर रहे ईरान जैसे किसी देश को रोकने, अलग–थलग करने और यदि जरूरी हो तो उस पर प्रतिबंध लगाने की अपनी योजना में □ारत से पूर्ण और सक्रिय समर्थन प्राप्त करना है। इसी अधिनियम के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस के समक्ष उन विशेष मानकों के संद□ में विवरण या आकलन प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है जिनका संबंध ईरान जैसे देशों को नियंत्रित करने की अमेरिकी योजना में □ारत की पूर्ण तथा सक्रिय सह□ागिता से है।

तात्पर्य यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस को यह बताएंगे कि परमाणु हथियार या व्यापक जनसंहार के दूसरे अस्त्र विकसित करने की कोशिश कर रहे ईरान को रोकने, अलग–थलग करने या प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिका तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में □ारत ने कितना सहयोग किया? यदि □ारत ने ऐसा नहीं किया तो चरणबद्ध तरीके से निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह बताया जाएगा कि □ारत की पूर्ण और सक्रिय सह□ागिता सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सरकार ने क्या कदम उठाए? (2) इन पर □ारत सरकार के जवाब क्या रहे? (3) आगामी वर्षो में अमेरिका क्या कदम उठाने की योजना बना रहा है जिससे □ारत की पूर्ण व सक्रिय सह□ागिता सुनिश्चित की जा सके? (सेक्शन 104)। इससे यह साफ है कि विदेश नीति और नाि□कीय नीति, दोनों मोर्चो में □ारत पर अमेरिकी लाइन का पालन करने का अनवरत दबाव रहेगा। ऐसा न करने की कीमत इतनी □ारी होगी जिसके बारे में कल्पना □ी नहीं की जा सकती।

अब हम नाि□कीय ऊर्जा के पूरे सवाल पर निगाह डालते हैं। इसी समाचार पत्र में दो जुलाई 2008 को प्रकाशित अपने लेख में मैं इस पर विस्तार से चर्चा कर चुका हैं। इसलिए मैं इस बार केवल नाि□कीय ऊर्जा की लागत के पहलू तक खुद को सीमित रखना चाहूंगा। आखिर हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि परमाणु करार की मदद से हमें जो बिजली मिलेगी उसके लिए हमें क्या कीमत चुकानी होगी? सरकार हमसे इस पर □ोसा करने के लिए कह रही है कि यदि यह करार हो जाता है तो 2030 तक आयातित लाइट वाटर नाि□कीय रिएक्टरों से कम से कम तीस हजार मेगावाट नाि□कीय ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। 2050 तक यह क्षमता पचास हजार मेगावाट तक पहुंच जाएगी। मैं पहले □ी कह चुका हूं कि सरकार बड़ी चतुराई से हमें यह बताने से बच रही है कि नाि□कीय रिएक्टरों की स्थापना तथा उनसे उत्पादित ऊर्जा की प्रति यूनिट कीमत आखिर क्या होगी? कुछ विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर मैं नाि□कीय ऊर्जा की लागत के संद□ में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं।

2050 तक पचास हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए □ारत को 1200 मेगावाट की क्षमता वाले कम से कम चालीस लाइट वाटर रिएक्टर स्थापित करने होंगे। मौजूदा कीमतों के आधार पर इन चालीस रिएक्टरों की कुल कीमत सौ अरब अमेरिकी डालर होगी। मौजूदा दर के आधार पर रुपये में यह राशि 4,20,000 करोड़ रुपये बैठती है। सरकार यह दावा □ी करती है कि इस करार के आधार पर हमें प्रत्येक रिएक्टर के लिए नाि□कीय ईंधन का सुरक्षित □ंडार कायम करने की अनुमति मिलेगी ताकि यदि किसी कारण से आपूर्ति बाधित होती है तो इन रिएक्टरों का कामकाज बाधित न हो। सरकार का यह दावा असत्य है, लेकिन यदि इसे एक क्षण के लिए सत्य मान □ी लिया जाए तो यह व्यवस्था नाि□कीय ऊर्जा को पूरी तरह अव्यवहारिक बना देगी। रिएक्टरों की चालीस वर्ष की जीवन अवधि के लिए मौजूदा दर पर प्रा.तिक यूरेनियम का खर्च लग□ग 226.5 अरब डालर (9,51,300 करोड़ रुपये) बैठेगा। इस प्राक्रतिक यूरेनियम को उपयोग लायक बनाने में 3,23,400 करोड़ रुपये और खर्च होंगे। इस आधार पर रिएक्टरों से 50,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए कुल मूल लागत 4035 अरब डालर या 17,16,700 करोड़ रुपये होगी।

इस मूल लागत के अलावा इन रिएक्टरों से उत्पादित होने वाली बिजली मौजूदा कीमत के आधार पर 12 रुपये प्रति यूनिट होगी। इस लागत को

□विष्य में बढ़ते ही जाना है। इतना बड़ा निवेश कहां से आएगा? इतनी महंगी बिजली कौन खरीदेगा? यदि किसी रिएक्टर में चेर्नोबिल या □ोपाल गैस त्रासदी जैसा कोई हादसा हो जाता है तो क्या होगा? इन स□ी सवालों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के होंठ इस तरह सिले हुए हैं जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। सरकार को तो बस किसी तरह अमेरिका के साथ परमाणु करार का फंदा लोगों के गले में उतारना है–□ले ही इसके लिए हमें कैसी □ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

(21 जुलाई 08, दैनिक जागरण)

बेकार है यह करार

✍ **यशवंत सिन्हा**

□ारत–अमेरिका परमाणु करार पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। हिंदी फिल्म के हीरो की तरह यह गोली लगने के बाद □ी खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। सरकार और वाम दलों का नाटक लगातार जारी है। सरकार में इतना साहस नहीं कि वह करार संपन्न करे और इसके परिणाम □ुगतने को तैयार रहे। दूसरी ओर वाम दल अपनी राय पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे, क्योंकि वे जल्द चुनाव नहीं चाहते। इसी बीच करार समर्थक लोग मीडिया में लेखों के जरिये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग □ाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं कि उसने करार को मझधार में छोड़ दिया, कुछ सोनिया गांधी को उकसा रहे हैं कि वह राजीव गांधी की विरासत की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करें। सरकार ने करार विरोधियों की आवाज दबाने की पुरजोर कोशिश की है। चर्चा है कि एक संपादक को करार का विरोध करने के कारण अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। करार के कुछ विरोधियों को खरीद लिया गया। हैरानी की बात है कि कोई □ी उनसे सवाल नहीं कर रहा कि उनके विचारों में परिवर्तन कैसे आया? दूसरी तरफ विरोध पर अडिग हमारे जैसे लोगों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। हमें दोषी ठहराया जा रहा है।

करार पर हमारे विरोध के कई कारण हैं। हम संसद में बहस के दौरान

इन्हें उठा चुके हैं, किंतु सरकार और उसके समर्थक विरोध के बिंदुओं पर ध्यान देने के बजाय □म, अ?र्द्धसत्य, सफेद झूठ और यहां तक कि गाली–गलौच का सहारा लेकर हमारी दलीलों को बौना साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सफेद झूठ यह बोला जा रहा है कि हम पर केवल 123 समझौते की शर्तें हीं लागू होती हैं। हम अमेरिका के हाइड एक्ट से बंधे नहीं हैं। आखिर एक विदेशी कानून □ारत पर कैसे लागू हो सकता है? दूसरी दलील है कि यह आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत है। सवाल है कि अगर हम केवल 123 समझौते से बंधे हैं तो यह कैसे कह सकते हैं कि हाइड एक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है? अगर हाइड एक्ट अमेरिका पर बाध्यकारी है और वह परमाणु करार में एक पक्ष है तो करार हाइड एक्ट के प्रावधानों से कैसे बचा रहेगा? यह ध्यान देना रोचक होगा कि □ारत सरकार ने इस मुद्दे पर कितनी बार रंग बदला है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित होने से पहले सीनेट की विदेश मामलों संबंधी समिति और हाउस आफ कामंस की अंतरराष्ट्रीय कार्यसमिति ने चर्चा के लिए दो अलग–अलग मसौदे लिए, जो काफी कुछ प्रस्तावित कानून की तरह थे। जब हमने □ारत में इन मसौदों का अवलोकन किया तो इनमें जोड़े गए अनुबंधों पर चिंता जताई। 17 अगस्त, 2006 को राज्यस□ा में हुई बहस में दो मसौदों पर जोरदार ऐतराज किया गया। बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री हमसे सहमत हो गए थे। उन्होंने कहा था, ''विधेयक के दोनों रूपों में अंतर चिंताजनक है।'' उन्होंने आगे कहा, ''अगर अंतिम रूप में अमेरिकी संसद या एनएसजी दिशा–निर्देश □ारत पर बाहरी शर्तें थोंपते हैं तो मैं आपको □ोसा दिलाता हूं कि संसद के सामने मेरी वचनबद्धता के संबंध में सरकार उचित निष्कर्ष पर पहुंचेगी. .□ारतीय विदेशी नीति के संबंध में हम किसी □ी तरह के प्रतिबंध स्वीकार नहीं कर सकते।'' उन्होंने यह □ी कहा कि अगर अमेरिकी संसद विधेयक को इसी रूप में पारित करती है तो इसे स्वी.त करने में □ारत को बड़ी दिक्कत होगी। अब यह स□ी के सामने स्पष्ट हो चुका है कि हाइड एक्ट में इन दो मसौदों के घटिया प्रावधान समाहित हैं। इसलिए यह □ारत को और अधिक अस्वीकार्य हो जाना चाहिए।

दुविधा में फंसी कांग्रेस पार्टी के प्रबुद्ध कानूनी जानकार बताने में लगे हैं कि करार में बाध्यकारी और अबाध्यकारी, दोनों तरह के प्रावधान हैं। □ारत को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह साफ नहीं किया कि हाइड एक्ट के कौन से प्रावधान बाध्यकारी हैं और कौन से नहीं? □ारत की ईरान

नीति का हाइड एक्ट में तीन स्थान पर जिक्र है। तात्पर्य यह है कि □ारत को ईरान के संद□ में अमेरिकी मुहिम में पूरी सक्रियता से जुट जाना चाहिए। इसमें ईरान को रोकना, अलग–थलग करना और अगर जरूरी हुआ तो उस पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। एक्ट आगे कहता है कि इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वहां की कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपेंगे कि क्या □ारत ऐसे प्रयासों में पूरी तरह □ागीदारी कर रहा है? अगर □ारत पूर्ण रूप से और सक्रियता से ऐसा नहीं कर रहा है तो ऐसे उपायों का विवरण देना होगा कि अमेरिकी सरकार □ारत को पूरी तरह और सक्रियता के साथ □ागीदारी करने के लिए तैयार कर रही है। केंद्र सरकार बताए कि यह बाध्यकारी प्रावधान है या महज सलाह? सरकार के कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि चूंकि 123 समझौता अमेरिकी कांग्रेस का आखिरी अनुबंध होगा इसलिए यह हाइड एक्ट से ऊपर होगा। इससे अधिक बरगलाने वाली कोई बात नहीं हो सकती।

123 समझौता अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 के मूल प्रावधान से छूट प्रदान करवाने वाले हाइड एक्ट की उपज है। इसलिए यह हाइड एक्ट के प्रावधानों की चहारदीवारी से घिरा हुआ है। □ारत सरकार के विपरीत अमेरिका यह बराबर कह रहा है कि हाइड एक्ट अमेरिकी सरकार पर बाध्यकारी है और यह □ी कि 123 समझौता हाइड एक्ट के अनुरूप है और इस एक्ट से अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। यथार्थ यह है कि □ारत 123 समझौते से बंधा है और 123 समझौता हाइड एक्ट से। क्या ऐसी स्थिति में □ी □ारत इस अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी कर सकता है? इसके अलावा □ारत आईएईए निगरानी में आ जाएगा और उस पर एनएसजी के दिशा–निर्देश लागू होंगे। करार के समर्थकों की एक और दलील है कि 123 समझौते के तहत □विष्य में □ारत के परमाणु हथियार परीक्षण पर कोई रोक नहीं लगती। समझौता 123 साफ–साफ कहता है कि यह दोनों पक्षों के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार क्रियान्वित होगा। अमेरिका के राष्ट्रीय कानून स्पष्ट तौर पर □विष्य में परीक्षण की इजाजत नहीं देते। अमेरिकी वार्ताकारों को करार के मसौदे में यह शब्दावली जोड़ने की □ारत की इस छोटी और महत्वहीन मांग को मानने में कोई आपत्तिनहीं थी। इससे □ारत सरकार को यह बखान करने का मौका मिल गया कि वह □विष्य में परमाणु परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही केंद्र सरकार दबे–छिपे स्वर में कहती है कि इस तरह की कार्रवाई के दुष्परिणाम झेलने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यह तो वही बात हुई जैसे कोई यह कहे कि वह हत्या करने के लिए

स्वतंत्र है, बस इसके दुष्परिणाम अर्थात मौत की सजा □ुगतनी होगी।

123 समझौते के अनुसार अगर करार रद होता है तो □ारत को परमाणु □ट्टी स्थापित करने के लिए आयातित आखिरी कील–कांटा तक वापस करना होगा और हाइड एक्ट के अनुसार अगर □ारत परमाणु परीक्षण करता है तो अमेरिका के सामने समझौता निरस्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं। इस तरह हाइड एक्ट और 123 समझौता, दोनों मिलकर हमारी गर्दन पर स्थायी रूप से फंदा कस देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस समितियों को प्रतिवर्ष □ारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में अनेक तरह की जानकारियां देनी होंगी। क्या इससे अधिक प्रतिबंधात्मक, दखलंदाजी वाली और शर्मिंदगी की बात □ारत के लिए हो सकती है? □ारत–अमेरिका परमाणु करार विनाश की तैयारी है। जितनी जल्दी इसे छोड़ दिया जाए, उतना ही बेहतर है।

करार से क्यों करें इनकार

✍ यशवंत सिन्हा

पिछले तीन साल में भारत–अमेरिका परमाणु करार के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस बहस में भाग लेने वालों ने यह जताने की कोशिश की है कि इस संधि के विभिन्न पहलुओं को वे भलीभांति समझते हैं। हालांकि यह देखना कष्टकारी है कि सरकार ने इस मुद्दे पर एक राजनीतिक संकट खड़ा करना पसंद किया। वह अपना पक्ष मजबूत करने के लिए असत्य का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचा रही। मैं ऐसे केवल तीन मुद्दे उठाऊंगा जिन पर सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार कहती है कि इस करार के तहत हमारा नाभिकीय हथियार कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित है। यह सही नहीं है। अमेरिका शुरू से कह रहा है कि इस संधि का मकसद भारत को नाभिकीय अप्रसार व्यवस्था के दायरे में लाना है। उसका स्पष्ट उद्देश्य हमारे नाभिकीय हथियार कार्यक्रम पर बंदिश लगाना, उसे घटाना और अंततः समाप्त करना है।

अमेरिका का तात्कालिक लक्ष्य भारत को नाभिकीय हथियार तकनीक

के निचले सिरे पर फंसाना है। यह काम भविष्य में परमाणु परीक्षण करने के हमारे अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त कर किया जाना है। सरकार जिस जरूरत पर सबसे अधिक जोर दे रही है वह एक छलावा है। लोगों को यह सब्जबाग दिखाते हुए कि अमेरिका के साथ यह करार हो जाने के बाद देश का हर घर बिजली से रौशन हो जाएगा, सरकार ने जानबूझकर अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि इस ऊर्जा के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अमेरिका का उद्देश्य हाइड एक्ट के इस प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कहा गया है, ''वे देश जो कभी नाभिकीय अप्रसार संधि का हिस्सा नहीं रहे और इस संधि की कानूनी बाध्यताओं से बाहर है, वैश्विक अप्रसार के समग्र लक्ष्यों की पूर्ति में बाधक है। यह अमेरिका के हित में है कि पूरी क्षमता से यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे देशों ने जो नाभिकीय तकनीक विकसित की है उसके प्रबंध के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हों। यह भी अमेरिका के हित में है कि ऐसे किसी देश के साथ नाभिकीय सहयोग समझौता किया जाए।'' (हाइड एक्ट का सेक्शन 102) हाइड एक्ट के जो प्रावधान हमारे नाभिकीय हथियार कार्यक्रम के खिलाफ है और अंततः उसे बंदिशों में बांध देंगे वे इस प्रकार हैं:

1. हाइड एक्ट भारत को ऐसी कार्रवाई से दूर रहने का निर्देश देता है जो हमारे नाभिकीय हथियार कार्यक्रम के विकास में मदद करेगी। (सेक्शन 102)
2. हाईड एक्ट का उद्देश्य (ए) दक्षिण एशिया में नाभिकीय हथियारों में वृद्धि पर अंकुश लगाने की कोशिश करना और उनमें कटौती तथा अंततः उन्हें समाप्त करने की योजना को प्रोत्साहित करना है (बी) भारत को निगरानी वाले नाभिकीय ठिकानों में फिसाइल मैटीरियल का उत्पादन न बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। (सेक्शन 103)
3. हाइड एक्ट के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति से यह अपेक्षित है कि वह कांग्रेस की समितियों को इन विषयों पर पूरी तरह सूचित करते रहेः (ए) भारत में किसी महत्वपूर्ण नाभिकीय गतिविधि के तथ्य तथा उनके क्रियान्वयन के बारे में (नाभिकीय ठिकाने के निर्माण सहित)। (बी) नाभिकीय हथियारों के निर्माण में महत्वपूर्ण परिवर्तन या फिसाइल मैटीरियल के उत्पादन के संदर्भ में। (सी) गैर–निगरानी वाले ठिकानों में नाभिकीय यूल साइकिल गतिविधियों के उद्देश्य तथा उस पर अमल में बदलाव पर। (डी) ऐसा कोई आकलन जिससे यह स्पष्ट हो कि अमेरिका का नागरिक

नाभिकीय सहयोग किसी भी तरह भारत के नाभिकीय हथियार कार्यक्रम की मदद कर रहा है। (ई) यूरेनियम के खनन तथा उसके इस्तेमाल या आवंटन नाभिकीय विस्फोट सामग्री के निर्माण में किया गया या नाभिकीय हथियारों के लिए फिसाइल मैटीरियल के उत्पादन की दर के संदर्भ मे। (एफ) ऐसे किसी विश्लेषण के संदर्भ में थी जिससे यह साफ हो कि क्या आयातित यूरेनियम ने भारत में नाभिकीय हथियारों के निर्माण की दर को प्रभावित किया है? (सेक्शन 104)

जहां तक भारत के भविष्य के नाभिकीय परीक्षणों का प्रश्न है तो हाइड एक्ट स्पष्ट तौर पर कहता है कि यदि राष्ट्रपति यह निर्धारण करते हैं कि भारत ने अधिनियम लागू हो जाने के बाद कोई नाभिकीय विस्फोट किया तो नाभिकीय सहयोग समझौता टूट जाएगा। इसके आगे की स्थितियों पर 123 समझौता प्रकाश डालता है कि ऐसी स्थिति आने पर भारत को सभी उपकरण, सामग्री वापस करने होंगे–भले ही उनकी आपूर्ति शांतिपूर्ण कार्यों के लिए की गई हो। अमेरिकी अधिकारियों, विशेष रूप से जान होलम जो अमेरिकी विदेश विभाग में हथियार नियंत्रण तथा राजनीतिक सैन्य मामलों के उपमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, ने भारत के नाभिकीय परीक्षणों के लिए कुछ दिन पूर्व ही सात अप्रैल 1998 को सीटीबीटी पर एक विशेष बैठक में कहा था कि परीक्षणों पर पाबंदी से हमें मदद मिलती है, क्योंकि यह एक बड़ी बाधा है जिसे पार करना नाभिकीय हथियारों की आकांक्षा कर रहे किसी देश के लिए आसान नहीं है। इसी अधिकारी ने अमेरिकी विदेश विभाग में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में 16 फरवरी 2000 को न्यूर्याक में फारेन पालिसी एसोसिएशन से कहा, ''हम एक हजार नाभिकीय परीक्षण कर चुके हैं। हमारे शस्त्रागार के सभी हथियार पूरी तरह परखे जा चुके हैं। हम बिना परीक्षण के नाभिकीय हथियारों का सुरक्षित और विश्वसनीय जखीरा बना सकते हैं।

इन परिस्थितियों में क्या यह जरूरी नहीं कि हम नाभिकीय क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहे देशों पर लगाम लगाएं।'' इससे साफ हो जाता है कि अमेरिका के इरादे क्या हैं? अमेरिका 1030 परीक्षण कर चुका है, रूस 715 और चीन 45 परीक्षण कर चुके हैं। ऐसे में यह अनिवार्य है कि हम भी आगे और अधिक परीक्षण करने के अपने विकल्प खुले रखें। ■

(लेखक पूर्व विदेश मंत्री हैं)

(दैनिक जागरण से साभार)

परमाणु करार का आधार ही खोखला

✍ **अरुण शौरी**

भारत–अमेरिका परमाणु समझौते के बारे में सबसे खराब बात यही है कि इस बारे में हर बात को पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। सरकार इस बारे में न तो देश की जनता को कुछ बता रही है और न ही संसद को विश्वास में ले रही है। मैं इससे बड़े अपराध की कल्पना □ी नहीं कर सकता जिसमें जनता के हाथ □विष्य की जरूरतों के मद्देनजर बांधे जा रहे हों और उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं हो। आश्चर्य तो यह है कि सरकार और अमेरिका मीडिया को □ी मनमाने ढंग से घुमा रहा है ताकि □ारतीय जनमानस को प्र□ावित किया जा सके। जिस तरह से अमेरिका □ारतीय सांसदों को इस मुद्दे पर प्र□ावित करने के लिए दूत □ेज रहा है उस पर काफी अचरज होता है। इस तरह ऐसे कुछ लोगों ने मुझसे □ी संपर्क किया ताकि उनके दृष्टिकोण की वकालत की जा सके।

हर कदम पर सरकार यही समझाने में लगी रही कि अगले चरण का इंतजार करिए। जब प्रारूप बना तो कहा गया यह तो महज खाका है। हर चरण पर अनदेखी करने का ही परिणाम था कि अंतिम विधेयक आया तो उसकी □ाषा और □ी सख्त थी। हमने फिर विरोध किया तो सरकार की ओर से कहा गया है कि अ□ी 123 समझौते के लिए इंतजार करिए क्योंकि हाइड कानून □ारत पर किसी तरह की बाध्यता नहीं है। जबकि क्या हम □ूल गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर तो कम–से–कम यह कानून बाध्यकारी है। यही नहीं, अमेरिकी संसद यह पहले ही साफ कर चुकी है कि इस संबंध में प्रशासन को उसकी मंजूरी के लिए पुनः कांग्रेस के पास लौटना होगा। हम यह क्यों □ूल जाते हैं कि 123 समझौता न केवल हाइड एक्ट बल्कि 1954 के अमेरिकी कानून के दायरे से बाहर नहीं होगा। अतः 123 समझौता परमाणु परीक्षण या ईंधन के पुनः प्रसंस्करण के बारे में कुछ कहे या न कहे लेकिन

इन मुद्दों पर अमेरिकी नीतियों का स्पष्ट उल्लेख पुराने कानूनों में दर्ज है। इस मामले पर हमारी तात्कालिक चिंता है परमाणु परीक्षण। जैसे ही आप परीक्षण करते हैं तो आपके खिलाफ प्रतिबंध लग जाएंगे। साथ ही सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी।

जबकि इस तरह का कोई बंधन चीन या पाकिस्तान पर नहीं है। ये देश अपने परमाणु हथियारों की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसे में □ारत का क्या होगा? प्रधानमंत्री कहते हैं कि परीक्षण करना हमारा सार्व□ौमिक अधिकार है। लेकिन यह मत □ूलिए कि परीक्षण करेंगे तो हमें परिणाम □ी □ोगना होगा। बिजली के लिए देश में 20–30 नए परमाणु उर्जा केन्द्र बनाने का उनका सपना साकार हो □ी गया तो □ारत पर परीक्षण न करने का दबाव असहनीय बन जाएगा। यदि परीक्षण करना ही पड़ा तो उस स्थिति में आपके इन नए परमाणु केन्द्रों को ईंधन कहां से मिलेगा? तब उन इलाकों का क्या होगा जिन्हें इस संयंत्रों से बिजली मिल रही होगी? क्या हम तारापुर का अनु□व □ूल गए हैं? महज 300 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र के लिए □ी हमें अमेरिका का □ारी दबाव झेलना पड़ा था। ऐसे में कल्पना करिए जब हम अमेरिका के सहयोग से 35 हजार मेगावाट के उत्पादन केन्द्र खड़े कर लेंगे तो क्या होगा। ईंधन आपूर्ति का मुद्दा □ी महत्वपूर्ण है। तारापुर को ईंधन आपूर्ति के लिए हुआ 30 साल का अनुबंध समाप्त □ले ही 1993 में हुआ हो लेकिन अमेरिका ने ईंधन देना काफी पहले ही बंद कर दिया था। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति से बचने का तरीका है ईंधन का रणनीतिक □ंडार जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने □ी किया है। लेकिन इस बारे में हाइड कानून का ओबामा संशोधन साफ कहता है कि □ारत को केवल तात्कालिक परमाणु संयंत्रों की जरूरत के मुताबिक ही ईंधन दिया जाएगा। दूसरी ओर प्रयुक्त ईंधन के पुनः प्रसंस्करण का मुद्दा □ी महत्वपूर्ण है। कानून कहता है कि पुनः प्रसंस्करण न तो □ारत में हो सकता है और न ही आप इसे अमेरिका □ेज सकते हैं। तारापुर में यही हुआ कि प्रयुक्त ईंधन का ढेर बढ़ता चला गया। हम आखिर इस कानून की □ाषा पर □ोरोसा क्यों नहीं कर रहे जो □ारत के सामरिक परमाणु कार्यक्रम के हाथ बांधने के बारे में काफी स्पष्ट है। इस करार को सही ठहराने के लिए सरकार की ओर से सबसे बड़ी दलील यही दी जा रही है कि □ारत को अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली की जरूरत है जो परमाणु केन्द्रों के सहारे बड़े पैमाने पर हासिल की जा सकती है। नाि□कीय उर्जा बनाने के

लिए जरूरी यूरेनियम हमारे पास नहीं है। नाि□कीय प्रदाता समूह से यूरेनियम हासिल करने के लिए कुछ शर्तों को मानना जरूरी है और इसीलिए हम इन्हें स्वीकार कर रहे हैं। नाि□कीय समझौते को लेकर देश में यूरेनियम की अनुपलब्धता का तर्क □ी काफी खोखला है। □ारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस तरह के किसी करार की जरूरत नहीं है। सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि आंध्रप्रदेश, उड़ीसा मेघालय में पाए गए यूरेनियम को जमीन से बाहर निकालने की पहल आखिर अब तक क्यों नहीं की गई? इस पूरे समझौते के मास्टर–माइंड कहे जाने वाले अमेरिकी अधिकारी एशले टैलिस □ी अपनी एक रिपोर्ट में साफ कर चुके हैं कि □ारत के पास अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। साथ ही सरकार की बातों में □ी विरोधा□ास है। वाजपेयी सरकार ने केवल दो परमाणु संयंत्रों को निरीक्षण के लिए खोलने पर सहमति जताई थी। जबकि मनमोहन सरकार ने देश के दो–तिहाई संयंत्रों को निरीक्षण के लिए पेश कर दिया है। इसके बावजूद राष्ट्रपति जार्ज बुश कहते हैं कि यह तो एक शुरुआत है और □ारत अपने 90 प्रतिशत परमाणु संयंत्रों को खोलेगा। कूटनीति में लेन–देन होता है लेकिन जरा यह तो देखिए कि आप प्लेट में सजाकर क्या देने जा रहे हैं।

अमेरिकी दबाव का हव्वा बनाने वाले यह क्यों □ूल जाते हैं कि वे उत्तर कोरिया और ईरान को नहीं झुका पा रहे हैं। □ारत तो उनकी अपेक्षा कहीं बड़ी ताकत है। तर्क दिया जा रहा है कि संसद में दिया प्रधानमंत्री का बयान काफी स्पष्ट है तथा यह □ारत के हितों की हिफाजत करेगा। लेकिन हमें इस पर □रोसा नहीं है क्योंकि अमेरिका प्रधानमंत्री के उन्हीं आश्वासनों के इर्द–गिर्द रास्ता निकालने की कोशिश करेगा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ □ी नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं अमेरिकी कांग्रेस का फैसला पलटने की दृष्टि से राष्ट्रपति बुश □ी इस समय काफी कमजोर स्थिति में हैं। ऐसे में काफी कम जगह बचती है जिसमें दोनों देशों के अधिकारी कोई रास्ता निकाल पाएं। ■

(लेखक पूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं)

आशंकाएं सही साबित

प्रधानमंत्री का आश्वासन छलावा

✍ **अरुण शौरी**

यह तो देश के साथ सरासर धोखा है। पूरी तरह से वादाखिलाफी है। अ□ी दो–तीन दिन ही तो हुए हैं कि विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात की है। सरकार स□ी संसदीय मर्यादाओं का पालन करेगी। सरकार अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) में त□ी जाएगी जब वह लोकस□ा में बहुमत साबित कर दे। लेकिन यह तो समझौते का प्रारूप पहले ही आईएईए को दे चुके थे। न देश के लोगों को दिखाया, न विपक्ष को और न ही उन्हें जिनकी बैसाखियों पर यह सरकार टिकी थी। आईएईए में गए समझौते का मसौदा रिलीज □ी हुआ तो अमेरिका से। यह देश के लोगों के साथ सरासर धोखाधड़ी है। एक अल्पमत सरकार को यह हक ही नहीं है कि वह इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय सौदे के लिए आगे जाए। अब जो मसौदा सामने आया □ी है, उससे साबित हो गया कि हम जो आशंकाएं व्यक्त करते आ रहे थे, वह बिल्कुल सही थीं। प्रधानमंत्री ने देश और संसद को जो आश्वासन दिए थे वह सब एक छलावा था। मैंने पहले □ी कहा था कि यह समझौता और कुछ नहीं □ारत को गैर परमाणु देशों पर लागू होने वाली शर्तों में बांधने की साजिश है।

आईएईए के सूचनात्मक सर्कुलर 66 में जो □ी शर्तें गैर परमाणु देशों पर लागू हैं बिल्कुल वही, शब्दों में □ी फेरबदल नहीं है, □ारत पर लागू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री कहते थे कि आईएईए के साथ □ारत आधारित विशेष समझौता होगा। लेकिन यहां तो कुछ □ी विशेष नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडालीजा राइस ने अमेरिकी कांग्रेस को साफ कहा था कि वह □ारत को सर्कुलर 66 के तहत बांधना चाहती हैं। अब

बिल्कुल वही हो रहा है। □ारत जैसे बड़े और परमाणु शक्ति संपन्न देश के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, वह अफसोस में डालने वाला है। परमाणु शक्ति माने जाने वाले पांच देशों के पांच सौ परमाणु रिएक्टरों में से तो केवल पांच को ही आईएईए की निगरानी के तहत रखा गया है। □ारत ने अपने 22 में से 14 परमाणु रिएक्टरों को इसकी निगरानी में रखने की बात मान □ी ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश तो यहां तक कह रहे हैं कि मनमोहन सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आगे चल कर 90 फीसदी रिएक्टर आईएईए की निगरानी तहत आ जाएंगे। हमारे हाथ हमेशा के लिए बांधे जा रहे हैं।

हमारे रिएक्टर 60 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम इनरिचमेंट क्षमता वाले हैं। ऐसे में निगरानी के लिए इंस्पेक्टर साल में जब चाहें, जितनी दफा चाहें निगरानी करने आ सकेंगे। बड़ी चिंताजनक बात यह □ी है कि मसौदे के मुताबिक 14 सिविल परमाणु रिएक्टर ही नहीं 35 परमाणु अनुसंधान एवं विकास संस्थान □ी इसकी निगरानी की जद में आ गए हैं। मसौदे के अनुबंध 117 में साफ लिखा है कि परमाणु रिएक्टर के अलावा अन्य परमाणु सामग्री जहां–जहां जाएगी, उन स□ी संस्थानों की □ी निगरानी हो सकती है। अनुबंध 127 की व्याख्या के मुताबिक परमाणु अनुसंधान एवं विकास संस्थान □ी उसके अंतरगत आते हैं। अगर हमारे संस्थान परमाणु शस्त्र बनाने के लिए कोई अनुसंधान कर रहे होंगे तो तब □ी इंस्पेक्टरों को वहां जाने की इजाजत देनी होगी। अमेरिका के साथ समझौते के मसौदे में हाइड एक्ट में साफ कहा गया है कि समझौते का मकसद □ारत की परमाणु शक्ति को सीमित करना और फिर उसे समाप्त कर देना है।

कहा जा रहा है कि □ारत चाहे तो आगे चल कर समझौता रद कर इससे बाहर आ सकता है। समझौते की शतरें के मुताबिक □ारत के परमाणु विस्फोट करने या समझौता रद होने की स्थिति में अमेरिका व अन्य परमाणु आपूर्ति समूह देशों को हक होगा कि वह अब तक □जे गए परमाणु रिएक्टर, कंपोनेंट, यूल सब कुछ वापस ले जाएं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अनिल काकोदकर ने मुझसे कहा था कि अगर समझौते में रणनीतिक यूल रिजर्व बनाने की शर्त न हुई तो वह खुद ही समझौते पर राजी नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका के साथ हुए 123 समझौते में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के प्रबल दावेदार बराक ओबामा का ही यह संशोधन है कि □ारत को रणनीतिक फ्यूल रिजर्व का अधिकार नहीं दिया जाए।

केवल संचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए ही परमाणु ऊर्जा आपूर्ति की जाए। समझा जा सकता है कि हम कहां फंस रहे हैं? यही नहीं, परमाणु ऊर्जा आपूर्ति के लिए □ी वादा त□ी किया जाएगा जब □ारत समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा। कहा जाता है कि अमेरिका ने चीन के साथ □ी तो परमाणु करार किया है। उसमें □ी कई शर्ते लगाई गई हैं। फर्क यह है कि चीन के साथ करार में कहा गया है कि कोई □ी राष्ट्रीय कानून 123 समझौते में बदलाव नहीं कर सकता। □ारत के साथ समझौते में कहा गया है कि राष्ट्रीय कानून ऐसा कर सकता है। ऐसे में हाइड एक्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। समझौते में कहा गया है कि अगर परमाणु ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति में अड़चन आती है तो □ारत संशोधन के उपाय उठा सकता है। हम यही तो प्रधानमंत्री से पूछते आ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में □ारत क्या कर पाएगा?

दैनिक जागरण, 11 जुलाई 08

राष्ट्रपति को ज्ञापन

यूपीए सरकार द्वारा अमरीका के साथ परमाणु समझौता विनाशकारी

यूपीए सरकार ने अमरीका के साथ जो परमाणु समझौता किया है, उससे वैज्ञानिकों के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी और वे स्वतंत्र रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं चला पाएंगे, जो स्पष्ट ही देश के हित में नहीं है। इसी का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए 20 जून 2006 को एक ज्ञापन दिया। इस प्रतिनिधि मंडल में राजग के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सदन में प्रतिपक्ष के नेता (लोक सभा) श्री लाल कृष्ण आडवाणी, राजग संयोजक श्री जार्ज फर्नांडीस , भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, सदन में प्रतिपक्ष के नेता (राज्य सभा) श्री जसवंत सिंह, एवं जद(यू) के अध्यक्ष श्री शरद यादव आदि सम्मलित थे। हम यहां अंग्रेजी के मूल पाठ का हिन्दी रूपांतरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

महामहिम राष्ट्रपतिजी

हम, भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से परमाणु समझौते को अंतिम रूप दिया गया है और इसमें दी गई शर्तों को स्वीकार किया है, उसके प्रति अपनी गम्भीर चिंता प्रगट करते हैं।

सिविलियन और मिलिटरी के बीच हमारे परमाणु संयंत्रों और सुविधाओं को अलग करना बहुत कठिन है, यह अत्यंत खर्चीला है तथा हमारे रणनीतिक कार्यक्रम पर इसका बुरा असर पड़ेगा एवं यह अनावश्यक भी है। आईएईए के साथ सुरक्षा–उपाए सम्बन्धी समझौता करने और इसके बाद अतिरिक्त प्रोटोकाल सम्पन्न करने से गहरा खतरा पैदा हो जाता है क्योंकि

आईएईए द्वारा निरीक्षण हमारे आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप है और इससे हमारे वैज्ञानिकों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, जो उन्हें अभी तक प्राप्त रही है। यू.एस कांग्रेस में पेश किए गए 'बेवर अथारिटी बिल', जिस पर चर्चा हो रही है, वह हम पर और भी कड़े दायित्व थोप देगा जो सीटीबीटी से भी कहीं सख्त होंगे।

इस प्रकार के अत्यधिक गहन मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने संसद और भारत के लोगों को बुरी तरह से गुमराह किया है। यूएस कांग्रेस के सामने अमरीकी अधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों से अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस समझौते से भारत को न तो समान अधिकार मिल पाएंगे और न ही आपसी व्यवहार ठीक ढंग से हो पाएगा। भारत के साथ निरंतर भेदभावपूर्ण व्यवहार होता रहेगा, जिसके बारे में हमने लगातार विरोध किया है। इस प्रकार जुलाई 2005 के समझौते में जो भी थोडा– बहुत हमें राहत मिली थी, उससे भी भारत वंचित हो जाएगा।

हम मानते हैं कि यू.एस. के साथ द्विपक्षीय '123 समझौतों' का पाठ तथा आईएईए के सुरक्षा–उपाए समझौते पर पहले से ही बात चल रही है। जहां एक तरफ इस बातचीत के बारे में हमें अंधकार में रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ यूएस को सब कुछ पता है। विडम्बना यह है कि जहां एक तरफ यू. एस. कांग्रेस में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के भविष्य के बारे में विस्तृत चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ भारत की संसद को जानबूझ कर अंधकार में रखा जा रहा है।

आपको मालूम ही है कि रणनीतिक कार्यक्रम सहित भारत के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन सदैव राष्ट्रीय आम सहमति और दृढ़ राष्ट्रीय इच्छा से हुआ है। कभी भी यह कार्यक्रम किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार का नहीं रहा है। आज, परमाणु समझौते के बारे में कोई आम सहमति नहीं है, न ही सरकार इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। हम मानते हैं कि सांसदों की एक बहुत बड़ी संख्या इस समझौते के खिलाफ है।

वर्तमान सरकार को पिछले साठ सालों के काम को तहस–नहस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वह हमारे रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम को रोक दे और हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को उनके कार्य में भारत से बाहर दूसरे लोगों को अनुचित हस्तक्षेप करने दिया जाए। हम कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई समझौता भविष्य में भारत पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है।

सादर ■

प्रधानमंत्री को पत्र

'समझौता' परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने में अवरोधक

भारत–अमेरिका परमाणु समझौता के मुद्दे को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इसका ब्यौरा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। यूपीए सरकार ने समझौता करने से पूर्व देश की जनता और राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लिया। इस समझौते से भारत की सुरक्षा खतरे में दिखाई पड़ती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने 29 मार्च 2006 को इस समझौते के संबंध में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा, जिसे हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं।

बुश प्रशासन ने 16 मार्च को यू.एस. कांग्रेस में डबल्यू.ए.बी. पेश किया। आज तक भारतीय मीडिया में इस महत्वपूर्ण बिल का ब्यौरा प्रकाशित नहीं हुआ है । दरअसल यह बड़े आश्चर्य, ही नहीं, बल्कि दुःख की बात है कि भारत के लोगों को अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित इस बिल की कोई जानकारी नहीं है और केंद्र सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है, ये भी मालूम नहीं है।

राज्यसभा में भारत–अमरिकी परमाणु सौदे पर बहस के दौरान मैंने तथा दूसरों ने यह तर्क दिया था कि इस समझौते में भारत की परमाणु शस्त्रों की क्षमता पर रोक लगायी गयी है जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में है और आई.ए.ई.ए. द्वारा निरंतर भारत के सिविलियन कार्यक्रम पर भी निरीक्षण

जारी रहेगा। इस सौदे में हमारे ऊर्जा सुरक्षा के साथ भी समझौता किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस में श्री लूगर द्वारा किये गए अनुरोध के अंतर्गत मुझे भय है कि हमारी आशंकाएं सच साबित हो सकती हैं।

डब्ल्यू.ए.बी. की धारा 1 (ए) में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह भारत के बारे में परमाणु उर्जा अधिनियम, 1954 के कुछ प्रावधानों का अधित्याग कर सकता है यदि राष्ट्रपति उप धारा (बी) में निर्धारित निर्धारणों को मानते हो। राष्ट्रपति द्वारा इस निर्धारण को मानने का अर्थ है कि :

1. भारत ने अमेरिका और आई.ए.ई.ए. को सिविल एवं सैन्य सुविधाओं, सामग्री तथा कार्यक्रमों को अलग–अलग करने की एक विश्वसनीय योजना प्रदान कर दी है तथा आई.ए.ई.ए. को अपनी सिविल सुविधाओं के बारे में घोषणापत्र फाईल कर दिया हो।
2. पैरा (1) में दी गयी योजना में घोषित भारत की सिविल परमाणु सुविधाओं के बारे में आई.ए.ई.ए. की प्रक्रियाओं के अनुसार सुरक्षा की जरूरतों को भारत तथा आई.ए.ई.ए. के बीच समझौते को लागू किया गया हो ।
3. भारत और आई.ए.ई.ए. एक अतिरिक्त प्रोटोकोल लागू करने की दिशा में संतोषजनक ढंग से प्रगति की हो जिससे भारत की सिविल परमाणु कार्यक्रम पर लागू किया जाएगा ।
4. भारत बहुआयामी फिशायल मैटेरियल कट ऑफ संधि को संपन्न करने के लिए अमेरीका के साथ काम करेगा।
5. भारत एनरिचमेंट और री–प्रोसेसिंग टेक्नॉलोजी के फैलाव को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमारे प्रयासों का समर्थन करेगा।
6. भारत यह विश्वास दिलाएगा कि वह परमाणु सामग्री और टेक्नॉलोजी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और व्यापक निर्यात नियंत्रण कानूनों तथा विनियमों और मिसाईल टेक्नॉलोजी नियंत्रण व्यवस्था एवं एन.एस.जी. गाइडलाईन्स का अनुपालन करते हुए इनका उपयोग करेगा।
7. एन.एस.जी. में अमेरिका की भागीदारी के अनुरूप परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के अनुसार सहयोग के समझौते के अंतर्गत अमेरिका भारत को इसकी आपूर्ति करेगा।

भारत द्वारा इस मान्यता के उपधारा (सी) के अंतर्गत राष्ट्रपति सीनेट की विदेश संबंधों पर अमेरिकी सहमति तथा इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ दी हाउस

ऑफ रिप्रजेंटेटिव संबंधी सहमति को अपनी रिपोर्ट देगा । उपधारा (डी) में कहा है कि:

SUBSEQUENT DETERMINATION - A determination under subsection (b) shall not be effective if the President determines that India has detonated a nuclear explosive device after the date of enactment of this Act."

उपधारा (डी) के अंतर्गत भारत को किसी भी प्रकार का परमाणु विस्फोट परीक्षण करने से स्थायी रूप से बाहर रखा गया है । इस प्रकार के पूर्ण प्रतिबंध का कोई उल्लंघन करने पर भारत को उसके सिविलियन परमाणु कार्यक्रम को ईंधन की आपूर्ति रोकी जा सकती है और फिर इस उल्लंघन का निर्णय कौन करेगा? क्या अमेरिकी प्रजेंट करेंगे? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा संपूर्ण परमाणु कार्यक्रम (सिविल और सैन्य) अमेरिका की मान्यता पर निर्भर हो जाएगा?

अमेरिका द्वारा बड़ी चालाकी से बनाये गये इस बिल के माध्यम से अमेरिका भारत की परमाणु निवारक क्षमताओं पर गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रतिबंध लगा देना चाहता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत कभी भी संपूर्ण परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य न बनने पाये। जहां परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य परमाणु विस्फोट करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे वहीं भारत ऐसा करने से वंचित हो जाएगा। हमारी स्वैच्छिक इच्छा को हम हटा नहीं पाएंगे। यहां हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पाकिस्तान परमाणु शस्त्रों के मामले में भारत से आगे निकल जाएगा। हमने पोखरण–II के बाद भारत तथा भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह मार्च 2006 में इस भारत–अमेरिकी परमाणु सौदे पर हस्ताक्षर करने से गंवा दिया जाएगा।

अमेरिकी प्रशासन के इस प्रस्तावित बिल के अंतर्गत भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की एक पार्टी बन जाता है जिसे अमेरिकी सीनेट ने कुछ वर्ष पूर्व अस्वीकार कर दिया था।

संसद में बहस के दौरान आपने विश्वास दिलाया था कि आप कभी भी भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु बिल के इन प्रावधानों में आपकी सभी बातें निष्फल हो गयी हैं ।

यदि डबल्यू.ए.बी. के प्रावधानों को इस प्रकार से भारत स्वीकार कर रहा है जिसे कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपनी रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए

स्वीकार नहीं कर सकता, तो मेरी राय में सरकार को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि:

(क) अमेरिका को अपने देश के कानून के प्रावधानों के कुछ खंडों को निरस्त करना चाहिए अथवा उनमें संशोधन करना चाहिए। इस बेवर रूप को अस्वीकार कर देना चाहिए।

(ख) भारत द्वारा परमाणु विस्फोट के स्वेच्छा से रोक लगाने को स्थायी अथवा अमेरिकी कानून में दिये गये अप्रतिबंधित रोक के रूप में बदला नहीं जाना चाहिए।

(ग) भेदभावपूर्ण वाले सभी प्रावधानों को अस्वीकार कर देना चाहिए। आज विश्व हमें एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में मानता है और यदि हमने इन प्रावधानों को मान लिया तो हमारे आचरण पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित मान्यता हावी हो जाएगी।

वाशिंगटन पोस्ट में जिमी कार्टर के एक लेख में उल्लेखित है। वे इस सौदे के खिलाफ हैं और कहते हैं कि भारतीय नेताओं के परमाणु आकांक्षाओं को हम तीन दशक से भी अधिक समय से समझा रहे हैं इसलिए मैं और अन्य राष्ट्रपतियों ने एक निरंतर नीति बना रखी थी कि किसी भी देश को सिविल परमाणु टेक्नॉलोजी अथवा अनियंत्रित ईंधन की सप्लाई तब तक नहीं होगी जब तक वह एन.पी.टी. पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता रहेगा। उन्होंने इस सौदे को खतरनाक बताया है।

यह मानते हुए कि कोई भी डेमोक्रेट कांग्रेस मेन डबल्यू.ए.बी. का समर्थन नहीं करेगा ऐसे में जिमी कार्टर की टिप्पणी से पता चलता है कि अमेरिकी कांग्रेस इससे भी कहीं अधिक कड़ी शर्तें लगा सकती है।

दीवार पर साफ–साफ लिखा है। आप देश को विश्वास में लें। लोगों के मन में गंभीर आशंकाएं हैं। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि भारत की संप्रभुता की सुरक्षा और उर्जा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

■

प्रेस विज्ञप्ति

परमाणु समझौते से परमाणु-सम्प्रभुता की समाप्ति

गत 3 अगस्त 2007 को भारत–अमरीका के बीच होने वाले द्विपक्षीय 123– परमाणु समझौते का पाठ प्रकाशित किया गया। परमाणु उर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी इस समझौते पर अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री यशवंत सिन्हा और सांसद श्री अरूण शौरी ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसके प्रमुख अंश हम नीचे प्रकाशित कर रहे हैं:–

भाजपा ने आरम्भ में ही भारत– अमरीका परमाणु समझौते पर अपनी आपत्तियां प्रगट की है। जब जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की वाशिंगटन यात्रा के अंत में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था तो श्री वाजपेयी ने एक वक्तव्य जारी कर इस समझौते के बारे में अपनी आपत्तियां प्रगट की थी; उन्होंने विशेष रूप से भारत के रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव पर विशेष आपत्ति जताई थी। उन्होंने असैन्य तथा सैन्य रूप में परमाणु सुविधाओं को बांटने की प्रस्तावित योजना पर अपनी गहन आशंका प्रगट की थी। बाद में, जब इस पृथक्करण योजना को संसद में पेश किया गया तो हमने पुनः इसका विरोध किया था। जब सीनेट विदेश संबंध समिति तथा अमरीकी कांग्रेस की हाऊस इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी ने दोनों देशों के बीच सहयोग स्थापित करने सम्बंधी प्रारूप बिल स्वीकार किया था तो हमने भारत सरकार को पहले से चेतावनी दे दी थी। जब कांग्रेस में हाइड एक्ट पारित किया गया था तो हमने इसका कड़ा विरोध किया था। जब सीनेट विदेश संबंधी समिति तथा अमरीकी कांग्रेस की

हाऊस इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी ने दोनों देशों के बीच सहयोग स्थापित करने सम्बंधी प्रारूप बिल स्वीकार किया था तो हमने भारत सरकार को पहले से चेतावनी दे दी थी। जब कांग्रेस में हाइड एक्ट पारित किया गया था तो हमने इसका कड़ा विरोध किया था। जब कभी भी संसद में इस समझौते पर चर्चा हुई तो हमने इसका निरन्तर विरोध किया।

भारत सरकार ने कभी भी हमारी किसी भी भय और आशंका पर गम्भीरता से ध्यान देना उचित नहीं समझा। अमरीका के साथ समझौते पर प्रतिबंध होने से पूर्व इस राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर उसने कभी राष्ट्रीय आम सहमति बनाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया।

हमने इस समझौते के पाठ को देखा है और हमारी प्रारम्भिक प्रतिक्रिया इस प्रकार है–

(1) प्रत्येक पक्ष को इस समझौते को अपने राष्ट्रीय नियमों तथा विनियमों और अपनी लाइसेंस आवश्यकता के अनुसार कार्यान्वित करना होगा। अतः इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इस समझौते का कार्यान्वयन 2006 के हाइड एक्ट, 1954 के यूएस एटोमिक इनर्जी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार करना होगा, जो इस विषय पर उनके राष्ट्रीय नियम हैं और भारत को परमाणु सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धी उसकी लाइसेंसिंग आवश्यकता और (अनुच्छेद 42(1)) के अन्तर्गत आते हैं। जिस भरोसे के साथ अमरीकी अधिकारियों ने निश्चिंतपूर्वक कहा है कि यह समझौता हाइड एक्ट के इन प्रावधानों के साथ बंधा हुआ है, इसलिए भारत अमरीका पर कौन सा एक्ट लागू करेगा?

(2) समझौते में दोनों देशों के बीच पूर्ण सिविल परमाणु सहयोग की बात कही गई है, परन्तु फिर भी अनुच्छेद 2 (2) (डी) में ''परमाणु ईंधन साइकल सम्बन्धी पहलुओं'' के सहयोग की बात कही गई है। इन पहलुओं का मतलब आंशिक रूप से है और इस प्रकार परमाणु ईंधन साइकल के सभी पहलू इस समझौते के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(3) इस समझौते के अनुच्छेद 5 (2) के अनुसार संवेदनशील परमाणु टेक्नालाजी, हैवीवाटर प्रोडक्शन टेक्नालाजी, संवेदनशील परमाणु को भारत को तभी स्थानांतरित किया जाएगा जब इस समझौते में संशोधन हो जाएगा। इस प्रकार के स्थानांतरण का प्रावधान स्वयं ही इस समझौते में शामिल होना चाहिए था, न कि इसे भविष्य के लिए टाल दिया जाना चाहिए था। यह तो अजीब सी व्यवस्था है।

इसी प्रावधान में अमरीका के पास अन्तिम दौर का सत्यापन करने के बाद अपनी सप्लाई सम्बन्धी सभी अधिकार रहेंगे। इससे तो यही सुनिश्चित होगा कि अमरीकी निरीक्षक ''हमारे परमाणु संस्थापनाओं के आस–पास सदैव घूमते रहेंगे; जिस आशंका को हमारे प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त 2006 को राज्य सभा की बहस का उत्तर देते हुए पूरी तरह से नकारा था।

(4) जहां तक ईंधन की आपूर्ति का सम्बंध है, समझौते में अमरीका ने जैसी प्रतिबद्धता जताई है, वह बहुत अस्पष्ट तथा भविष्यवादी प्रकार की है। ''अमरीका की प्रतिबद्धता रहेगी कि वह समझौते में घरेलू नियमों में संशोधन करने के लिए अमरीकी कांग्रेस से रहेगी। ''समझौते में अनुच्छेद 5 (6) (ए) का आश्वासन तथा समझौते में अनुच्छेद 5 (6) (बी) का आश्वासन न केवल एक खराब प्रारूपण का उदाहरण है, बल्कि पृथक्करण योजना के समय अमरीका द्वारा दिए गए पुराने आश्वासन को जानबूझ कर दोहराता है और उस समय की तरह ही इसमें टालमटोल का रवैया अपनाया हुआ है। अनुच्छेद 5(6) (सी) के अनुसार, आईएईए के साथ भारत के विशिष्ट सुरक्षा–उपाए समझौते पर भी ऐसे ही टाल–मटोल वाले आश्वासनों के आधार पर बातचीत होगी और भारत को चिरंतन काल तक इन सुरक्षा–उपायों के अन्तर्गत अपनी असैन्य परमाणु सुविधाओं को नियंत्रित रखना होगा।

(5) इस समझौते के अन्तर्गत भारत को एक नई राष्ट्रीय पुनः संसाधित सुविधा स्थापित करनी होगी जो आईएईए के अन्तर्गत परमाणु सामग्री सम्बन्धी पुनः संसाधित सुरक्षा–उपायों के अनुकूल रखनी होगी। यदि यह समझौता दो बराबरी आधार वाले पक्षों के बीच होना है तो क्या अमरीका भी उसी प्रकार के पुनः संसाधित सुविधाओं के प्रावधानों को स्वीकार करेगा? क्या इस तरह की सुविधा किसी भी 'न्यूक्लियर–फाइव' देशों में तैयार हुई है?

(6) इस समझौते के अन्तर्गत सहयोग समाप्त होने के बाद किसी भी पक्ष को अधिकार होगा कि वह दूसरे पक्ष से कोई भी परमाणु सामग्री, उपस्कर, गैर–परमाणु सामग्री अथवा इस समझौते के अन्तर्गत स्थानांतरित कोई भी वस्तु और अपने उपयोग से तैयार कोई भी विशेष विखण्डन सामग्री वापस ले ले (अनुच्छेद 14 (4)। अतः इस समझौते में जिस प्रकार की मीठी भाषा में जो बात कही गई है, उसके बावजूद प्रहार को मृदु बनाया तो गया है, फिर भी तथ्य यही है कि अमरीका को अपनी सभी आपूर्तियों को वापस लेने का हक बना रहेगा, जो उसने इस समझौते के अन्तर्गत भारत को दी है।

उससे भी बुरी बात यह है कि अनुच्छेद 16 (3) में कहा है कि समझौते की समाप्ति के बाद भी ये सुरक्षा उपाय चिरन्तन काल तक चलते रहेंगे जब तक कि भारत की धरती पर ऐसा कोई उपस्कर या अन्य कोई पदार्थ वहां मौजूद रहेगा।

इसलिए स्पष्ट है कि ईंधन आपूर्ति के सम्बंध में पुनःसंसाधित अधिकार तथा आपूर्ति किए गए उपस्करों को वापस लेने का अधिकार अमरीका के पास हाइड एक्ट के अनुसार बना रहेगा। दूसरी तरफ भारत ने चिरन्तन काल तक के लिए उनकी कानूनी प्रतिबद्धताओं को स्वीकार कर लिया है।

इस समझौते में पिछले 33 वर्षों से तारापुर में बड़ी मात्रा में खर्च हो चुके ईंधन का जो भण्डार है, उसके पुनः संसाधन के बारे में कुछ भी नहीं है।

समझौते में परमाणु–परीक्षण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। भारत सरकार के अनुसार यह बात हमारे लिए बड़ी संतोषजनक है। इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब राष्ट्रीय नियम लागू होते हैं, जिसमें परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) भी शामिल है तो उनमें 1954 का अटानोमिक इनर्जी एक्ट और 2006 के हाइड एक्ट के प्रावधान भी सामने आते हैं जो परमाणु परीक्षणों का एकदम निषेध करते हैं तो ऐसी स्थिति में इस समझौते के लागू होने के बाद भारत को परीक्षण की कहां मुक्ति मिल जाती है? दूसरे शब्दों में, हमें बहुपक्षीय सीटीबीटी से भी कहीं अधिक कड़े प्रावधानों से इस द्विपक्षीय सीटीबीटी को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

2005 में अपने पहले ही वक्तव्य में श्री वाजपेयी ने असैन्य तथा सैन्य सुविधाओं में बांटने की वित्तीय कीमत का मुद्दा उठाया था। भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे है। अब इस कीमत में और भी बहुत कुछ जुड़ गया है और वह यह है कि हमें पुनः संसाधित सुविधा की कीमत चुकानी होगी, हमें अपने भावी रिएक्टरों की रणनीतिक ईंधन सप्लाई के बारे में आजीवन कीमत चुकानी होगी तथा आईएईए निरीक्षणों की भारी तथा अनाधिकार प्रवेश देने की कीमत का बोझ ढोना होगा।

अमरीका की निगरानी पद्धति के अन्तर्गत तैयार की गई पृथक्करण योजना में हमारे दो–तिहाई रिएक्टर असैन्य श्रेणी में आ जाएंगे। हाल में सुसज्जित साइरस रिएक्टर बंद हो जाएंगे। भविष्य में हमारे 90 प्रतिशत रिएक्टर असैन्य श्रेणी में होंगे। जेनेवा में निःशस्त्रीकरण समिति की चल रही बातचीत में हमने एफएमसीटी को यथावत शीघ्र सम्पन्न करने के लिए

अमरीका के साथ काम करने पर सहमति दी थी। लगता है तब हमने अन्तर्राष्ट्रीय सत्यापन पर अपना हठ छोड़ दिया था और आशा की थी कि सभी देश इसे अपनाएंगे। इन सभी बातों के होते हुए हाइड एक्ट के घुसपैठी प्रावधानों का हमारी रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम पर उपहासास्पद प्रभाव पड़ेगा।

भाजपा का स्पष्ट मत है कि यह समझौता हमारी परमाणु सम्प्रभुता तथा हमारी विदेशी नीति विकल्प पर बहुत बड़ा प्रहार है। इसलिए इस समझौते को जिस तरह से अन्तिम रूप दिया गया है, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

हमारी मांग है कि इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए; और उसकी रिपोर्ट पेश होने के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है; और जब तक यह सारी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक कोई कार्रवाई स्थागित रखी जाए।

जिस ढंग से इस समझौते को आगे बढ़ाया गया है, उसे देखते हुए हम यह भी मांग करते हैं कि संविधान तथा विधि में समुचित संशोधन किए जाए ताकि यह सुनिश्चित रहे कि ऐसे सभी समझौते जिनसे देश की सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है, उनके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। ■

प्रेस विज्ञप्ति

भाजपा का आईएईए समझौते पर विरोध अकारण नहीं है

यशवंत सिन्हा तथा अरूण शौरी द्वारा
14 जुलाई 2008 को जारी प्रेस वक्तव्य

8 जुलाई को विपक्ष के नेता (लोकसभा) श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने यूपीए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लोकसभा में पहले विश्वासमत प्राप्त किए बिना आईएईए के पास जाकर अपनी धोखाधड़ी की हरकतों से भारत को विश्व की नजरों में उपहास का पात्र बना दिया है।

बाद में भाजपा ने भारत और आईएईए के बीच सुरक्षा (सेफगार्ड) समझौते के प्रारूप का अध्ययन किया इससे पहले कि हम इस प्रारूप पर अपनी विधिवित टिप्पणी करें, भाजपा इस बात पर कड़ी आपत्ति जताती है कि यह भारत के लिए गम्भीर दीर्घकालिक निहितार्थों से जुड़ा दस्तावेज है और जिसे पूरी दुनिया की सरकारों और अन्य देश के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, परन्तु जिसे भारत की राजनीतिक पार्टियों तथा लोगों से छुपा कर रखा गया है।

सुरक्षा समझौते के प्रारूप को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्र को बार बार दिए गए आश्वासनों का मखौल बना कर रख दिया गया है। 29 जुलाई 2005को लोकसभा में बोलते हुए कहा गया था ''हम अमरीका की तरह ही वही उत्तरदायित्व और दायित्वों का निर्वाह करेंगे''; ''हमें अमरीका की तरह के ही वही अधिकार और लाभ मिलने की आशा है; और ''भारत कभी भी किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा।'' समझौते में इस आश्वासन का उल्लघंन हुआ है, जिसमें भारत को अमरीका, रूस, ब्रिटेन,

फ्रांस तथा चीन के समान परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्य (एनडब्ल्यूएस) की तरह मान्यता नहीं दी गई है।

प्रधानमंत्री का आश्वासन था कि समझौता ''इण्डिया–स्पेसिफिक'' अर्थात् ''भारत के लिए विशिष्ट'' होगा– अर्थात् यह गैर–एनडब्ल्यूएस वाले समझौतों से कम कठोर और अतिक्रमणकारी होगा। उन्होंने 17 अगस्त 2006 को संसद में आश्वासन दिया था कि ''परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश के रूप में भारत के लिए किसी प्रकार के सुरक्षा समझौते या एनपीटी के गैर–परमाणु सम्पन्न राज्यों पर लागू किसी अतिरिक्त प्रोटोकोल पर सहमत होने का सवाल ही नहीं है।''

किन्तु भारत के लिए विशिष्ट होने की बात तो दूर, यह करार तो गैर–परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्यों वाले आईएईए समझौतो जैसा है। पहले दो पृष्ठों को छोड़कर, जिसमें प्रस्तावना है, और कुछ अन्य अपवाद हैं, शेष पाठ गैर–परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्यों वाले आईएईए सुरक्षा समझौतों के माडल पर ही आधारित है। अमरीका की इच्छानुसार भारत–आईएईए करार का पाठ एनएनडब्ल्यएस के आइएनएफसीआईआरसी–66/रे 9.2 (16 सितम्बर 1968) से ही लिया गया है।

भारत के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं रहेगा जिन्हें आईएईए ने पांच परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्यों को देखा है। परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्य केवल स्वेच्छा से ही निरीक्षण करा सकते जिन्हें वे कभी निरस्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा, इन पांच परमाणु शस्त्र सम्पन्न देशों के पास यह सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है कि वे कभी भी आईएईए के साथ अपना सुरक्षा समझौता समाप्त कर सकते हैं।

भारत–आईएईए सुरक्षा करार स्थायी अवधि तक निरंतर चलता रहेगा, इसमें कानूनी रूप से निरस्त न किए जाने वाले दायित्व हैं, जिन्हें भारत न तो निलम्बित कर सकता है, न ही समाप्त कर सकता है, भले ही आपूर्तिकर्ता राज्य ईंधन और अन्य क्षतिस्थापित पुर्जो की आपूर्ति रोक दें। भारत में आईएईए के निरीक्षण सामान्य प्रकार के नहीं होंगे बल्कि वे ऐसे कड़े ढंग के होंगे और इन्हें ही गैर–परमाणु शस्त्र सम्पन्न राज्यों पर लागू किया जाएगा।

करार का प्रारूप ठीक वैसा ही है –शब्द–ब–शब्द, एक–एक पैरा वही है, जैसा कि अमरीकी प्रशासन चाहता था। भारत ने न केवल ऐसे कठोर ''सामान्य'' निरीक्षण की बात स्वीकार की है जिसमें ''किसी भी समय

निरीक्षण'' किया जा सकेगा, बल्कि ''विशेष निरीक्षण'' की बात को भी स्वीकार किया गया है। भारत–आईएईए करार के पैरा 63 में कहा गया है कि ''एजेंसी विशेष निरीक्षण कर सकती है यदि (क) किसी रिपोर्ट से पता चलता है कि इस प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता है; या (ख) किन्ही अप्रत्याशित हालात में ऐसा करना तुरंत आवश्यक हो जाए। बोर्ड बाद में इस प्रकार किए जाने वाले प्रत्येक निरीक्षण के कारणों और परिणामों की सूचना देगा।''

दूसरे शब्दों में, एजेंसी के पास 'विशेष निरीक्षण' करने का अधिकार रहेगा, यदि वह समझती है कि सुरक्षा समझौते में दी गई किसी भारतीय सुविधा या रिपोर्ट के किसी कार्य पर संशय पैदा हो जाता है। उत्तरी कोरियाई मामले में बोर्ड ने विशेष निरीक्षण की बात का अनुमोदन किया था जिसे प्यांगयांग ने मना कर दिया था। परन्तु भारत ने आईएईए के साथ करार बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना ही विशेष निरीक्षण की बात पर सहमति दे दी है।

करार के खण्ड 34 और 39–42 में भारत ने सहमति प्रगट की है कि जैसे ही भारत किसी सुविधा के निर्माण या उसमें होने वाले संशोधन में कोई निर्णय लेता है तो वह उस डिजाइन की सूचना प्रदान करेगा। इस प्रकार, न केवल आईएनएफसीआईआर सी–66, बल्कि आईएनएफसीआईआरसी–153 के अन्तर्गत आईएईए के तीनों इंस्ट्रूमेंटों पर यह सूचना लागू होगी। खंड 117 और 127 के अन्तर्गत भी, न केवल 14 रिएक्टर, बल्कि इनके अलावा अन्य 21 संस्थान और स्थल भी, जिनमें विशेष रूप से 'आरएंडडी' सुविधाएं भी शामिल रहेंगी, इससे सुरक्षा समझौते के अन्तर्गत आ जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि पांच परमाणु शस्त्र सम्पन्न देशों ने कुल 11 सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है– जो कुल सुविधाओं का 1 प्रतिशत से भी कम बैठता है– परन्तु भारत ने आईएईए निरीक्षण के लिए अपनी सभी 35 सुविधाओं के निरीक्षण की बात पर सहमति जता दी है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने संसद में 2006 में किया था।

इन सुविधाओं में 14 पावर रिएक्टर शामिल हैं; तीन हैवी वाटर प्लांट थाल–वेशेट, हजीरा और ट्यूटीकोरिन में है; छह प्रतिष्ठान हैदराबाद में न्यूक्लियर यूल कम्पलैक्स में है; 'प्रीफर' पुनः प्रसंस्करण संयंत्र तारापुर में है; और नौ अनुसंधान सुविधाएं हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बोर्ड आफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नालाजी और साहा इंस्टीट्यूट आफ

न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने सन 2010 तक साइरन रिसर्च रिएक्टर को बंद करने पर सहमति दे दी है, जो भारत के दो रिसर्च रिएक्टरों में से एक है, जहां कैपन–ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन होता है।

इनमें से कई सामान्य सुविधाएं हैं' न्यूक्लियर मेडिसीन, खाद्यान्नों में विकिरणता समाप्त करना, न्यूक्लियर उर्जा और परमाणु शस्त्रास्त्र। ठीक यही बात हमने संसद में भी कही थी।

हाइड एक्ट की धारा 104(बी) (2) के अन्तर्गत भारत की इन सुविधाओं पर निगरानी रहेगी। इस बात को कोंडोलीजा राइस तथा अन्य ने भी अपने प्रेस सम्मेलनों पर कई बार दोहराया है।

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईंधन आपूर्ति में बाधा पड़ने की हालत में करार के मसौदे में तथाकथित 'सुधारात्मक उपाय' पूरी तरह से अस्पष्ट हैं हाइड एक्ट के अनुसार भारत–आईएईए करार में निगरानी व्यवस्था जीओवी। 1621 (1973) दस्तावेज से बंधे हैं। उदाहरणार्थ खण्ड 29 में कहा है: ''जीओवी/1621 (20 अगस्त 1973) के प्रावधानों को शामिल करते हुए इस समझौते की शर्तों की मदों को समाप्त कर दिया जाएगा। हालाकि जीओवी/1621 दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है, परन्तु इसके प्रमुख निर्धारण सभी को मालूम हैं कि सुविधा–विशिष्ट सुरक्षा–उपाए चिरंतन काल तक चलते रहेंगे जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा–उपायों को निलंबित किए जाने और सुधारात्मक उपाय करने की गुंजाइश नहीं है। जीओबी/1621 की ऐसी ज्ञात शर्तें हैं जिनमें सभी परमाणु सामग्रियों के बारे में सम्बन्धित पार्टियों के अधिकार और दायित्व चिरतंनकाल तक तब तक चलते रहेंगे जब तक कि इस सामग्री को लौटा न दिया जाए अथवा आपूर्ति की गई, उत्पादित अथवा प्रसंस्कृत विखण्डज सामग्री इंकेटरी से बाहर न हो जाए।

भारत–आईएईए के खंड 22 में, भारत आईएईए की पूर्व सहमति से सुरक्षा समझौते की सुविधाएं वापिस ले सकता है; परन्तु वह तभी सम्भव है जब सुरक्षा समझौते की दृष्टि सम्बंधी किसी परमाणु गतिविधि का कोई उपयोग न रह गया हो, जिसका अर्थ यह है कि एजेंसी की संतुष्टि के अनुसार परमाणु क्षमता को ध्वस्त कर दिया गया हो या फिर वह स्थायी रूप से निष्प्रभावी हो गई हो।

इसका सम्बन्ध इस बात से जुड़ा है कि 1974 के बाद से हुए सभी आईएनएफसीआईआर/66/रे 9.2 समझौते किसी निश्चित समय से न जुड़ कर सामग्री अथवा मदों की सप्लाई किए जाने वाले राज्यों के वास्तविक

प्रयोग से बंधे हैं। किन्तु यह सुरक्षा–उपाय मूल रूप से सप्लाई की गई उत्पादित परमाणु सामग्री के बाद की सभी पीढ़ियों पर लागू होती है। आईएनएफसीआईआर/66.रे9.2 मानक ऐसे किसी देश को भी शामिल नहीं करते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर सुरक्षा उपायों से किसी निर्धारित सिविलियन सुविधा को वापस ले लेता है।

यह भी ध्यान देने की बात है कि 'सुधारात्मक उपायों' का उल्लेख केवल प्रस्तावना में है,और समझौते के आप्रेटिव भाग में इसे शामिल नहीं किया गया है।

चिंता का एक कारण और भी है और वह यह है कि यदि किसी बात पर असहमति या विवाद खड़ा हो जाए तो मध्यस्ता का प्रावधान भी नहीं है। भारत केवल बोर्ड में अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है (खण्ड 104 से 106), जिसके निर्णय को कार्यान्वित करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। यदि भारत बोर्ड के निर्देशों पर नहीं चलेगा तो भारत द्वारा अनुपालन न किए जाने की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली और सुरक्षा परिषद को कर देगा। विगत का अनुभव बताता है कि जब कभी भी यूएनएससी के पास कोई भारत सम्बन्धी विवाद भेजा गया है तो भारत को कभी न्याय नहीं मिला है।

'एडीशनल प्रोटोकाल' की बड़ी चर्चा की गई है जैसे कि भारत के साथ बड़ी रियायत की गई है उसके साथ कुछ खास प्रकार का व्यवहार बरता गया है। सच तो यह है कि यह हमारे देश के लिए एक बड़ा पेंच कस देने जैसा है। और इसके हाइड एक्ट में उल्लिखित तभी किया गया है।

'एडीशन प्रोटोकाल' में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि विशेषीकृत उपस्कर, प्रशिक्षित कार्मिकों और डिजाइनों तथा आप्रेटिंग मैनुअल को सिविलियन कार्यक्रम से मिलिटरी कार्यक्रम में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। हाइड एक्ट कहता है कि भारत के लिए 'एडीशनल प्रोटोकाल' का आधार माडल एडीशनल प्रोटोकाल पर रहेगा, जिसका निर्धारण आईएईए के सूचना सर्कुलर (आईएनएफसीआईआरसी) 540'' में निर्धारित है, अर्थात् प्रोटोकाल गैर–परमाणु सम्पन्न शस्त्रास्त्र राज्यों पर लागू होता है। इसके विपरीत प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त 2006 को संसद में आश्वासन दिया था कि ''परमाणु शस्त्राशस्त्र सम्पन्न राज्य होने के नाते भारत किसी ऐसे सुरक्षा समझौते या किसी एडीशन प्रोटोकाल पर अपनी सहमति दे जो एनपीटी के गैर–परमाणु शस्त्रास्त्र सम्पन्न राज्यों पर लागू होते हों।''

निम्नलिखित का तो कोई प्रावधान ही नहीं हैः (क) निश्चित, अबाध रूप से ईंधन की आपूर्ति; (ख) ईंधन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व। 123 समझौते में, अबाध रूप से ईंधन की आपूर्ति का वायदा पूरी तरह से संभावित है। अगस्त 2006 में, उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि ''यह महत्वपूर्ण आश्वासन है कि भारत के रिएक्टरों के लिए जीवनभर परमाणु ईंधन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के निर्माण करने का भारत के पास अधिकार रहेगा।'' आईएईए के दिए गए प्रारूप में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि भारत के सुरक्षा समझौते के दायित्व जारी रहेंगे जो स्थायी रूप से ईंधन की आपूर्ति में बाधा नहीं डालेंगे।'' दरअसल समझौते में यह बात साफ–साफ कही है कि भारत आईएईए सुरक्षा उपायों से हट कर कोई वास्तविक सुधार नहीं कर सकेगा अन्यथा ईंधन की आपूर्ति खत्म हो जाएगी।

वस्तुतः 123 समझौते में भी जो प्रावधान किया गया है, उसे भी दरकिनार कर दिया गया है। 123 समझौते के अनुच्छेद 5 (सी) में विशेष रूप से उल्लेख है कि 'अमेरीका के साथ उपर्युक्त सहमति हो जाने पर भारत विशिष्ट सुरक्षा समझौते पर भारत और आईएईए के बीच बातचीत होगी जिससे विदेश ईंधन आपूर्ति में बाधा पड़ने की हालत में भारत के सिविलियन परमाणु रिएक्टरों के निर्बाध आप्रेशन के लिए यदि भारत कोई सुधारात्मक उपाय करना चाहता है और किसी भी समय सिविलियन उपयोग के लिए सुरक्षित परमाणु समग्री की वापसी के खिलाफ सुरक्षा–उपायों का प्रावधान किया जाए।'' (पृष्ट 10–11)

आईएईए के खण्ड 3 में प्रावधान है कि ''इस समझौते के अन्तर्गत सुरक्षा उपायों का उद्देश्य किसी भी समय सिविलियन उपयोग से सुरक्षित परमाणु सामग्री की वापसी के खिलाफ सतर्कता बरती जाए।'' ध्यान दीजिए कि ठीक यही शब्द 123 समझौते में भी दिए गए हैं। परन्तु 123 समझौते में दिए गए ये शब्द जानबूझ कर गायब रखे हैं। इसी प्रकार स्ट्रेटेजिक रिजर्व के आप्रेटिव भाग में इनका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक भी हैः यह आईएईए का काम नहीं है कि वह ईंधन का स्टाक बनाने में मदद करें– फिर भी सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि समझौते में ये शब्द हैं।

आखिरी बात, भाजपा जुलाई 2005 से ही सरकार से मांग कर रही है कि यह तो मालूम हो कि मिलिट्री से सिविलियन सुविधाओं को अलग करने की लागत क्या आती है? सरकार ने आज तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

जुलाई 2005 में वाशिंगटन डीसी के प्रेस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा थाः ''.... यह कहने की बात नहीं है कि हम एक व्यापक आम सहमति पर ही आगे बढ़ सकते हें।'' लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत–अमरीकी करार पर कोई व्यापक आम सहमति नहीं बन पाई है। प्रधानमंत्री ने उस आम सहमति को तोड़ा है जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पर बनी थी और जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक चलती रही थी।

इसके पीछे सचमुच यूपीए सरकार की दोगली नीति और धोखाधड़ी है। जहां एक तरफ सरकार लगातार कहती आ रही है कि यह करार पूरी तरह से परमाणु उर्जा के लिए है, वहीं अमरीकी प्रशासन ने इस बारे में जरा भी संदेह नहीं रखा है कि यह करार तो भारत को अप्रसार संधि के दायरे में लाने के लिए है।

भाजपा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और सरकार पर आरोप लगाती है कि वे अमरीका की इस बारे में मदद कर रहे हैं जिससे अमरीका भारत के खिलाफ अपनी इस अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशनीति को इस ढंग से हासिल कर ले जो उर्जा सुरक्षा का भ्रम पाल कर भारत की स्ट्रेटेजिक स्वायत्तता की कब्र खोद दे।

सारांश यह है कि भाजपा यह बात पूरे जोरदार ढंग से कहना चाहती है कि हमने जो भी आशंकाएं व्यक्त की थीं, वह एकदम सही सिद्ध हुई है। प्रधानमंत्री ने जितने भी महत्वपूर्ण आश्वासन दिए थे, उन सबका उल्लंघन हुआ है। फिर भी सरकार है कि झूठ पर झूठ बोले चले जा रही है।